ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 45 अंक 3 जनवरी 2025

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य, शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थी-शिक्षकों को एक मंच प्रदान करना है। शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों, जैसे– बाल्यावस्था में विकास, समकालीन भारत एवं शिक्षा, शिक्षा में दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के आधार एवं पाठ्यचर्या, अधिगम का आकलन, अधिगम एवं शिक्षण, समाज एवं विद्यालय के संदर्भ में जेंडर, समावेशी शिक्षा, शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु आई.सी.टी. में नवीन विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, विभिन्न राज्यों में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की स्थिति पर मौलिक एवं आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विकास को बढ़ावा देना। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेख, शोध पत्र आदि का प्रकाशन करने से पूर्व संबंधित लेख, शोध पत्र आदि का समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अत: ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों को प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इस संबंध में परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2026*. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : दिनेश प्रसाद सकलानी
संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : श्रीधर श्रीवास्तव
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : शरद सिन्हा
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार

अन्य सदस्य

रंजना अरोड़ा, शरद सिन्हा, उषा शर्मा
बी.पी. भारद्वाज, प्रभात कुमार मिश्र, रचना गर्ग
अपर्णा पांडेय, मधु कुशवाह, सुखविंदर
नीलकंठ कुमार

प्रकाशन मंडल

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार
मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : दीपक जैसवाल
सहायक संपादक : मीनाक्षी
सहायक उत्पादन अधिकारी : सायुराज ए.आर.

आवरण : अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी ।।। स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 155 वार्षिक : ₹ 620 त्रैवार्षिक : ₹ 1860

* यह अंक अप्रैल 2026 में प्रकाशित किया गया है।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 45 अंक 3 जनवरी 2025

इस अंक में

संपादकीय		3
मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन	नरेश कुमार	7
प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बुनियादी भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान पर 'निपुण भारत' मिशन के प्रभाव का अध्ययन	क्षमा पाण्डेय नीरज कुमार प्रवेन्द्र सिंह बिरला	20
'पाती अपनों को मुहिम' एक नवाचारी प्रयास	सूरज सिंह नेगी मीना सिरोला	40
नैनो-लर्निंग पर विद्यार्थी-शिक्षकों की अवधारणा एक विश्लेषण	सौरभ कुमार द्विवेदी पिन्कल चौधरी	51
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गेमिफिकेशन का समावेशन	विनोद शर्मा अनिल कुमार जैन	61
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा हेतु किए गए प्रगतिशील सुधार	सत्यम कुमार	73
कला समेकित शिक्षा प्रभाव, अनुभव एवं चुनौतियाँ	संतोष पाल	88
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना एक विश्लेषण	जकी मुमताज	100
आपदा प्रबंधन सुरक्षित विद्यार्थी, सुरक्षित विद्यालय	केवल आनंद काण्डपाल	113

आनंददायक विद्यालयी शिक्षा हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधन	अरुण सिंह दीपा मेहता	124
पुस्तक समीक्षा		
डिजिटल दुनिया में बदलती अधिगम पारिस्थितिकी	ऋषभ कुमार मिश्र	134

संपादकीय

प्रिय पाठको! जनवरी माह में हमने गणतंत्र दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाया, यह दिन भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यह हमें अपने अधिकारों के साथ, कर्तव्यों को याद दिलाता है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने व उसकी उन्नति करने हेतु कार्य करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति से प्रेम करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच हो, तभी लोग मिलकर समृद्ध एवं समावेशी भारत के निर्माण में योगदान कर बेहतर नागरिक बन सकते हैं।

शिक्षा के लिए पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, जो ज्ञान का भंडार होती हैं। पाठ्यपुस्तकें हमें वह ज्ञान प्रदान करती हैं, जो विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए प्राथमिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। अत: विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई.) 2023 पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसी पर आधारित "*मल्हार* कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन" नामक लेख पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इस लेख में एन.सी.एफ.एस.ई. 2023 के मुख्य सिद्धांतों के आलोक में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की *मल्हार* पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बचपन से ही भाषा एवं गणित का अच्छा ज्ञान होना बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा की यह बुनियाद जितनी अधिक सुदृढ़ होगी, जीवन में सीखने की योग्यता उतनी ही सशक्त होगी। इसी पर आधारित "प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बुनियादी भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान पर 'निपुण भारत' मिशन के प्रभाव का अध्ययन" शोध-पत्र पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया गया है। इस शोध-पत्र में विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का गुणात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सोशल मीडिया ने आज सभी को बहुत व्यस्त कर दिया है, विशेषकर युवा पीढ़ी को। सोशल मीडिया के कारण लोगों का आपस में संवाद कम हो रहा है। युवा पीढ़ी की रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। उनके लेखन कौशल की हानि हो रही है। इसी पर आधारित "'पाती अपनों को मुहिम'—एक नवाचारी प्रयास" लेख पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इस लेख में विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, सृजनशीलता और लेखन कौशल को बढ़ाने के प्रयासों आदि पर चर्चा की गई है।

वर्तमान में शिक्षा के लिए केवल पारंपरिक शिक्षण विधियाँ उपयुक्त नहीं रह गईं हैं, बल्कि नई तकनीक आवश्यक हो गई है। तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में लाभकारी हो सकता है। इसी पर आधारित पत्रिका में सम्मिलित "नैनो-लर्निंग पर विद्यार्थी-शिक्षकों की अवधारणा—एक विश्लेषण" शोध-पत्र में स्पष्ट किया गया है कि "नैनो-लर्निंग" छोटे, संक्षिप्त तथा लक्षित शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही, इसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों को भी प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से शिक्षा के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा को बच्चों के लिए किस प्रकार आनंददायक बनाया जाए, इसी

को आधार बनाकर खेलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना एक अभिनव दृष्टिकोण है। इसी पर आधारित "शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गेमिफिकेशन का समावेशन" लेख पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इस लेख में गेमिफिकेशन बच्चों की भागीदारी, उसकी रचनात्मक सोच तथा सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के विषय में चर्चा की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने के महत्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना और विद्यार्थी अनुकूल वातावरण स्थापित करना है। इसी पर आधारित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा हेतु किए गए प्रगतिशील सुधार" नामक लेख पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया गया है। लेख में विद्यालयी शिक्षा में न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना और हर बच्चे को सीखने व बढ़ने के समान अवसर देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

प्राचीन समय से ही समाज के सांस्कृतिक प्रदर्शन में विभिन्न कलाओं का उपयोग किया जा रहा है। इतिहास में झाँके तो तत्कालीन कलाएँ कोई न कोई शिक्षा देती हैं, जैसे— गुफाओं और पत्थरों पर चित्र लिपि का उपयोग, जो हमें तत्कालीन समाज के विषय में सूचनाएँ देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी पर आधारित "कला समेकित शिक्षा— प्रभाव, अनुभव एवं चुनौतियाँ" नामक शोध पत्र इस पत्रिका के अंक में सम्मिलित किया गया है। इस शोध-पत्र में शिक्षा में कला के उपयोग को प्रस्तुत किया गया है। यह शोध-पत्र कला समेकित शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को न केवल आकर्षक बल्कि प्रासंगिक भी बताता है।

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल-प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन करता है। इसी पर आधारित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना— एक विश्लेषण" नामक लेख पत्रिका में दिया गया है। यह लेख समसामयिक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर तक मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

विद्यालय एक ऐसा स्थल है, जहाँ विद्या के साथ बच्चों को जीवनयापन हेतु विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं, इसमें सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विद्यालयों में स्वयं एवं अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सके, सिखाया जाता है। इसी पर आधारित पत्रिका में सम्मिलित लेख "आपदा प्रबंधन— सुरक्षित विद्यार्थी, सुरक्षित विद्यालय" में विद्यार्थी एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन में किस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं? को व्यावहारिक दृष्टि से जानने व समझाने का प्रयास किया गया है।

सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, पत्रिका में सम्मिलित अन्य लेख "आनंददायक विद्यालयी-शिक्षा हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधन" पर आधारित है। इसमें सुरक्षित विद्यालयी वातावरण के प्रति विद्यालयी प्रबंधन तथा शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ने लगा है। विशेषकर यह शिक्षा को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को "डिजिटल दुनिया में बदलती अधिगम पारिस्थितिकी" नामक पुस्तक समीक्षा में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने अनुभव आधारित मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचारी प्रयोग, क्षेत्र (फील्ड) अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आवरण 3 पर दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादक समिति

मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन

नरेश कुमार*

पाठ्यपुस्तकें शैक्षिक अनुभव के लिए आधारभूत होती हैं, जो विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए प्राथमिक संसाधन के रूप में काम करती हैं। भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023) प्रभावी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह लेख उन सिद्धांतों का उल्लेख करता है, जो पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं विकास के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) और इसके आधार पर विकसित विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023, भारतीय विद्यालयी शिक्षा में समग्र सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 पाठ्यपुस्तक निर्माण को केवल ज्ञान हस्तांतरण का माध्यम न मानकर इसे बच्चों के समग्र विकास, व्यावहारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और संवेदनशीलता को विकसित करने का साधन मानती हैं। इस लेख में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में वर्णित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों के आलोक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभवों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये केवल सूचना के भंडार नहीं हैं अपितु उससे कहीं अधिक हैं। पाठ्यपुस्तकें सीखने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और मूल्यों को विकसित करने में सहायक होती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पाठ्यपुस्तकें दुनियाभर की शैक्षिक प्रणालियों की आधारशिला हैं, जो कक्षाओं में सीखने का समर्थन करने के लिए संरचित सामग्री और संसाधन प्रदान करती हैं। भारत के संदर्भ में *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* ने प्रमुख सिद्धांत पेश किए हैं, जो पाठ्यपुस्तकों के डिज़ाइन अर्थात् निर्माण और विकास को रेखांकित करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य न केवल शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाना है बल्कि समावेशी तथा प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना भी है।

*सहायक आचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 इस बात पर बल देती है कि पाठ्यपुस्तकों में केवल पाठ्यक्रम को ही सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बल्कि विशिष्ट शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए गतिशील उपकरण के रूप में काम करना चाहिए। वास्तव में यह दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है, जहाँ पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण और सीखने के लिए प्राथमिक संसाधन के रूप में देखा जाता था। अब ध्यान अन्य शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) और डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए उपलब्ध कई संसाधनों में से एक के रूप में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने पर है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत करती है, जो पाठ्यपुस्तकों के डिज़ाइन एवं विकास का मार्गदर्शन करती है। भारतीय विद्यालयी शिक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, जो अक्सर कक्षा में बातचीत और सीखने की प्रक्रियाओं में केंद्रीय स्थान रखती है। हालाँकि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक और कभी-कभी एकमात्र संसाधन के रूप में पाठ्यपुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है, जहाँ अन्य शिक्षण और सीखने की सामग्री का महत्त्व कम हो जाता है। इस दृष्टिकोण को एक मज़बूत शैक्षिक प्रणाली के विकास के लिए अस्वस्थ और अनुपयोगी माना जाता है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 इस बात पर बल देती है कि विद्यालयी शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य सीखने के मानकों को प्राप्त करना है जो पाठ्यपुस्तकों की भूमिका में बदलाव का संकेत है। केवल पाठ्यपुस्तक की सामग्री को पूरा करने के बजाय कक्षा की चर्चा को विशिष्ट सीखने के परिणामों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों को सूचना और निर्देश के एकमात्र स्रोत के बजाय शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कई संसाधनों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए।

पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन या निर्माण के मुख्य सिद्धांत

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन या निर्माण से संबंधित प्रस्तुत किए गए मुख्य सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित है—

1. **पाठ्यक्रम सिद्धांत**— पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन या निर्माण का पाठ्यक्रम सिद्धांत पाठ्यपुस्तकों को ग्रेड और शैक्षिक चरण दोनों के लिए निर्दिष्ट दक्षताओं और सीखने के परिणामों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए जाने की आवश्यकता पर बल देता है। "पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं को उस विशिष्ट डोमेन या विषय की दक्षताओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए जिसके लिए वे पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं। इसके अलावा उन्हें शिक्षा के पूरे चरण के लिए व्यापक दक्षताओं का ज्ञान होना चाहिए" (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*, पृष्ठ 94)। यह व्यापक समझ उन्हें उस चरण के भीतर विभिन्न ज्ञानक्षेत्र (डोमेन) और पाठ्यचर्या क्षेत्रों में क्षैतिज संबंध को एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। ऐसा करने से पाठ्यपुस्तकें अधिक सुसंगत और अंतःविषयात्मक रूप से सीखने के अनुभव की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विद्यार्थी न केवल विषय-विशिष्ट

कौशल को समझें बल्कि विभिन्न विषयों में ज्ञान के परस्पर संबंध को भी देखें। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पाठ्यपुस्तकें अपने दृष्टिकोण में अलग-थलग नहीं हैं; बल्कि विद्यार्थियों के बीच ज्ञान की समग्र समझ और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने वाली व्यापक, परस्पर जुड़ी शैक्षिक रूपरेखा का हिस्सा हैं।

2. **मूल्य सिद्धांत**— मूल्य सिद्धांत विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 द्वारा व्यक्त वांछनीय मानवीय मूल्यों और प्रवृत्तियों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री में समाहित करने के महत्त्व को रेखांकित करता है। मूल्य अक्सर विद्यालय की संस्कृति और वातावरण के माध्यम से निहित रूप से प्रकट होते हैं लेकिन पाठ्यपुस्तकें इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यपुस्तक की सामग्री को सावधानीपूर्वक चुनी गई भाषा और उदाहरणों के माध्यम से करुणा, सम्मान और विनम्रता जैसे मूल्यों को सूक्ष्म रूप से बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, "गाय हमें दूध देती हैं" के बजाय "हम गायों से दूध लेते हैं" वाक्यांश का उपयोग करने से जानवरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना बढ़ती है। इसी तरह "अमुंडसेन ने दक्षिण ध्रुव पर विजय प्राप्त की" के बजाय "अमुंडसेन दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे" कहना वर्चस्व की धारणा के बिना उपलब्धि पर बल देता है। (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023;* पृष्ठ 63–64, अनुच्छेद 3.2.2.2)। ऐसी बारीकियों को शामिल करके पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों को आकार देने में मदद कर सकती हैं जो नीति संबंधी और नैतिक रूप से आधारित व्यक्तियों के पोषण के व्यापक शैक्षिक लक्ष्य के साथ संरेखित होती हैं।

3. **अनुशासन (विषयात्मक) सिद्धांत**— पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन या निर्माण का विषयगत सिद्धांत पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं के लिए पाठ्यपुस्तक से संबंधित शैक्षणिक अनुशासन की गहन समझ रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पाठ्यसामग्री सटीक, विश्वसनीय और विषय क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है। पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं को विषय की अखंडता को बनाए रखने, विरोधाभासों और गलत बयानी से बचने के लिए सावधानीपूर्वक सामग्री का चयन और अनुक्रम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में वैज्ञानिक रूप से सटीक जानकारी प्रस्तुत करना और एक तार्किक प्रगति का पालन करना महत्त्वपूर्ण है, जो अनुशासन (विषय) के मूल सिद्धांतों जैसे वैज्ञानिक पद्धति को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को विषय की सुसंगत और सटीक समझ बनाने में मदद करता है। अनुशासन (विषयात्मक) सिद्धांत का पालन करके पाठ्यपुस्तकें भरोसेमंद संसाधनों के रूप में काम करती हैं जो विद्यार्थियों को विषय में एक ठोस आधार प्रदान करती हैं एवं उनकी गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।

4. **शिक्षाशास्त्र सिद्धांत**— *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में वर्णित पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन से संबंधित शिक्षाशास्त्र सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि

पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं को 'प्रत्येक विषय की दक्षताओं और सामग्री के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों को समझना चाहिए।' उदाहरण के लिए "फाउंडेशनल स्टेज या स्तर के लिए भाषा सीखने में मौखिक भाषा, ध्वन्यात्मकता, शब्द-समाधान निर्देश और अर्थ-निर्माण को शामिल करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है" (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*, पृष्ठ 64, अनुच्छेद 3.2.4 सी) पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं को व्यापक भाषा विकास का समर्थन करने के लिए इन तत्त्वों को समग्र रूप से एकीकृत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत पाठ्यपुस्तकों को अत्यधिक विवरणों से भरने से बचने की सलाह देता है, जो विद्यार्थियों को अभिभूत कर सकता है और सीखने के आवश्यक उद्देश्यों से विचलित कर सकता है। इसके बजाय सामग्री संक्षिप्त होनी चाहिए तथा प्रमुख अवधारणाओं और कौशल पर केंद्रित होनी चाहिए। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी सामग्री के साथ गहराई से जुड़ सकें, बेहतर समझ और अवधारण को बढ़ावा दे सकें। पाठ्यपुस्तक की सामग्री को प्रभावी शैक्षणिक रणनीतियों के साथ जोड़कर और स्पष्टता व प्रासंगिकता बनाए रखते हुए निर्माणकर्ता ऐसे संसाधन बना सकते हैं, जो सार्थक एवं कुशल सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाते हैं।

5. **भाषा सिद्धांत**— भाषा सिद्धांत पाठ्यपुस्तकों में ऐसी भाषा का उपयोग करने के महत्त्व पर बल देता है जो प्रत्येक ग्रेड स्तर के लिए अपेक्षित भाषा दक्षताओं के साथ संरेखित हो। शुरुआती ग्रेड के लिए जब विद्यार्थी अभी भी पढ़ना सीख रहे होते हैं, तो पाठ्यपुस्तक निर्माण के संदर्भ में ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए, जो उस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सुलभ और समझने योग्य हो। इसमें शब्दावली और स्पष्टीकरण के माध्यम से अपरिचित शब्दावली और जटिल वाक्य संरचनाओं के लिए मचान प्रदान करना शामिल है। इस तरह का समर्थन युवा शिक्षार्थियों को बिना अभिभूत हुए अपने पढ़ने के कौशल का निर्माण करने में मदद करता है। जैसे-जैसे विद्यार्थी उच्च ग्रेड में आगे बढ़ते हैं, अकादमिक भाषाई दक्षता विकसित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस स्तर पर भाषाई कौशल को बढ़ाने के लिए केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों की ज़िम्मेदारी नहीं है। विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों को प्रत्येक अनुशासन (विषय) के भीतर उपयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा और शब्दावली को भी शामिल और उजागर करना चाहिए। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी विषय-विशिष्ट भाषा की एक मजबूत समझ विकसित करें, जो जटिल अवधारणाओं में महारत हासिल करने तथा विभिन्न विषयों में अकादमिक सामग्री के साथ गहराई से जुड़ने के लिए आवश्यक है।

6. **प्रौद्योगिकी सिद्धांत**— पाठ्यपुस्तक निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी सिद्धांत विद्यार्थियों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए वर्तमान तकनीकी और ऑडियो-विज़ुअल संसाधनों के एकीकरण पर बल देता है। "पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ताओं को उपलब्ध डिजिटल टूल और सामग्रियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए जो पारंपरिक पाठ्यपुस्तक सामग्री को पूरक और

समृद्ध कर सकते हैं" (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*, पृष्ठ 64–65, अनुच्छेद 3.2.4 डी)। इसमें डिजिटल तकनीक से जुड़ी गतिविधियों को शामिल करना समाहित है, जैसे— अंतःक्रियात्मक अभ्यास, मल्टीमीडिया संसाधन और ऑनलाइन संदर्भ। इन तत्त्वों को शामिल करके पाठ्यपुस्तकें गतिशील एवं आकर्षक सीखने के अवसर प्रदान कर सकती हैं, जो स्थिर पाठ से परे हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षिक वीडियो, वर्चुअल लैब या इंटरैक्टिव सिमुलेशन से लिंक करना विद्यार्थियों की जटिल अवधारणाओं की समझ को गहरा कर सकता है और सीखने को अधिक अंतःक्रियात्मक और आनंददायक बना सकता है। यह सिद्धांत विचारशील एकीकरण को भी यह सुनिश्चित करते हुए प्रोत्साहित करता है कि डिजिटल संसाधन प्रासंगिक हैं और पाठ्यक्रम में सहज रूप से बुने गए हैं। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया के लिए तैयार करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और विविध, अभिनव शिक्षण विधियों के माध्यम से उनके समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है।

7. **संदर्भ सिद्धांत**— *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में वर्णित पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन से संबंधित संदर्भ सिद्धांत पाठ्यपुस्तकों के लिए सामग्री चुनते समय (विशेषरूप से आधारभूत और प्रारंभिक चरणों के लिए) स्थानीय संदर्भ और पर्यावरण पर विचार करने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। युवा शिक्षार्थियों के लिए परिचित संदर्भों से शुरू करना आराम और जुड़ाव की भावना बनाने में मदद करता है जिससे आसान समझ और जुड़ाव की सुविधा मिलती है। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं। अपरिचित संदर्भों को पेश करना जिज्ञासा को उत्तेजित करता है और उनकी सोच को चुनौती देता है एवं संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है। यह संतुलित दृष्टिकोण विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात में आसानी से संक्रमण करने में मदद करता है। जिससे नई जानकारी की गहरी समझ और अवधारणा को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रों में स्थानीय संदर्भ पर बल कम महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों से व्यापक, अधिक जटिल अवधारणाओं और वैश्विक दृष्टिकोणों से जुड़ने की अपेक्षा की जाती है। इन उन्नत चरणों में ध्यान आलोचनात्मक सोच तथा उन्नत ज्ञान विकसित करने की ओर जाता है, जिससे स्थानीय संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में कम केंद्रीय हो जाता है।

8. **प्रस्तुति सिद्धांत**— विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का प्रस्तुति सिद्धांत विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दृश्य रूप से आकर्षक पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन के महत्त्व को रेखांकित करता है। "आधारभूत और प्रारंभिक चरणों के लिए पाठ्यपुस्तकों को पाठ पर दृश्य सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए एवं सीखने को आकर्षक और आनंददायक बनाने के लिए आकर्षक रंग योजनाओं और सुसंगत डिज़ाइन थीम का उपयोग करना चाहिए। पाठ के फ़ॉन्ट (अक्षर) और आकार उनकी पठनीयता के लिए चुने जाने चाहिए ताकि छोटे बच्चे आसानी से

जानकारी को समझ सकें" (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*, पृष्ठ 65, अनुच्छेद 3.2.4 एफ) इसके विपरीत मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए ध्यान अवधारणाओं के तार्किक प्रवाह एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति पर जाता है। चित्रण द्वारा न केवल अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए बल्कि चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करना चाहिए तथा इसके साथ ही, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जिससे गहरी समझ व आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिले। प्रत्येक शैक्षिक चरण के अनुरूप प्रभावी प्रस्तुति सामग्री को सुलभ, आकर्षक और विचारोत्तेजक बनाकर सीखने के अनुभव को बढ़ाती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पाठ्यपुस्तकें न केवल सूचनात्मक हों बल्कि दृष्टिगत और बौद्धिक रूप से उत्तेजक भी हों जो विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करें।

9. **विविधता और समावेशन**— विविधता और समावेशन का यह सिद्धांत पाठ्यपुस्तक सामग्री में विविध दृष्टिकोणों और प्रतिनिधित्व को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि "पाठ्यपुस्तकें किसी राज्य या देश में मौजूद संस्कृतियों, भाषाओं और अनुभवों की समृद्ध विविधता को दर्शाती हैं (*विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*, पृष्ठ 65, अनुच्छेद 3.2.4 जी)। क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करना और उन्हें शैक्षिक सामग्री में शामिल करना विद्यार्थियों को खुद को तथा अपने समुदायों को प्रतिनिधित्व करते हुए देखने में मदद करता है, जिससे उनमें अपनेपन की भावना और मतभेदों के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह दृष्टिकोण न केवल समावेशिता को बढ़ावा देता है, बल्कि विद्यार्थियों की अपने आस-पास की दुनिया की समझ को भी व्यापक बनाता है। इससे विविध पृष्ठभूमि के लिए सहानुभूति और प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है। विविध सामग्री को एकीकृत करके पाठ्यपुस्तकें रूढ़ियों को चुनौती दे सकती हैं और अधिक व्यापक और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। यह सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थी, चाहे उनकी क्षेत्रीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो अपनी शिक्षण सामग्री में प्रासंगिकता और प्रतिनिधित्व पाएँ जो एक समावेशी और समग्र शैक्षिक अनुभव का समर्थन करता है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में वर्णित पाठ्यपुस्तक निर्माण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों के आधार पर कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक *मल्हार* का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी, समावेशी और समग्र बनाना है। इसके अनुसार पाठ्यपुस्तकें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का आधार हैं, जो विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल के विकास में सहायक होती हैं। पाठ्यपुस्तकें केवल विषय-वस्तु को प्रस्तुत करने का साधन नहीं होतीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के सोचने-समझने और रचनात्मकता को

बढ़ाने का माध्यम भी होती हैं। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में वर्णित पाठ्यपुस्तक निर्माण के मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के शैक्षिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएँ।

मल्हार पाठ्यपुस्तक के शीर्षक एवं कवर पृष्ठ का विश्लेषण

मल्हार कक्षा 6 के लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाठ्यपुस्तक है। यह भाषा शिक्षण, साहित्यिक समझ और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की कविताएँ, कहानियाँ और निबंध आदि शामिल हैं। *मल्हार* का शीर्षक और कवर पृष्ठ न केवल सौंदर्यात्मक रूप से आकर्षक हैं; अपितु यह शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में यह स्पष्ट किया गया है कि पाठ्यपुस्तकों के शीर्षक और कवर पृष्ठ विद्यार्थियों में जिज्ञासा, सांस्कृतिक जुड़ाव, भाषा के प्रति रुचि और रचनात्मक कल्पना को प्रेरित करने वाले होने चाहिए। वास्तव में *मल्हार* शीर्षक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय राग *मल्हार* का संकेतक है जो वर्षा ऋतु, शांति, सौंदर्य और प्रकृति की जीवंतता से जुड़ा हुआ है। यह शीर्षक बाल पाठकों में भावनात्मक जुड़ाव और कल्पनाशीलता की भावना को जाग्रत करता है। यह न केवल साहित्यिक संवेदना का प्रतीक है, अपितु भाषा की कोमलता और सांस्कृतिक गहराई को भी रेखांकित करता है।

पुस्तक का कवर पृष्ठ रंगों, चित्रों और दृश्य रूपों के माध्यम से बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है। इसमें वर्षा, बच्चे, पेड़, बादल, हरियाली और प्रकृति के सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं जो *मल्हार* के शीर्षक के अनुरूप हैं। यह चित्रात्मक प्रस्तुति विद्यार्थियों को आकर्षित करती है और उन्हें विषय-वस्तु की ओर सहज रूप से खींचती है। यह प्रस्तुति पूर्ण रूप से विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में वर्णित प्रस्तुति सिद्धांत, संदर्भ सिद्धांत और शिक्षाशास्त्र सिद्धांत के अनुरूप है जिसमें भाषा शिक्षण को सौंदर्यबोध, भावनात्मक अनुकूलता और अनुभवात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अत: इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि *मल्हार* का शीर्षक और कवर पृष्ठ विद्यार्थियों को सशक्त और विचारोत्तेजक प्रवेश बिंदु प्रदान करते हैं जो उन्हें भाषा और साहित्य की दुनिया में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में वर्णित नौ सिद्धांतों के आधार पर *मल्हार* पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण निम्नलिखित है—

1. **पाठ्यक्रम सिद्धांत**— यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पाठ्यपुस्तकें ग्रेड और शैक्षिक चरण के लिए निर्दिष्ट दक्षताओं और सीखने के प्रतिभाओं को पूरा करती हों। *मल्हार* पुस्तक की पाठ्य सामग्री कक्षा 6 के विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की दक्षताओं के विकास पर केंद्रित है। पाठ्यपुस्तक में कहानी, कविता, निबंध एवं संस्मरण आदि विविध पाठ्य शामिल हैं जो हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त *मल्हार* में विषय-वस्तु

को विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के लक्ष्यों के अनुरूप चयनित किया गया है। इसमें साहित्यिक, व्याकरणिक और व्यावहारिक भाषा शिक्षण के पहलुओं का संतुलन है। कविताएँ (मातृभूमि, पहली बूँद और जलाते चलो आदि) और कहानियाँ (हार की जीत एवं परीक्षा आदि) बच्चों को हिंदी साहित्य की विविधता से परिचित कराती हैं। अभ्यास और गतिविधियाँ (सोच-विचार के लिए, अनुमान या कल्पना से, शब्दों की बात एवं साझी समझ आदि) विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान को सुदृढ़ करती हैं, जबकि कहानियाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा देती हैं।

2. **मूल्य सिद्धांत**— *मल्हार* में नैतिक मूल्यों और सामाजिक संवेदनाओं को पाठों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में नैतिक और प्रेरणादायक कहानियाँ शामिल हैं जो बच्चों में मूल्यों और नैतिकता का विकास करती हैं। *मल्हार* की पाठयसामग्री में करुणा, सहिष्णुता, सम्मान और विनम्रता जैसे मूल्यों को सूक्ष्म रूप से समाहित किया गया है। पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा विचारोत्तेजक और नैतिकता से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पारिवारिक सहयोग, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक समावेशिता को दर्शाने वाले पाठ विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। भाषा में भी वर्चस्ववादी दृष्टिकोण से बचते हुए संतुलित अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है जिससे विद्यार्थियों में ज़िम्मेदारी और सह-अस्तित्व की भावना विकसित होती है। उदाहरण के लिए, 'गोल' पाठ में "दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं... तथा सफलता का कोई गुरु-मंत्र नहीं है। लगन, साधना तथा खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं।" इसके अतिरिक्त 'मेरी माँ' पाठ में वर्णित पंक्ति "माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा।" इस तरह की विषय-वस्तु न केवल बच्चों में मूल्यों और नैतिकता का विकास करती है; अपितु उनमें ज़िम्मेदारी तथा सह-अस्तित्व की भावना को भी विकसित करती है।

3. **अनुशासन सिद्धांत**— *मल्हार* के अधिकांश पाठ हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को प्रस्तुत करते हैं। इसमें पाठों का चयन और अनुक्रम अनुशासन के मूल सिद्धांतों के साथ सुसंगत है। यह पाठ्यपुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के अनुशासन के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करती है। इसमें भाषा विज्ञान, व्याकरण और साहित्यिक विधाओं की तार्किक प्रगति को बनाए रखा गया है। कहानियाँ, कविताएँ और निबंध विधागत स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिससे वे विद्यार्थियों में हिंदी भाषा की सटीक समझ विकसित कर सकें। इसके अलावा साहित्यिक संदर्भों की प्रमाणिकता एवं भाषा की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न कविताओं, कहानियों एवं पाठों आदि के माध्यम से, जैसे— बूँद, हार की जीत, रहीम के दोहें और मेरी माँ आदि के द्वारा भाषा विज्ञान, व्याकरण और साहित्यिक विधाओं की तार्किक प्रगति को बनाए रखा गया है। उदाहरण के लिए, पुस्तक में पाठ की शुरूआत 'मातृभूमि' (कविता) से होती है, उसके बाद 'गोल' (संस्मरण), 'फिर एक

दौड़ ऐसी भी' (पढ़ने के लिए) जो विद्यार्थियों में साहित्यिक विधाओं की तार्किक प्रगति को बनाए रखती है।

4. **शिक्षाशास्त्र सिद्धांत**— इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करें। *मल्हार* में गतिविधियाँ और अभ्यास प्रश्न इस सिद्धांत के अनुरूप हैं। विशेषरूप से वर्णनात्मक प्रश्न और चर्चा आधारित गतिविधियाँ विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकसित करती हैं। उदाहरण के लिए, 'मातृभूमि' कविता में 'पंक्तियों पर चर्चा,' 'सोच-विचार के लिए', 'थोड़ा भिन्न-थोड़ा समान' तथा 'पाठ से आगे' से एवं 'गोल' पाठ में 'मेरी समझ से' तथा 'डायरी का प्रारंभ' आदि से संबंधित गतिविधियाँ शिक्षणशास्त्र सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं।

5. **भाषा सिद्धांत**— भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना है। *मल्हार* की भाषा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की भाषाई क्षमता के अनुकूल है। *मल्हार* में सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग किया गया है जो बच्चों की उम्र और समझ के अनुकूल है। संवादात्मक और स्पष्ट शैली इसे अधिक आकर्षक बनाती है। कहानियों, दोहों और कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक भाषा का अनुभव मिलता है। सरल एवं स्पष्ट वाक्य संरचनाएँ इसे सुलभ बनाती हैं। उदाहरण के लिए, रहीम के दोहे पाठ के अंतर्गत 'पाठ से आगे' शीर्षक के अंतर्गत 'सरगम', आज की पहेली और 'खोजबीन के लिए' (पृष्ठ 49 एवं 50) के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक भाषा का अनुभव मिलता है। तो वहीं 'मेरी माँ' आत्मकथा तथा 'जलाते चलो' कविता में 'सोच-विचार के लिए' और 'अनुमान या कल्पना से' (*मल्हार*, पृष्ठ 64 एवं 65) भी विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाती है।

6. **प्रौद्योगिकी सिद्धांत**— कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक *मल्हार* का प्रौद्योगिकी सिद्धांत के आधार पर अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें डिजिटल संसाधनों का एकीकरण सीमित है। पुस्तक में अंत क्रियात्मक अभ्यास, मल्टीमीडिया संसाधन और ऑनलाइन संदर्भों के उचित उल्लेख का अभाव है। हालाँकि, यदि पाठ्यपुस्तक में ऑनलाइन संदर्भ लिंक, शैक्षिक वीडियो और डिजिटल अभ्यास जोड़े जाएँ तो यह सीखने को अधिक प्रभावी और रोचक बना सकता है। डिजिटल साधनों के समावेश से विद्यार्थी अवधारणाओं को गहराई से समझ सकते हैं, उनकी डिजिटल साक्षरता बढ़ सकती है और वे प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं।

7. **संदर्भ सिद्धांत**— संदर्भ सिद्धांत के अंतर्गत *मल्हार* पाठ्यपुस्तक में स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सामग्री का चयन किया गया है। इसमें विभिन्न कहानियों और कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति को उजागर किया गया है। पुस्तक स्थानीयता तथा वैश्विकता के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। हालाँकि, कुछ पाठों (एक दौड़ ऐसी भी, पेड़ की बात) के अंतर्गत अधिक व्यापक संदर्भों को शामिल किया जा सकता

था, जो विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों से संबंधित परिचय कराने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'हार की जीत' कहानी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बड़ी ही गहराई के साथ उजागर किया गया है— "बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खडगसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा, "बाबाजी, इसमें आपको क्या डर है?" सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, "लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा।" तो वहीं 'परीक्षा' कहानी के माध्यम से साहस, आत्मबल, उदारता तथा दृढ़संकल्प को उजागर किया गया है।

8. **प्रस्तुति सिद्धांत**— *मल्हार* का प्रस्तुतीकरण विशेषरूप से चित्र और ले-आउट विद्यार्थियों के लिए आकर्षक है। चित्र सरल और विचारोत्तेजक हैं जो पाठ के अर्थ को समझने करने में सहायक हैं। पुस्तक का स्वरूप और चित्रांकन विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। पाठों की संरचना क्रमबद्ध और सरल है। प्रत्येक पाठ (उदाहरण के लिए, हार की जीत, रहीम के दोहे, पेड़ की बात आदि) के अंत में दिए गए प्रश्न-उत्तर और गतिविधियाँ बच्चों की समझ को और गहराई प्रदान करती हैं। आकर्षक चित्रांकन और पाठों की संरचना विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हालाँकि पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय एवं अधिगम विस्तार से संबंधित कुछ इंटरनेट लिंक अथवा संदर्भ और इंटरैक्टिव अभ्यास के लिए क्यू.आर. कोड आदि का समावेशन किया जा सकता था।

9. **विविधता और समावेशन सिद्धांत**— विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के विविधता तथा समावेशन सिद्धांत के अनुरूप *मल्हार* में विविध दृष्टिकोणों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को जगह दी गई है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों एवं संस्कृतियों से जुड़ी सामग्री शामिल है, जो विद्यार्थियों को विविधता के महत्त्व को समझाने में मदद करती है। पाठ्यपुस्तक में ग्रामीण तथा शहरी परिवेश दोनों का समावेश किया गया है। विभिन्न वर्गों व समुदायों के अनुभवों को प्रदर्शित किया गया है। यह पुस्तक विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए, रहीम के दोहे में 'शब्दों की बात' के माध्यम से मातृभाषा और बहुभाषिकता पर विशेष बल दिया गया है। 'सत्रिया और बिहू नृत्य' पाठ विभिन्न संस्कृतियों एवं विविधता के महत्त्व को समझाने में मदद करता है। वहीं पाठ के अंत में 'खोजबीन के लिए' शीर्षक के अंतर्गत भारत के पारंपरिक लोक संगीत से संबंधित उचित अभ्यास दिए गए हैं। हालाँकि, इसमें आधुनिक संदर्भों जैसे सतत विकास लक्ष्य, 21वीं सदी के जीवन कौशलों का समावेश तथा गतिविधियों में विविधता, जैसे— मन की बात, टेक्नोलॉजी आधारित विभिन्न प्रकार की इंटरैक्टिव गतिविधियाँ आदि को और अधिक व्यापक रूप में सम्मिलित किया जा सकता था।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा

सकता है कि कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक *मल्हार* के रूप में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अनुसरण करती है। यह विद्यार्थियों के भाषा कौशल, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक समझ को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सिद्धांतों के प्रभावी समावेश के कारण *मल्हार* न केवल भाषा शिक्षण का एक सशक्त माध्यम बनती है, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक रूप से संवेदनशील और विषय-विज्ञानी दृष्टि से समृद्ध बनाती है।

मल्हार पाठ्यपुस्तक — पाठ्यसामग्री के साथ आकलन का उचित समावेशन

कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक *मल्हार*, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा प्रकाशित एक ऐसी शिक्षण सामग्री है जो विद्यार्थियों के भाषिक विकास के साथ-साथ उनके बौद्धिक, नैतिक और रचनात्मक विकास को भी पोषित करती है। यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के निर्देशित सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें पाठ्यसामग्री को विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार संयोजित किया गया है। इस पाठ्यपुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसका आकलन के साथ गहन और सुसंगत समावेशन है जो विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सक्रिय और प्रभावी बनाता है। *मल्हार* की विषय-वस्तु विविध और व्यापक है। इसमें कहानियाँ, कविताएँ, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध और दोहे जैसे साहित्यिक रूपों को संतुलित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन पाठों के माध्यम से विद्यार्थी केवल भाषा का ही अभ्यास नहीं करते, अपितु वे समाज, संस्कृति, मूल्यों और संवेदनाओं के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए, 'गोल', 'मेरी माँ', 'हार की जीत', 'रहीम के दोहे' जैसे पाठ जीवन के विविध अनुभवों, मानवीय मूल्यों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। इस तरह की सामग्री विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा, संवेदनशीलता और आलोचनात्मक दृष्टि को जन्म देती है।

पाठ्यसामग्री के साथ आकलन का समावेशन इस पुस्तक की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता है। *मल्हार* के प्रत्येक पाठ के अंत में ऐसे अभ्यास प्रश्न और गतिविधियाँ दी गईं हैं जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने में सहायक हैं। उपशीर्षक जैसे 'सोच-विचार के लिए', 'अनुमान या कल्पना से', 'पाठ से आगे', 'मेरी समझ से', 'थोड़ा भिन्न-थोड़ा समान' आदि यह दर्शाते हैं कि पुस्तक में केवल तथ्यात्मक उत्तरों की अपेक्षा नहीं की गई, अपितु विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने के लिए भी प्रेरित किया गया है। यह दृष्टिकोण सतत और समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की अवधारणा को बल देता है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की की रूपरेखा 2023 का एक केंद्रीय उद्देश्य है।

इसके अतिरिक्त *मल्हार* की गतिविधियाँ केवल लिखित अभ्यासों तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें मौखिक प्रस्तुति, चित्रवर्णन, संवाद लेखन, पाठ से संबंधित रचनात्मक लेखन, समूह चर्चा आदि जैसी गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं। ये अभ्यास विद्यार्थियों की विविध प्रकार की प्रतिभाओं को विकसित करने

के लिए अवसर प्रदान करते हैं और आकलन की प्रक्रिया को बहुआयामी तथा समावेशी बनाते हैं। यह स्पष्ट रूप से 'प्रस्तुति सिद्धांत', 'शिक्षाशास्त्र सिद्धांत' और 'विविधता एवं समावेशन सिद्धांत' के अनुरूप है। *मल्हार* में दी गई मूल्यांकन आधारित गतिविधियाँ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। ग्रामीण और शहरी परिवेश, विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के अनुभव आदि सभी को इस पुस्तक में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अपनी पृष्ठभूमि के अनुरूप उत्तर देने और अपनी दृष्टि से सोचने का अवसर मिलता है। यह समावेशिता विद्यार्थियों को आत्म-स्वीकृति, आत्म-विश्वास और आत्म-प्रेरणा प्रदान करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक *मल्हार* पाठ्यसामग्री और आकलन के समावेशन की दृष्टि से एक सुदृढ़ और शिक्षाशास्त्रीय रूप से परिपक्व प्रयास है। यह विद्यार्थियों को केवल भाषा की जानकारी नहीं देती, अपितु उन्हें सोचने, महसूस करने और अभिव्यक्त करने के अवसर भी प्रदान करती है। वास्तव में इस पाठ्यपुस्तक को 21वीं सदी के शिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक आदर्श पाठ्यपुस्तक कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक *मल्हार* विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई एक संतुलित पुस्तक है, जो एक प्रभावी शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में उभरती है। पाठ्यक्रम सिद्धांत के अनुसार पुस्तक की सामग्री कक्षा 6 के विद्यार्थियों की भाषा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसमें कहानियाँ, कविताएँ तथा संस्मरण आदि शामिल हैं, जो भाषा कौशलों के विकास में सहायक हैं। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत करुणा, सहिष्णुता एवं नैतिकता जैसे मूल्यों का संवर्धन किया गया है। अनुशासन सिद्धांत हिंदी भाषा तथा साहित्य की तार्किक प्रगति को दर्शाता है, जिससे साहित्यिक विधाओं की स्पष्ट समझ विकसित होती है। शिक्षाशास्त्र सिद्धांत के तहत पुस्तक में अभ्यास प्रश्न एवं गतिविधियाँ विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। भाषा सिद्धांत की दृष्टि से इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जो व्यावहारिक और सहज है। प्रौद्योगिकी सिद्धांत के अनुसार इसमें डिजिटल संसाधनों का सीमित समावेश है, जिसे और अधिक बढ़ाया अथवा विस्तार दिया जा सकता है। संदर्भ सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री स्थानीय तथा सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, जबकि प्रस्तुति सिद्धांत के अनुसार पुस्तक का चित्रांकन एवं स्वरूप विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। विविधता और समावेशन सिद्धांत के अनुरूप यह पुस्तक विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उचित प्रतिनिधित्व देती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि *मल्हार* शिक्षा में नवाचार को समाहित करने वाली एक प्रभावी पाठ्यपुस्तक है, जो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 की मूलभूत शिक्षा-नीतियों एवं सिद्धांत आदि को मूर्त रूप प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है तथा यह पुस्तक विद्यार्थियों के भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास आदि में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. https://www.ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf से प्राप्त किया गया।

———. 2024. *मल्हार*. कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf दिनांक 1 दिसंबर 2023 को प्राप्त किया गया।

https://ncf.ncert.gov.in/ दिनांक 1 दिसंबर 2023 को प्राप्त किया गया।

प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बुनियादी भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान पर 'निपुण भारत' मिशन के प्रभाव का अध्ययन

क्षमा पाण्डेय*
नीरज कुमार**
प्रवेन्द्र सिंह बिरला***

'निपुण भारत' मिशन का उद्देश्य एक ऐसे शैक्षणिक परिवेश का सृजन करना है, जिससे कक्षा 3 तक बच्चे पठन, वाचन एवं लेखन के साथ संख्या ज्ञान की अपेक्षित योग्यता अर्जित कर सकें। बरेली जनपद के 5 प्राथमिक विद्यालयों से सामान्य यादृच्छिक विधि का प्रयोग करके 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें 62 छात्र तथा 38 छात्राएँ सम्मिलित थीं। बुनियादी हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा गुणात्मक विश्लेषण हेतु चयनित गद्यांश (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) का वाचन एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए गए। तदुपरांत 'निपुण भारत' मिशन के अंतर्गत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण को जानने हेतु 15 शिक्षकों का चयन सोद्देश्य विधि से किया गया तथा संरचित साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके प्रदत्तों को संग्रहीत किया गया साथ ही शिक्षकों के दृष्टिकोण का गुणात्मक विश्लेषण का प्रयास इस शोध-पत्र में दिया गया है। प्रदत्तों के संख्यात्मक विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण एवं कोहेन्स डी मान की गणना की गई है तथा गुणात्मक विश्लेषण हेतु थीमैटिक एनालिसिस एवं विषय-वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया। शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं (विद्यार्थियों) की बुनियादी साक्षरता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह शोध अध्ययन 'निपुण भारत' मिशन के अंतर्गत समावेशन एवं जेंडर समानता एवं मूल्य संवर्धन की अवधारणा को बल देता है तथा सांख्यिकीय आधार पर पुष्टि करता है कि छात्र और छात्राएँ समान शैक्षणिक क्षमता रखते हैं, जो 'निपुण भारत' मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इस शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि समावेशी दृष्टिकोण के साथ 'निपुण भारत' मिशन सकारात्मक रूप से प्रतिफलित हो रहा और एक अधिक समतामूलक शिक्षा प्रणाली के निर्माण की ओर अग्रसर है। मानव सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक परिमार्जन उसकी विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता एवं सृजनशीलता का परिणाम है। बच्चे जन्म लेने के साथ ही शिक्षा द्वारा सुसंस्कारित होता जाता है, जो उसे सामाजिक रूप से उपयोगी बनाता है।

सह-आचार्य, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243006
***सहायक आचार्य*, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243006
****शोधार्थी*, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243006

शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण करती है और मानवीय गुणों से परिपूर्ण करती है। शिक्षा स्वयं में साध्य तथा साधन दोनों है, क्योंकि यह मानव जीवन की यात्रा के आरंभ से अंत तक सतत प्रवाहित होती रहती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) में संज्ञान में लिया कि बच्चों के प्रारंभिक 08 वर्ष संपूर्ण जीवन की आधारशिला होते हैं। इस अवधि में प्रारंभिक देखभाल के साथ बच्चों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता की भी बुनियाद रखी जाती है। यह बुनियाद जितनी अधिक सुदृढ़ होगी जीवन में सीखने की योग्यता उतनी ही सशक्त होगी। इस आयु में सीखी गई भाषिक एवं आंकिक योग्यता जीवनपर्यंत काम आती है। इसी विचार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र में रखते हुए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। 'निपुण भारत' मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुनियोजित कदम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान (एफ.एल.एन.) अर्जित करना है। इस योजना का अभिधेय शैक्षणिक परिवेश एवं अधिगम प्रणाली को नवाचारी एवं रुचिकर बनाना तथा उनके साक्षरता कौशल को बढ़ाना, जिससे विद्यार्थी मध्यावधि में विद्यालय को न छोड़ सकें।

'निपुण भारत' मिशन के उद्देश्य

'निपुण भारत' मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- कक्षा 3 में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ सकें तथा साथ ही भाव बोध भी कर सकें, 9999 तक के अंकों का पठन, लेखन तथा संबंधित सरल गुणन समस्याओं को हल करने की अभिक्षमता विकसित भी कर सकें, इस लक्ष्य प्राप्ति की अवधि 2026–27 तक रखी गई है।
- वर्ष 2025 तक की अवधि में यह लक्षित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल अर्जित कर लेना चाहिए।
- इस मिशन का उद्देश्य विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाना तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना है।
- इसमें ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परिकल्पित की गई है, जो अभिनूतन, नवाचारी, स्मार्ट एवं वैश्विक हो, जिससे प्रत्येक बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि परीक्षण में रचनात्मक आकलन को समाहित करें, जैसे— प्रश्नोत्तरी, खेल, सर्वेक्षण आदि सीखने के उद्देश्य से संगीत, कविता, नाटक जैसी गतिविधियाँ शामिल हों।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के उद्देश्य

- वर्ष 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने-लिखने तथा संख्या ज्ञान में कक्षा स्तर की दक्षता प्राप्त करें।

- गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अपनाकर बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना।
- सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर दृष्टि रखने तथा समय-समय पर विद्यालय आधारित आकलन के संचालन को सुनिश्चित करना।

'निपुण भारत' मिशन की आवश्यकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नवीन पाठ्यचर्चा एवं शिक्षणशास्त्रीय संरचना 5+3+3+4 की प्रणाली के अनुसार की गई। इस प्रणाली में विद्यार्थी को अपनी शैक्षणिक आधारशिला को सशक्त करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देती है। इस नीति में शिक्षा का आधारभूत चरण 03 से 05 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें प्रथम 03 वर्ष बालवाटिका तथा बाद के 02 वर्ष कक्षा 1 व 2 के लिए हैं। इस चरण में बच्चों के लिए खेल तथा गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति, भाषा कौशल एवं संख्या ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। बुनियादी साक्षरता के लिए स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल बनाने तथा उसे लागू करने का भी प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल है। तीन महीने के इस मॉड्यूल में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या इत्यादि के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। दीक्षा पोर्टल भी इस बुनियादी साक्षरता के अभियान में वाहक की भूमिका का निर्वहन करेगा, इस हेतु पोर्टल में साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित बहुभाषाई विषय सामग्री अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों में भाषा एवं संख्या ज्ञान के कौशल का निर्माण एवं इस संदर्भ में दिशा-निर्देश देने हेतु भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता मिशन का आरंभ किया है। इस मिशन का उद्देश्य 2020–27 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को संपूर्ण रूप से लागू करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर बुनियादी शिक्षा का प्रभाव विद्यार्थियों के समग्र विकास पर होगा।

शोध की आवश्यकता

बच्चों की पारिवारिक शिक्षा के उपरांत औपचारिक शिक्षा का आरंभ हो जाता है, जिसे प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा एक अनिवार्य चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि मैकॉले के निस्यंदन जैसे सिद्धांत ने शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जनमानस के लिए जटिल बना दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा के विषय में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि तक 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व होगा। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए आश्रम विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा गारण्टी योजना, छात्रवृत्ति, मुफ़्त

पोशाक एवं पुस्तकें आदि योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। सर्व शिक्षा अभियान 2000–21 का उद्देश्य 04 से 06 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करते हुए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था।

भारत में शिक्षा का वितरण सदैव से असमान रहा है। शहरी क्षेत्रों में निजी प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ बुनियादी शिक्षा में नवाचार शामिल करते हुए कौशल आधारित शिक्षा से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार हो रहा है, वहीं ग्रामीण शिक्षा का परिदृश्य अभी भी निराशाजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता है (सरकार, 2022)। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे— विद्यालय भवन, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के वेतन, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति तथा विद्यार्थियों के अच्छे प्रदर्शन की कमी आदि मुद्दों से संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन दर हासिल कर ली है, फिर भी भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रदर्शन का सतत मूल्यांकन आवश्यक है (शाहजेब एवं खान, 2024)। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को न तो पारिवारिक सहयोग मिलता है और न ही उचित शैक्षणिक परिवेश मिल पाता है। भारत में साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर शोध बुनियादी कौशल विकसित करने में घरेलू वातावरण कारकों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। परिवार की सीखने की पृष्ठभूमि, पढ़ने की गतिविधियाँ तथा घरेलू संसाधन बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान अधिग्रहण को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं (कुमार एवं बेहरा, 2022)। अत: सीखने में घर एवं विद्यालय दोनों ही सहयोगी कारक हैं। विद्यार्थी कक्षा में इतना नहीं सीख पाते कि कक्षा 04 तक आते-आते अनुच्छेद का शुद्ध पठन प्रवाह के साथ कर सकें और न ही सीखने के अन्य कौशल अर्जित कर पा रहे हैं। भारत ने प्राथमिक तथा साक्षरता को सार्वभौमिक बनाने में चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इन मुद्दों को हल करने के लिए माइक्रोप्लानिंग, सीखने के न्यूनतम स्तर और अभिनव अभियान दृष्टिकोण जैसी नई रणनीतियों को अपना रहा है। देश सामाजिक परिवर्तन के लिए साक्षरता कौशल को बनाए रखने एवं लागू करने के महत्त्व को पहचानता है (बोर्डिया एवं कौल, 1992)। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम योग्यता स्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कक्षा शिक्षण में साक्षरता और संख्या ज्ञान को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं (शरीफ़ाह एवं हमदू, 2021)। सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में भारत के प्रयासों की सफलता का 200 मिलियन से अधिक बच्चों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा तथा अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए मूल्यवान होगा (मुरलीधरन एवं सिंह, 2021)। इसी संदर्भ में शोधार्थी द्वारा यह शोधन करने का प्रयास किया है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता के स्तर को समझा जाए। साथ ही 'निपुण भारत' मिशन के उद्देश्यों के सापेक्ष यह भी ज्ञात करना है कि क्या छात्र एवं छात्राएँ समान बुनियादी साक्षरता को अर्जित कर रहे हैं? क्या 'निपुण भारत' मिशन समावेशन की संकल्पना को साकार कर पा रहा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु इस शोध अध्ययन में प्राथमिक स्तर के बच्चों के बुनियादी भाषा ज्ञान (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) एवं संख्या ज्ञान का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त चरों की कार्यकारी परिभाषाएँ

क. *बुनियादी साक्षरता (भाषा) योग्यता*

बुनियादी साक्षरता 'निपुण भारत' मिशन का एक अंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी साक्षरता का अभिप्राय यह है कि छोटे बच्चे अनुच्छेद का पठन कर उसके अभिप्राय को गृहीत कर सकें। साथ ही उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें। संख्या ज्ञान का आशय यह है कि बच्चे अंकों को पहचान सकें तथा जोड़-घटाव की बुनियादी संक्रियाओं को करने में समर्थ हो सकें।

इस शोध अध्ययन में बुनियादी भाषा योग्यता का अभिप्राय अध्ययनरत कक्षा की पाठ्यपुस्तक से चयनित अनुच्छेद (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) का पठन, वाचन, अवबोध, लेखन व संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता से संबंधित है।

ख. *संख्या ज्ञान*

संख्या ज्ञान, बुनियादी जोड़ एवं घटाव करने की क्षमता को बुनियादी संख्या ज्ञान कहते हैं।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे—

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान का विषयवार गुणात्मक अध्ययन करना।
2. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान का विषयवार अध्ययन करना।
3. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी संख्या ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बुनियादी हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान में जेंडर प्रभाव के आकार का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध के उद्देश्यों के अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ थीं—

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के मध्य बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के मध्य बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के मध्य बुनियादी संख्या ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रविधि

इस शोध अध्ययन हेतु मिश्रित शोध विधि (वर्णनात्मक सर्वेक्षण एवं गुणात्मक) का चयन किया गया है तथा शोध अध्ययन शैक्षणिक सत्र 2022–23 में किया गया। मात्रात्मक शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श का चयन सामान्य यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम बरेली जनपद के 05 प्राथमिक विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय लखनपुर, बंजारिया, रतनगढ़, नौली एवं खतौला) का चयन सोद्देश्य विधि से किया गया। तदुपरांत सामान्य यादृच्छिक विधि का प्रयोग करके 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें 62 छात्र तथा 38 छात्राएँ सम्मिलित थीं। शोधार्थी द्वारा प्रदत्त संग्रह से पूर्व विषय ज्ञान हेतु विद्यार्थियों को संबंधित विषय सामग्री उपलब्ध करवाकर शोधार्थी द्वारा एक सप्ताह का शिक्षण-अधिगम कार्यक्रम संपादित किया गया था। बुनियादी हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली निर्माण हेतु कक्षा 3 के स्तर की हिंदी भाषा की पुस्तक (*बाल कथा साहित्य*, 2021) से 'बीमार मुर्गी एवं बिल्ली' तथा अंग्रेज़ी भाषा में 'The Ant and Dove' (*पेटल्स*, 2021, सिंघल एजेंसीज़, मथुरा, पाठ्यपुस्तक विभाग शिक्षा निदेशालय (बेसिक), उ.प्र.) नामक प्रकरण का चयन करके 10-10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण चित्र के साथ किया गया तथा संख्यात्मक योग्यता के मापन हेतु पाठ्यक्रम से समान कठिनाई स्तर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण किया गया। पद-विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रश्नों की सार्थकता ज्ञात करके उन्हें अंतिम प्रारूप दिया गया, इस प्रकार प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्नों को समाहित किया गया था। प्रश्नावली की विश्वसनीयता 0.74 परिगणित की गई। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु ग्राफ़, टी-परीक्षण एवं कोहेन्स डी मान का उपयोग किया गया है। गुणात्मक विश्लेषण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्हीं चयनित 100 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों का चयन करके उनकी बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) एवं संख्या ज्ञान को समझने के लिए चयनित गद्यांश (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) का वाचन एवं संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए गए। तदुपरांत शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन्हीं 5 प्राथमिक विद्यालयों से 15 शिक्षकों का चयन सोद्देश्य विधि से किया गया तथा संरचित साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके प्रदत्तों को संग्रहीत किया गया। प्रदत्तों का गुणात्मक

चित्र 1

स्रोत— बाल कथा साहित्य, 2021, सिंघल एजेंसीज, मथुरा, उ.प्र.

चित्र 2

स्रोत— पेटल्स, 2021, सिंघल एजेंसीज़, मथुरा, उ.प्र.

विश्लेषण थीमैटिक एनालिसिस एवं विषय-वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष

शोध अध्ययन में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) एवं संख्या ज्ञान का गुणात्मक विश्लेषण किया गया, तदुपरांत छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) एवं संख्या ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसका उद्देश्य के अनुसार गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण निम्नलिखित रूप से किया गया है।

प्रथम उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान का गुणात्मक अध्ययन करना।

बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान का गुणात्मक विश्लेषण।

(क) बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता

चयनित प्रकरण बुनियादी 'बीमार मुर्गी और बिल्ली' तथा अंग्रेज़ी भाषा के 'The Ant and Dove' का सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं सीखने की योग्यता की दृष्टि से क्रमश: विश्लेषण किया गया।

प्रकरण— एक बार की बात -- सतर्क रहना चाहिए।

निष्कर्ष

क. शोध अध्ययन में 86 प्रतिशत विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण के साथ अनुच्छेद को पढ़ने में समर्थ थे, वहीं 67 प्रतिशत विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता पाने में समर्थ थे।

ख. कठिन शब्द— असमर्थ, भरोसा, दया, मदद, वादा, धोखा आदि।

ग. प्रतिक्रिया— मात्र 40 प्रतिशत विद्यार्थी पाठ में आए मुहावरे 'जाल में फँसाना' एवं 'इरादों को भांपना' का सही अर्थ बता पाए। इसका कारण यह हो सकता है, विद्यार्थियों को स्तरीय हिंदी व्याकरण की शिक्षा व्यवस्था का अभाव हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी कम सीख पा रहे हों। भट्ट (2022) ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों की व्याकरणिक क्षमताओं की तुलना की और पाया कि शहरी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर था।

घ. इस कहानी से प्राप्त शिक्षा के बारे में 89 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सकारात्मक उत्तर दिया कि यह कहानी हमें सतर्कता, बुद्धिमत्ता तथा सही निर्णय लेने की शिक्षा देती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें।

गुणात्मक विश्लेषण (बुनियादी हिंदी भाषा)

'बीमार मुर्गी और बिल्ली' नामक प्रकरण के शिक्षण एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तरों से प्राप्त प्रतिक्रिया से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया तथा विषय के प्रति उनके दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट रूप से समझने में सहायता प्राप्त हुई। इस कहानी के शिक्षण से यह ज्ञात हुआ कि ये कहानी बच्चों की भाषा कौशल तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। शिक्षकों ने अपने शिक्षण अनुभवों से स्पष्ट किया कि बीमार मुर्गी और बिल्ली जैसी

कहानियाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक संबंधित होने के कारण विद्यार्थियों के लिए अधिक बोध ग्राह्य हैं, क्योंकि इस प्रकार की कहानियों की विषय-वस्तु स्थानीय और सामान्य जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है। यह कहानी न केवल भाषा की समझ को बढ़ाती है, बल्कि बच्चों में सहानुभूति तथा नैतिक शिक्षा भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से इस प्रकरण के माध्यम से शोध अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि बच्चे हिंदी भाषा में कहानियों के प्रति सहज रुचि रखते हैं और यह उनकी सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। यदि यह कहानी चित्रमय होती तथा किसी दृश्य माध्यम से दिखाया जाता तो निश्चय ही विद्यार्थियों की समझ एवं चिंतन पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता और अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रकरण में आए हुए मुहावरों को समझने में समर्थ हो पाते। समस्त पाठ्यचर्या में भाषा एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है, इसलिए भाषा में संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग आवश्यक है (गंगवार, 2024)।

(ख) बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता

The Ant and Dove (अंग्रेज़ी प्रकरण) —

Once upon a time, in a lush green -------------------------------------- always reciprocated.

निष्कर्ष

क. पठन— कक्षा के मात्र 48 प्रतिशत विद्यार्थी ही पाठ का पठन शुद्ध उच्चारण के साथ कर पाए अर्थात् विद्यार्थियों को वाचन में भाषागत कठिनाई हुई।

ख. कठिन शब्द— Lush, Plight, Desperately, Timely, Repay, Crawled, Aimed, Startled

ग. प्रतिक्रिया

- कक्षा के मात्र 52 प्रतिशत विद्यार्थी Timely, Repay, एवं Aimed का सही अर्थ बता पाए।
- Plight, Desperately, Crawled, Startled का सही अर्थ बताने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग नगण्य (20 प्रतिशत) थी। साथ ही विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा के कठिन शब्दों से अपरिचित हैं।

घ. पाठ के अंत में जब विद्यार्थियों से पाठ से सीखे हुए नैतिक मूल्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया तो 63 प्रतिशत विद्यार्थियों ने लगभग सही उत्तर दिया कि इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए।

गुणात्मक विश्लेषण

शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार 'The Ant and Dove' एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कहानी है, जो बच्चों को नैतिकता तथा सहानुभूति सिखाने के लिए अंग्रेज़ी कक्षा में पढ़ाई जाती है। इस प्रकार की कहानियाँ, जिनमें छोटे शब्द तथा साधारण शब्दावली का उपयोग होता है, बच्चों की अंग्रेज़ी भाषा कौशल में सुधार करने के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

शिक्षकों का मानना है कि अंग्रेज़ी के प्रति बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है और यह कहानी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकती है। इसे बच्चों की

सृजनात्मकता तथा सरल शब्दों के माध्यम से अंग्रेज़ी के साथ, उनकी पहचान को मजबूत करने के लिए भी जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार की कहानियाँ बच्चों को सीखने में धैर्य और समर्थन देती हैं, जिससे उनकी अंग्रेज़ी भाषा के प्रति रुचि तथा आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है। शिक्षकों ने प्रतिक्रिया दी कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित शिक्षकों को भी समय-समय पर अंग्रेज़ी भाषा में कुशलता प्राप्त करने हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। चान एवं अन्य (1999) ने नौकरी-संबंधित अंग्रेज़ी दक्षता का आकलन वृत्तिक प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए विकसित किया एवं शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अभिविन्यास कार्यक्रम पेशेवर सेटिंग्स में बोली जाने वाली और लिखित अंग्रेज़ी भाषा की दक्षता को संवर्धित करने में सहायक होता है। विद्यार्थियों के बीच अंग्रेज़ी भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए मिश्रित शिक्षण मॉडल जैसे अभिनव शिक्षण विधियों की सहायता ली जानी चाहिए (फैन एवं लुओ, 2024)।

(ग) बुनियादी संख्या ज्ञान

गणितीय अवधारणाओं के प्रति विद्यार्थियों की समझ, आत्मविश्वास और कठिनाई के स्तर को समझने की दृष्टि से सामान्य गणित के निम्न प्रश्नों को शामिल करके विश्लेषण किया गया है—

सामान्य संख्या ज्ञान संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण

प्रश्न 1— दो संख्याओं 25 और 15 का योग क्या है?

प्रश्न की प्रकृति— यह एक बुनियादी जोड़ का प्रश्न है, जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सरल होना चाहिए।

प्रतिक्रिया— शिक्षकों द्वारा बताया गया कि अधिकांश विद्यार्थी सरल जोड़-घटाव के प्रश्नों को समझते हैं और हल कर पाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी गणित के प्रति आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं। गणित में 63 प्रतिशत विद्यार्थियों की सकारात्मक अभिरुचि इस प्रकार के सरल प्रश्नों के प्रति है, लेकिन जटिल प्रश्नों पर आत्मविश्वास में कमी देखी जाती है। गणित को लेकर भय और असहजता अधिकतर कठिन सवालों पर देखी जाती है।

प्रश्न 2— यदि 1 किलो आम की कीमत 40 रुपये है, तो 5 किलो आम की कीमत कितनी होगी?

प्रश्न की प्रकृति— यह प्रश्न गुणा के सरल अनुप्रयोग पर आधारित है, जो दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है।

प्रतिक्रिया— यह प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया। जिसे 71 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही किया। शोध अध्ययन में विद्यार्थियों से प्रश्नों को हल करवाने के पश्चात् शिक्षकों से विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई, गणित के शिक्षकों ने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों की रुचि अधिक होती है, क्योंकि यह व्यावहारिक जीवन से संबंधित हैं। हालाँकि, कुछ बच्चे गुणा की अवधारणा में संघर्ष करते हैं।

विश्लेषण

इस प्रकार के वास्तविक जीवन के प्रश्न विद्यार्थियों को गणित सीखने में मदद कर सकते हैं, खासकर यदि वे आर्थिक या दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़े हों। लेकिन गुणा के प्रति आत्मविश्वास की कमी से यह प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए सहज नहीं होते।

प्रश्न 3— एक आयत का क्षेत्रफल निकालिए, जिसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है।

प्रश्न की प्रकृति— यह प्रश्न क्षेत्रफल की अवधारणा पर आधारित है, जो थोड़ी अधिक जटिल है।

प्रतिक्रिया— इस प्रश्न को 58 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही किया। प्रस्तुत प्रश्न के सापेक्ष में शिक्षकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस प्रकार के ज्यामितीय प्रश्न अधिकतर विद्यार्थियों के लिए कठिन होते हैं व उनकी सकारात्मक अभिरुचि इसमें कम होती है।

विश्लेषण

गणित के 58 प्रतिशत विद्यार्थी ही सकारात्मक अभिरुचि दिखाते हैं, जिसका कारण यह है कि ज्यामितीय या अवधारणात्मक प्रश्न उनके लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी पाई गई अरुवी एवं 'विंटेरे' (2023) ने शोध अध्ययन के आधार पर बताया कि गणित के बारे में डर तथा बेचैनी अक्सर तब बढ़ जाती है जब विद्यार्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी चिंता होती हैं। इस प्रक्रिया को 'गणित की चिंता' कहा जाता है, जो विभिन्न संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें पूर्व ज्ञान, सीखने की रणनीतियाँ और व्यक्तिगत आत्मविश्वास का स्तर शामिल है। शोध से पता चलता है कि विद्यार्थियों को अक्सर तनाव व डर का अनुभव होता है, जब वे गणित के बारे में कठिन सवाल पूछते हैं।

शिक्षण विधियों पर गणित के प्रभाव का विश्लेषण

गणित शिक्षण के दौरान सरल जोड़-घटाव तथा दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न बच्चों में अधिक रुचि पैदा करते हैं, जैसे— 5 किलो आम की कीमत जैसे व्यावहारिक प्रश्नों पर बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कठिन अवधारणाओं, जैसे— क्षेत्रफल या अन्य ज्यामितीय प्रश्नों, को समझने में विद्यार्थी कठिनाई महसूस करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में, शिक्षकों का कहना है कि विद्यार्थियों की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही, शिक्षण को गतिविधि आधारित नवाचारी बनाए जाने की भी आवश्यकता है। कट्ज़र्ज एवं अन्य (2006) ने एक अध्ययन के आधार पर निरूपित किया कि जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बुनियादी भाषा और गणित कौशल विकसित करते हैं, वे उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समयोपरांत बालक के विकास के साथ बुनियादी संख्या ज्ञान के साथ-साथ बुनियादी हिंदी तथा अंग्रेज़ी भाषा योग्यताओं के मध्य दक्षताओं के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर्संबंधों का विकास होता है। इर्तुर्क एवं अज़देमीर (2022) के अनुसार भाषा अधिग्रहण विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें आयु, प्रेरणा तथा शिक्षण रणनीतियाँ शामिल हैं, जो बोलने, लिखने, पढ़ने एवं सुनने के कौशल विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

द्वितीय उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान का विषयवार अध्ययन करना।

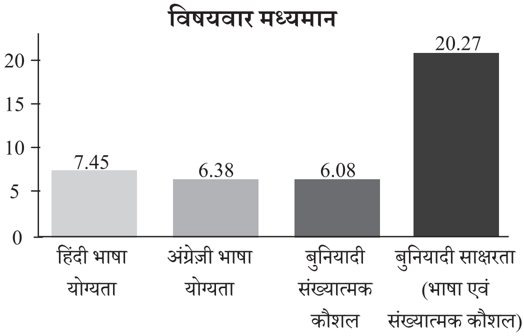

रेखाचित्र 1

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता, बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान मध्यमान को रेखाचित्र 1 में दर्शाया गया है। इस रेखाचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि बुनियादी हिंदी भाषा में विद्यार्थी अंग्रेज़ी एवं संख्यात्मक कौशल की अपेक्षा अधिक योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं। प्राप्त निष्कर्षों से यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों की मातृभाषा हिंदी होने के कारण उनकी बुनियादी हिंदी भाषा साक्षरता भी अन्य विषयों की तुलना से अपेक्षाकृत अधिक है। जबकि विद्यार्थियों की समग्र बुनियादी साक्षरता (भाषा एवं संख्यात्मक कौशल) का अवलोकन मध्यमान 20.27 के आधार पर निष्कर्ष संतोषजनक प्रतीत होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थियों की मातृभाषा हिंदी है, जिससे वे हिंदी भाषा को अधिक सहजता तथा समझ के साथ ग्रहण करते हैं। मातृभाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिक स्वाभाविक होती है, जिससे उनकी हिंदी भाषा में दक्षता अधिक होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम पद्धति में मातृभाषा की भूमिका को बढ़ा दिया जाए एवं शिक्षा के लिए मातृभाषा को ही माध्यम बनाया जाए तो निश्चय ही बुनियादी साक्षरता के मानक को प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच बुनियादी हिंदी, अंग्रेज़ी और संख्या ज्ञान के अध्ययन से शैक्षिक पद्धतियों तथा विद्यार्थी दक्षताओं में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का पता चलता है। प्रभावी भाषा शिक्षण, विशेषरूप से प्रारंभिक कक्षाओं में, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल के एकीकरण पर बल देता है, जो भाषाई दक्षता विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं (भट्टराई, 2024)। इसके अलावा, पढ़ने, लिखने और अंकगणित में बुनियादी दक्षताओं का आकलन विभिन्न संदर्भों में लागू किया गया है, जो शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत पद्धतियों की आवश्यकता को दर्शाता है (चौधरी एवं अन्य, 1994)।

तृतीय उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तदर्थ बुनियादी साक्षरता योग्यता प्रश्नावली से प्रदत्त संकलित किए गए। तदंतर टी-मान की गणना के द्वारा दोनों समूहों के मध्य सार्थकता स्तर ज्ञात किया गया, जो तालिका 1 में दर्शाया गया है। तालिका 1 में दिए गए मान के आधार पर छात्रों एवं छात्राओं का बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी) हेतु मध्यमान क्रमशः 7.35 एवं 7.55 तथा मानक विचलन मान 1.36 एवं 1.77 है। दोनों समूहों के मध्य बुनियादी भाषा योग्यता (हिंदी)

तालिका 1 — छात्र एवं छात्राओं की बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

विषय	विद्यार्थी समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
हिंदी भाषा योग्यता	छात्र	62	7.35	1.36	0.739	0.05	अस्वीकृत
	छात्राएँ	38	7.55	1.77			

हेतु प्राप्त टी-मान 0.739 है, जो सार्थक स्तर सारिणी मान से कम है। अत: स्पष्ट है कि शून्य परिकल्पना 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है' स्वीकार की जाती है। इसका आधार यह हो सकता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् दोनों समूहों की बुनियादी हिंदी भाषा योग्यता लगभग समान स्तर की है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सरकारी विद्यालयों में प्रायः शैक्षिक अवसरों की समानता है, कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी होती हैं, जिससे उनकी भाषा योग्यता समान स्तर पर विकसित होती है। सेजर्स एवं अन्य (2024) ने स्पष्ट किया कि 'निपुण भारत' जैसी सरकारी योजनाओं से विद्यार्थियों में भाषाई साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भाषा के प्रभाव के कारण उनकी ज्ञान अर्जन में अधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।

चतुर्थ उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की बुनियादी भाषा (अंग्रेज़ी) योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तदर्थ बुनियादी साक्षरता योग्यता प्रश्नावली से प्रदत्त संकलित किए गए। तदंतर टी-मान की गणना के द्वारा दोनों समूहों के मध्य सार्थकता स्तर ज्ञात किया गया, जो तालिका 1–2 में दर्शाया गया है। तालिका मान के आधार पर छात्रों एवं छात्राओं की बुनियादी भाषा योग्यता (अंग्रेज़ी) हेतु मध्यमान क्रमश: 6.38 एवं 6.39 तथा मानक विचलन मान 1.30 एवं 1.70 है। दोनों समूहों के मध्य बुनियादी भाषा योग्यता (अंग्रेज़ी) हेतु प्राप्त टी-मान 1.44 है, जो सार्थक स्तर 0.05 सारणी मान से कम है। अत: स्पष्ट है कि शून्य परिकल्पना 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है' स्वीकार की जाती है। इसका आधार यह हो सकता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् दोनों समूहों की बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता लगभग समान स्तर की है। समाज में शिक्षा एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता में अभिवृद्धि हुई है, जिसके कारण विद्यालयों में लड़कियों को भी समान शैक्षिक संसाधनों के साथ नवीकृत शैक्षिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा विशेषरूप से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, जैसे— 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना'। इन योजनाओं के

तालिका 2 — छात्र एवं छात्राओं की बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

विषय	विद्यार्थी समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
बुनियादी अंग्रजी भाषा योग्यता	छात्र	62	6.38	1.30	1.44	0.05	अस्वीकृत
	छात्राएँ	38	6.39	1.70			

तालिका 3 — छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी संख्या ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन

विषय	विद्यार्थी समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
संख्या ज्ञान	छात्र	62	6.09	1.27	0.065	0.05	अस्वीकृत
	छात्राएँ	38	6.07	1.42			

माध्यम से लड़कियों की शिक्षा पर ज़ोर दिया गया है, जिससे उनकी बुनियादी अंग्रेज़ी भाषा योग्यता लड़कों के समान ही प्रदर्शित हो रही है। अंग्रेज़ी भाषा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिया नवाचारी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, ओफ्रा एवं अन्य (2019) ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि चित्र आधारित शिक्षण प्रतिमान एवं आर्य (2020) ने इनसाइड-आउटसाइड सर्किल शिक्षण प्रतिमान से विद्यार्थियों के भाषा लेखन कौशल को विकसित किया जा सकता है।

पंचम उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी संख्या ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं (विद्यार्थियों) के बुनियादी संख्या ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तदर्थ बुनियादी साक्षरता योग्यता प्रश्नावली से प्रदत्त संकलित किए गए। तदंतर टी-मान की गणना के द्वारा दोनों समूहों के मध्य सार्थकता स्तर ज्ञात किया गया, जो तालिका 3 में दर्शाया गया है। तालिका 3 में दिए गए मान के आधार पर छात्रों एवं छात्राओं का बुनियादी संख्या ज्ञान हेतु मध्यमान क्रमश: 6.09 एवं 6.07 तथा मानक विचलन मान 1.27 एवं 1.42 है। दोनों समूहों के मध्य बुनियादी संख्या ज्ञान के लिए टी-मान की गणना की गई, जिसका मान 0.065 प्राप्त हुआ है, यह मान सारणी मान से कम है। अत: स्पष्ट है कि शून्य परिकल्पना 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी संख्या ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है' स्वीकार की जाती है। इसका आधार यह हो सकता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी संख्या ज्ञान में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् दोनों समूहों के मध्य बुनियादी संख्या ज्ञान समान स्तर का है। समान रूप से यादव (2022) ने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच गणितीय कौशल का अध्ययन किया गया तथा पाया कि वर्तमान समय में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षणिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है, गणित जैसे विषयों के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही स्तर की किताबें तथा अभ्यास सामग्री दी जाती हैं, जिससे उनके संख्या ज्ञान में समानता बनी

तालिका 4 — विद्यार्थियों की बुनियादी हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान में जेंडर प्रभाव के आकार का अंतर्विषयात्मक अध्ययन

बुनियादी साक्षरता के विषय	कोहेन्स डी मान	प्रभाव
हिंदी भाषा	0.130	नगण्य
अंग्रेज़ी भाषा	0.006	नगण्य
संख्या ज्ञान	0.015	नगण्य

रहती है। परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में छात्र और छात्राओं से समान अपेक्षाएँ रखी जाती हैं, जिससे उनके प्रदर्शन और कौशल में समानता बनी रहती है। विद्यालय में छात्र तथा छात्राएँ एक साथ पढ़ाई करते हैं और समूह अध्ययन में भाग लेते हैं। इससे उनके बीच परस्पर सहयोग और सीखने की प्रक्रिया समान रूप से होती है, जिससे वर्तमान परिदृश्य में उनकी संख्यात्मक योग्यता में अंतर नहीं है।

षष्टम उद्देश्य— सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बुनियादी हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान में जेंडर प्रभाव के आकार का अध्ययन करना।

विभिन्न बुनियादी साक्षरता समूहों (हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान) के बीच जेंडर प्रभाव के आकार के अध्ययन हेतु मध्यमान की तुलना करने के लिए कोहेन के डी मान की गणना प्रत्येक विषय के लिए की गई। वस्तुत: कोहेन का डी मान दो समूह माध्य के बीच मानकीकृत अंतर को मापता है। इस शोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक विषय के अंतर्गत उनके समूहों के बीच माध्य की तुलना करने के लिए कोहेन के डी मूल्य की गणना की गई है। बुनियादी हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान के लिए कोहेन के डी मान क्रमश: 0.130, 0.006 एवं 0.015 हैं, जो तालिका 4 में प्रदर्शित हैं, तीनों विषयों (हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा और संख्या ज्ञान) के लिए कोहेन्स डी मान बहुत छोटे अर्थात् नगण्य हैं। अतः उस परिणाम के आधार पर स्पष्ट है कि सभी विषय जेंडर संदर्भ में नगण्य प्रभाव आकार दिखाते हैं, अर्थात कोहेन्स डी मान बुनियादी साक्षरता समूहों (हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा एवं संख्या ज्ञान) के मध्य छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन में न्यूनतम अंतर को दर्शाता है। वस्तुत: औसत कोहेन का डी मान 0.015, अधिकतम कोहेन का डी मान 0.130 तथा न्यूनतम कोहेन का डी मान 0.006 होता है। तालिका 4 के मान दर्शाते हैं कि सभी विषयों के लिए विद्यार्थियों के प्राप्त डी मान का प्रभाव आकार नगण्य हैं। इससे ज्ञात होता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समस्त विद्यार्थियों के बीच इन बुनियादी साक्षरता कौशलों में कोई व्यावहारिक अंतर नहीं है, जो रेखाचित्र 1 में भी स्पस्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा प्रभाव आकार दर्शाता है, लेकिन इसके बाद भी कोहेन्स डी मान 0.130 के आधार पर छात्र एवं छात्राओं के संदर्भ में इसका प्रभाव नगण्य माना जा सकता है। अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव आकार सबसे छोटा 0.006 है, उसके बाद संख्या ज्ञान 0.015 है। इस आधार पर कह सकते हैं कि छात्र एवं छात्राओं का बुनियादी साक्षरता (भाषा एवं संख्या ज्ञान) योग्यता लगभग समान है, जो समावेशी शिक्षा की संकल्पना को साकार करता है। समावेशी शिक्षा

का उद्देश्य सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना है। जो आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वे इस बात का समर्थन करते हैं कि छात्र एवं छात्राएँ दोनों भाषा तथा गणितीय कौशल में समान प्रदर्शन कर रहे हैं। भाषा तथा गणितीय कौशल के बीच संबंध भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वे संज्ञानात्मक प्रसंस्करण क्षेत्रों को साझा करते हैं, जो समवर्ती विकास की क्षमता का संकेत देता है फारुख एवं अन्य (2020)। इस शोध अध्ययन के परिणामों के विपरीत मेहमूद एवं हुसैन (2022) तथा गरुवा एवं मोयो (2014) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच हिंदी, अंग्रेज़ी तथा संख्या ज्ञान में शैक्षणिक प्रदर्शन पर जेंडर का प्रभाव बहुआयामी है। इन शोध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जेंडर शैक्षणिक उपलब्धि को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विशेषरूप से सरकारी स्कूलों में, जहाँ छात्र अक्सर साक्षरता एवं संख्या ज्ञान परीक्षणों में छात्राओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि इस शोध अध्ययन के परिणामों पर 'निपुण भारत' अभियान सार्थक प्रभाव डाल रहा है एवं बुनियादी साक्षरता में जेंडर विभेद समाप्त हो रहा है। गरुवा एवं मोयो (2014) द्वारा जिम्बाब्वे में किए गए शोध अध्ययन में पाया गया कि जेंडर ने भाषा तथा गणितीय प्रदर्शन दोनों को प्रभावित किया, जिसमें समाजीकरण ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि भारतीय परिदृश्य में जेंडर विभेद समाप्त प्राय है, जिसमें 'निपुण भारत' मिशन का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

इस प्रकार भाषा तथा गणितीय कौशल के विकास में सकारात्मक संबंध को देखते हुए 'निपुण भारत' अभियान ने सभी विद्यार्थियों को एक-समान संसाधन और अवसर प्रदान किए हैं, जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को साकार करता है। सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम, जैसे समग्र शिक्षा सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराने पर ज़ोर देती हैं। इसके परिणामस्वरूप, जेंडर के अंतर को कम करने में सफलता मिली है, विद्यार्थियों की भाषा तथा संख्या ज्ञान में कोई महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई गई संख्या ज्ञान पर किए गए एक शोध अध्ययन से पता चला है कि दोनों जेंडर समान रूप से अच्छा निष्पादन करते हैं तथा गणित में औसत अंक अधिक होते हैं (इरवान एवं मसरूल, 2023)। बौद्धिक विकास के सिद्धांत, जैसे कि वाइगोत्स्की और पियाजे द्वारा दिए गए सामाजिक-सांस्कृतिक तथा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इस पर ज़ोर देते हैं कि सभी बच्चों का विकास उनके वातावरण और अवसरों पर निर्भर करता है। जब छात्र तथा छात्राओं को समान बौद्धिक वातावरण एवं प्रेरणा मिलती है, तो उनके कौशल का विकास समान होता है, जैसा कि प्रभाव आकार से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष

'निपुण भारत' मिशन ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के विकास में एक समावेशी और जेंडर समानता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। इस मिशन के तहत दिए जा रहे समान शैक्षिक अवसरों तथा संसाधनों के कारण छात्र और छात्राओं के बीच कौशल में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है, जैसा कि कोहेन्स डी के छोटे प्रभाव आकार से स्पष्ट है। भाषा तथा गणितीय कौशल के बीच संबंध भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वे संज्ञानात्मक प्रसंस्करण क्षेत्रों को साझा करते हैं, जो समवर्ती विकास की क्षमता का संकेत देता है (फारुख एवं अन्य, 2020)।

'निपुण भारत' मिशन का कार्य शिक्षा में समावेशी सिद्धांतों को साकार करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलें, वे भाषा तथा गणना कौशल में समान दक्षता हासिल कर सकें। इस प्रकार, यह मिशन भारत में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

'निपुण भारत' यह सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की नीतियों पर आधारित है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन से जेंडर रूढ़ियों का विघटन हुआ है, खासकर गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों में, जिन्हें पहले लड़कों के लिए प्राथमिक माना जाता था। अब लड़कियों को भी इन विषयों में प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे संख्या ज्ञान में भी समानता आई है। यह सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण संभव हुआ है, जो समावेशी शिक्षा को समर्थन देता है। जब छात्र और छात्राओं को समान सामाजिक और बौद्धिक अवसर दिए जाते हैं, तो वे समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को साकार करते हैं। प्रभाव आकार के छोटे आँकड़े यह दर्शाते हैं कि इन बच्चों में समान स्तर की बौद्धिक क्षमता और सामाजिक समर्थन है, जो समावेशी शिक्षा को सफल बनाता है।

'निपुण भारत' मिशन का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना, बच्चों को न्यूनतम अधिगम हेतु प्रेरित करना, प्राथमिक स्तर पर पहुँच, भागीदारी तथा उपलब्धि को सार्वभौमिक बनाना है, सामाजिक परिवर्तन के लिए साक्षरता कौशल को बनाए रखने व उसके अनुप्रयोग पर बल देना है। यह बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम कर रहा है, साथ ही ज़िम्मेदार नागरिकों को तैयार करने और एक उन्नत समाज के निर्माण में वर्तमान चुनौतियों का समाधान कर सकता है। यह दृष्टिकोण ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करेगा, जिनमें इक्कीसवीं शताब्दी के समग्र कौशलों का संवेशन होगा। वे भविष्य के आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में समर्थ होंगे।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं प्रशासकों के संदर्भ में समीचीन एवं प्रासंगिक हैं। 'निपुण भारत' मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता को क्रियात्मक बनाकर उनके समग्र शैक्षिक विकास को सशक्त करता है। शैक्षिक निहितार्थ निम्न प्रकार से दिए गए हैं—

विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

(क) भाषा शिक्षण में सुधार

- कठिन शब्दों और मुहावरों को समझने के लिए नियमित शब्दावली अभ्यास को आवश्यक बनाया जाना चाहिए।
- इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा चित्रों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया गया है, जबकि अधिनूतन नवाचारों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्क्रियात्मक तथा डिजिटल उपकरण (ऑनलाइन शब्दकोश, भाषा ऐप्स) के माध्यम से भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है तथा अंग्रेज़ी में उच्चारण को सहजता से बच्चे सीख सकते हैं।
- कहानी-आधारित शिक्षण को कैनवा जैसे कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरणों से विकसित

करके अंग्रेज़ी भाषा अधिगम को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

(ख) गणितीय दक्षता में वृद्धि

- संख्यात्मक गणनाओं को सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए खेल-आधारित शिक्षण (गेमिफ़िकेशन) को अपनाया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित जादुई पिटारा एवं शिक्षक संदर्शिकाओं का उपयोग करके विद्यार्थियों की आंकिक गणना योग्यता में अपेक्षित वृद्धि की जानी चाहिए।
- गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाने से विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

(ग) डिजिटल संसाधनों का उपयोग

- दीक्षा पोर्टल और ऑनलाइन शैक्षिक एप्लिकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों में स्व-अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए।
- शैक्षिक वीडियो एवं एनिमेशन का उपयोग कर कठिन विषयों को सरल एवं बोधगम्य बनाया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकर्षित कर सकेगा।
- ऑनलाइन टेस्ट एवं क्विज़ के माध्यम से विद्यार्थियों में स्व-आकलन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शिक्षकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

(क) शिक्षण विधियों में नवाचार

- मिश्रित शिक्षण (ब्लेंडेड लर्निंग) मॉडल को अपनाकर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण का समावेश किया जाना चाहिए।
- समूह चर्चा एवं संवादात्मक गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में शामिल किया जाना समीचीन होगा।
- भाषा शिक्षण में नाटक, कहानी सुनाने तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री का अधिक उपयोग करने के लिए जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ख) गणित शिक्षण को रुचिकर बनाना

- कठिन गणितीय अवधारणाओं को प्रत्यक्ष अनुभव एवं समस्या-आधारित शिक्षण-अधिगम उपागम के माध्यम से सिखाना, जिससे गणित शिक्षण को रुचिकर एवं सरल बनाया जा सकता है।
- ऑनलाइन गणितीय उपकरण, जैसे— जियोजेब्रा, डेसमोस आदि का उपयोग शिक्षकों द्वारा करके शिक्षण को नवाचारी बनाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी गणित विषय को सीखने के लिए अभिप्रेरित हो सकते हैं।

(ग) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डिजिटल शिक्षण उपकरणों के साथ जनरेटिव ए.आई. के उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए, जिससे शिक्षक स्वयं को उन्नत ज्ञान एवं शिक्षणशास्त्र के साथ अनुकूलित करने में समर्थ हो सकें।
- तकनीकी आधारित भाषा दक्षता कार्यक्रम से शिक्षकों के हिंदी एवं अंग्रेज़ी शिक्षण कौशल को उन्नत किया जा सकता है, क्योंकि इस शोध अध्ययन में अध्यापन परंपरागत एवं नवाचार दोनों विधियों के उपयोग द्वारा संपादित किया गया था, जिसे प्रभावी पाया गया। इसलिए

यह कहना उचित होगा कि भाषा संप्रेषण में कुशलता प्रदान करने हेतु शिक्षक द्वारा कार्टून, एनिमेटेड दृश्य-श्रव्य शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग अधिक प्रभावी होगा।

प्रशासकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

(क) शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता

- यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लासरूम एवं डिजिटल लैब की स्थापना की जाए तथा विद्यार्थियों में ई-पुस्तकालय एवं ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो निश्चय ही शिक्षक एवं विद्यार्थियों में नवाचारी होने की स्पर्धा के नवयुग का आरंभ संभव हो सकता है। विद्यार्थी भी आधुनिक संसाधनों के उपयोग से बुनियादी साक्षरता, भाषा दक्षता, गणतीय कौशल के लक्ष्य को अर्जित करने में सफल हो सकते हैं।

(ख) शिक्षकों की क्षमता निर्माण तकनीकी आधारभूत सुविधाओं में सुधार

- शिक्षकों के लिए नई तकनीकों से अवगत कराने हेतु ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएँ तथा नियमित कार्यशालाएँ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रणाली बनाई जाए, जिसका आधार विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एवं विद्यार्थी परस्पर अंतर्क्रियात्मक शिक्षण के माध्यम से अधिक सीखने में सफल हो सकेंगे।
- सरकारी विद्यालयों में तकनीकी बुनियादी ढाँचे (इंटरनेट, स्मार्ट क्लास) को विकसित किया जाए तथा डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षा संसाधनों का संयोजन किया जाए। इस प्रकार नीतिगत निर्णयों को वास्तविकता के धरातल पर फलीभूत किया जा सकता है।
- स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री विकसित की जाए तथा विद्यालयों में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- बुनियादी साक्षरता शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है, जिसमें भाषा की समझ, संख्या ज्ञान के साथ समसामयिक डिजिटल ज्ञान शामिल हैं। इसके प्रभावी विकास हेतु विद्यार्थियों को व्यावहारिक एवं सहभागितापूर्ण तरीकों से सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें भविष्योपयोगी शिक्षा दी जाए, जो उनके प्रारंभिक ज्ञान की नींव को सुदृढ़ कर सकें।

संदर्भ

अरुवी, ई. एवं ए. विंटेरे. 2023. ओवरकोमिंग मैथमेटिकल एंग्ज़ायटी टू प्रमोट इन प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टडीज़ ऐट यूनिवर्सिटी. *इंजीनियरिंग रूरल डेवलपमेंट*. पृष्ठ संख्या 24–26.

आर्य, जी.डी. एवं अन्य. 2020. इनसाइड-आउटसाइड सर्किल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज़ विद इमेज मीडिया टू इनहेन्स चिल्ड्रेन लैंग्वेज स्किल्स. *जर्नल पेंडिडिकन अनक उसिया दीनी उंडिक्षा*. 14(1). पृष्ठ संख्या 156–168. doi:10.21009/141.11

इरवान एवं मसरूल. 2023. एनालिसिस केमपुअन न्यूमरेसी सिसवा सीसवा पाडा पेम्बेलाजारन मैटेमेटिका डि सेकोलाह डेसर. *पेंडास – जर्नल इल्मिया पेंडिडिकन दासर*. 8(1). पृष्ठ संख्या 4119–4128. doi:10.23969/jp.v8i1.7235

ओफ्रा, वाल्टर. एवं अन्य. 2019. फोटो-वर्ड्स: प्रमोटिंग लैंग्वेज स्किल्स यूजिंग फ़ोटोग्राफ़्स. *करिकुल्म जर्नल*. 30(3). पृष्ठ संख्या 298–321. doi:10.1080/09585176.2019.1568270

कट्ज़र्ज़, एल. जी. एवं अन्य, 2006. *यंग इंवेस्टिगेटर्स : द प्रोजेक्ट एप्रोच इन द अर्ली ईयर्स*. दूसरा संस्करण. टीचर्स कॉलेज प्रेस.

कुमार, एम. एवं बी. बेहरा. 2022. इन्फ्लुएंस ऑफ़ होम एनवायरनमेंट ऑन चेल्ड्रेंस फ़ाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स : ए सिस्टमेटिक सिंथेसिस विद इंडिया इन फोकस. *एशियन जर्नल फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन*. 1. पृष्ठ संख्या 359–380.

क्रिफ्ट्की इर्तुर्क, डी. एवं एम अज़्देमीर. 2022. एनालिसिस ऑफ द इफैक्टर्स विच एफेक्ट लैंग्वेज एक्वीसशन ऑन फॉर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स. *सकरया यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. 12(1). पृष्ठ संख्या 206–223.

गंगवार, एच. 2024. *बरेली मण्डल में समग्र शिक्षा योजना के प्रति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्यनन* (अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध). महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

गरुवा, डी. एवं जी मोयो. 2014. जेंडर डिफरैंसिस इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स अचीवमेंट अमंग प्राइमरी स्कूल प्यूपिल्स इन ज़िम्बाबवे : द इनफ्लूएंस ऑस सोशालाईज़ेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड रिसर्च*, 2(3). पृष्ठ संख्या 45–56.

चान, डी. एवं अन्य. 1999. डेवलपिंग मेजर्स ऑफ़ बेसिक जॉब : रिलेवेंट इंगलिश प्रोफिशिएंसी फ़ॉर द प्रिडिक्शन ऑफ़ जॉब परफॉरमेंस एंड प्रमोटेबिलिटी. *जर्नल ऑफ़ बिजनेस एंड साइकोलॉजी*. 14(2). पृष्ठ संख्या 305–318.

चौधरी, एम.ए. एवं अन्य. 1994. असेसिंग बेसिक कॉम्पेटेंसीज : ए प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी. *इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एजुकेशन*. वॉल्यूम. 40(6). पृष्ठ संख्या 437–454. doi:10.1007/BF01102822

डगलस, जी. एवं एम. विजडम. 2014. द इन्फ्लुएंस ऑफ़ सेक्स एंड जेंडर ऑन इंगलिश लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स परफॉरमेंस : द केस स्टडी ऑफ़ ग्रेड 6 प्यूपिल्स ऐट सलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स इन ह्वांगे डिस्ट्रिक्ट इन माटाबेलेलैंड प्रोवेंस ऑफ़ जिम्बाब्वे. *ग्रीनर जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज़*. doi:10.15580/GJSS.2014.4.030614132

पी.सी.जे. सेगर्स., एवं अन्य. 2014. फ़ाउंडेशंस ऑफ़ लैंग्वेज, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लर्निंग : इंट्रोडक्शन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ डायबिलिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन*. doi:10.1080/1034912X.2014.932555

पेटल्स. 2021. सिंघल एजेंसीज, मथुरा, पाठ्य-पुस्तक विभाग, शिक्षा निदेशालय (बेसिक), उ.प्र.

फ़ारुख, सैयद एस. एवं अन्य. 2020. ए टेस्ट-बेस्ड कॉन्फ़र्मेटरी स्टडी ऑफ़ द एक्सीस्टेंस ऑफ़ एन अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन लिंगविस्टिक एंड मैथमेटिकल स्किल्स. 3(4). पृष्ठ संख्या 77–83. doi:10.36902/SJESR-VOL3-ISS4-2020(77-83)

फैन, एल. एवं लुओ, वाई. 2024. इनोवेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ़ फर्स्ट-क्लास करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाथ फ़ोर बेसिक इंग्लिश एडवांस. *सोशल बिहेवियर रिसर्च*. 8. पृष्ठ संख्या 41–46.

बाल कथा साहित्य. 2021. सिंघल एजेंसीज, पाठ्य-पुस्तक विभाग, शिक्षा निदेशालय (बेसिक), मथुरा, उ.प्र.

बोर्डिया, ए. एवं ए. कौल, 1992. लिटरेसी एफ़र्ट्स इन इंडिया, *द एनल्स ऑफ़ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ़ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस*. 520. पृष्ठ संख्या 151–162.

बोहरा, जी. 2022. बहुभाषिक कक्षा में भाषिक परीक्षण तथा मूल्यांकन. *एएमसी मल्टीडिसप्लिनरी रिसर्च जर्नल*. 3(1). पृष्ठ संख्या 46–52. doi:10.3126/amrj. v3i1.55886

भट्ट, एम. 2022. आधारभूत उत्तीर्ण विद्यार्थियों की व्याकरणिक क्षमता, *जर्नल ऑफ़ दुर्गा लक्ष्मी*. 4,1

भट्टराई, आर. पी. 2024. लिंगविस्टिक स्किल्स एंड रीडिंग एलीमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ द बेसिक लेवल. *विकासको निम्ति शिक्षा*. वॉल्यूम. 27(1). पृष्ठ संख्या 15–34 doi:10.3126/bns.v27i1.66442

मुरलीधरन, के. एवं ए. सिंह. 2021. इण्डियास न्यू नेशनल एजुकेशन पालिसी : एविडेंस एंड चैलेंजेज़, *साइंस*. 372. पृष्ठ संख्या 36–38.

मेहमूद, आर. एवं ए. हुसैन. 2022. इम्पैक्ट ऑफ़ जेंडर ऑन अकेडमिक परफॉरमेंस इन प्राइमरी एजुकेशन : ए कम्पेरेटिव स्टडी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़*. 10(3). पृष्ठ संख्या 45–58.

यादव, च. 2022. प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का गणितीय कौशल का अध्ययन. *स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज*. 10(54).

रिकार्डो, सबेट्स एवं सैम पार्सन्स. 2012. द *कंट्रीब्यूशन ऑफ़ बेसिक स्किल्स टू हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स ड्यूरिंग एडल्टहुड : एविडेंस फ्रॉम बीसीएस70, डेवलपमेंट ऑफ़ बिज़नेस इन एनड स्किल्स*. वॉल्यूम, 10.

शरीफ़ाह, एच. एवं जी हमदू. 2021. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ़ लर्निंग इन एलिमेंटरी स्कूलस इज रिलेटेड टू द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ़ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स. *बुआन पेंडीडकन : जर्नल फ़कुलतूस दान इल्मू पेंडीडिकन उनिपा सुरबाया*. 18(1). पृष्ठ संख्या 1–9.

शाहजेब एवं खान. 2024. ऐक्सेस, क्वालिटी एंड आउटकम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) सब्जेक्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. *सऊदी जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस*. 8(2). पृष्ठ संख्या 55–66.

सरकार, एम. 2022. यूनिवर्सल फ़ाउंडेशनल लिटरेसी-न्यूमरेसी एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फ़ॉर ऑल, *टेक्नो-लर्न : एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी*. 12(01). पृष्ठ संख्या 43–54. https://nipunbharat.education.gov.in/ पर देखा गया।

सेजर्स, ए. 2024. इनोवेटिव स्ट्रेटजीस लैंग्वेज लर्निंग इन द डिजिटल एरा. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. 15(2). पृष्ठ संख्या 123–134.

‘पाती अपनों को मुहिम’
एक नवाचारी प्रयास

सूरज सिंह नेगी*
मीना सिरोला**

आज समाज विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, तथा स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद आज संवेदनशून्यता, संवादहीनता, रिश्तों में आ रही छीजन, युवा पीढ़ी का दिग्भ्रमित होना, सोशल मीडिया की गिरफ्त में रहते अपनों के लिए समय न निकाल पाना, यह सब एक सुखी परिवार, समाज व राष्ट्र के भविष्य के लिए चिंतन का विषय हैं। अपनों को कैसे करीब लाया जाए? सामाजिक सरोकार एवं जीवन मूल्यों के प्रति कैसे रुझान पैदा किया जाए? युवा पीढ़ी को रचनात्मकता की ओर कैसे मोड़ा जाए? संवादहीनता को कैसे कम किया जाए? इन्हीं सब बातों को समाहित करते हुए वर्ष 2018 से लुप्त होती पत्र लेखन विधा को केंद्र में रखते हुए ‘पाती अपनों को मुहिम’ नाम से नवाचारी प्रयोग आरंभ किया गया। राजस्थान राज्य के टोंक जिले के पीपलू उपखंड में 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक द्वारा शिष्य को पत्र लिखकर जीवन मूल्यों की सीख देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत अब तक 21 विषयों पर पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है, इन्ही लेखन प्रतियोगिता में अभी तक तीन लाख से भी अधिक पत्र लिखे जा चुके हैं। इसके आधार पर पत्र आधारित पंद्रह पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इस लेख में उक्त नवाचार से पर पत्र लेखन विधा द्वारा बच्चों को वैयक्तिक और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के प्रयोग का वर्णन किया गया है।

‘पाती अपनों को मुहिम’ बच्चों में संवेदनशीलता पैदा करने में कारगर साबित हो रही है, अपितु युवा पीढ़ी, विशेष विद्यालयी विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, सृजनशीलता और लेखन कौशल को भी बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। इस लेख में इसी विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।

आधुनिक दौर में यद्यपि दुनिया ग्लोबल विलेज में सिमट गई है, संचार के साधनों का जाल फैलता जा रहा है। इन सबके बीच संवेदनहीनता और संवादशून्यता के संकेत मिलने लगे हैं। रिश्तों में आ रही दूरी का एक महत्त्वपूर्ण कारण है— रिश्तों की अपनायत में बढ़ती छीजन। मोबाइल क्रांति का एक पहलू यह भी है कि इसने आज एक ही छत के नीचे रह रहे परिवारजनों के बीच संवाद को कम कर दिया है।

**संयोजक*, पाती अपनों को, (राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी) विशिष्ट सहायक सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री, राजस्थान सरकार, राजस्थान, 170/69, सेक्टर 17, हल्दीघाटी मार्ग, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302033

***आचार्य*, (सह-संयोजिका, पाती अपनों को) शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान 304022

साथ ही लेखकों द्वारा भी बच्चों के साथ दैनिक अंतःक्रिया के दौरान महसूस किया गया कि उनमें संवेदनहीनता, पारस्परिकता और रिश्तों की समझ कम होती जा रही है। इसे दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य के टोंक जिले में 'पाती अपनों को मुहिम' आरंभ की गई। इसके केंद्र में पत्र लेखन विधा को पुनर्जीवित करना तथा खोखले होते रिश्तों में अपनेपन को तलाशने, सामाजिक सरोकारों को सहेजने में सहयोग करना था। (*बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम*, 2024, पृ.सं. 9)

पाती मुहिम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- पारस्परिक संवाद के माध्यम से रिश्तों में आ रही दूरियों को कम करना।
- युवा पीढ़ी की रचनात्मक सोच को विकसित करना।
- सामाजिक समरसता, जीवन मूल्यों के प्रति लोगों को सजग करना।
- राष्ट्र या समाज या परिवार या परिवेश के विषय में सोचने की विचारधारा को बल प्रदान करना।
- सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकना।

वर्तमान में जहाँ एक ओर हम सब सोशल मीडिया के प्रभाव में आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे रिश्तों की अहमियत को भूलते जा रहे हैं, जिससे संपूर्ण विश्व में अनैतिकता बढ़ती ही जा रही है, समाज में संवदेनहीनता एवं संवादशून्यता यत्र-तत्र देखने में आ रही है; ऐसे में यह पाती अभियान बढ़ते अँधेरे में एक प्रकाश की किरण की भाँति कार्य कर रहा है।

आधुनिकता की चकाचौंध में परिवारों में निरंतर दूरियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। एक ही परिवार के सदस्य भी अलग-अलग कमरों में रहकर आपस में मोबाइल के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, फिर कैसे परिवारों में आत्मीयता के भाव संभव हैं! इसलिए परिवार के सदस्यों के मध्य बढ़ती इस खाई को पाटने का कार्य पाती अभियान कर रहा है। यही पत्र इन तकनीकी उपकरणों को दूर कर परिवार के सदस्यों के मध्य आत्मीयता के भाव भरने का कार्य कर रहे हैं।

जब यही पातियाँ सामाजिक मुद्दों, जैसे— बाल विवाह, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि को लेकर लिखी जाती हैं, तब यह संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि पाती लिखने वाले भी उन्हीं के समाज और परिवार के लोग हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये इन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी प्रदान करती है।

पाती लेखन नवाचार 6 वर्षों में ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, जो आज माता-पिता, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, माँ-बेटी तथा मित्रों के बीच संबंधों को भावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसमें वे पहलू भी हैं जिन्हें हम बातों या भावनाओं को सामाजिक एवं पारिवारिक बाध्यताओं के चलते सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं।

अब तक आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिताएँ— वर्ष 2018 से आरंभ होकर पाती अपनों को मुहिम के अंतर्गत अब तक 21 अखिल भारतीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है।

तालिका 1 — अखिल भारतीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता आयोजन वर्ष	सम्मिलित प्रतिभागी	क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता आयोजन वर्ष	सम्मिलित प्रतिभागी
1.	गुरु की पाती शिष्य को	2018	79	12.	प्रकृति की पाती मानव के नाम	2021	195
2.	पिता की पाती संतान को	2018	90	13.	शिक्षक को पत्र	2021	97
3.	माँ की पाती बेटी को	2019	150	14.	बापू की पाती मेरे नाम	2021	148
4.	शिष्य की पाती गुरु को	2019	205	15.	माटी की पाती मेरे नाम	2022	168
5.	संतान की पाती माता-पिता को	2019	190	16.	पाती डाकिए को	2023	178
6.	बच्चों की पाती अभिभावकों को	2020	2000	17.	बिटिया की पाती बाबुल को	2023	26000
7.	कोरोना को कैसे हराएँ	2020	75	18.	पाती यादों के गलियारे से	2023	92
8.	बाल विवाह को रोकें	2020	85	19.	लिख दी चिठिया माई को	2023	1800
9.	जल संचयन कैसे करें	2020	78	20.	बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम	2023	270620
10.	मित्र को पत्र	2019	201	21.	पाती वीर जवानों को	2024	11200
11.	एक पाती दादा-दादी, नाना-नानी की यादों के नाम	2021	175		**कुल प्रतिभागियों की संख्या**		**310498**

अपनाई गई प्रक्रिया

पाती अपनों को मुहिम विशुद्ध रूप से एक अनार्थिक संगठन है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया प्लेटफोर्म के माध्यम से समूह के सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा माध्यम माउथ पब्लिसिटी है। 'पाती अपनों को मुहिम' समूह के संयोजक या सह-संयोजक द्वारा पाती लेखन के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। विज्ञप्ति में ही पाती प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं पाती भिजवाने हेतु पंजीकृत कार्यालय के पते तथा अन्य शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इसका निर्धारण संपूर्ण क्षेत्र के पाती लेखकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी पातियों को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। पाती लेखन के पश्चात

पत्र लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सहभागिता

पुस्तक प्रकाशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत ही गोपनीय तरीके से पूर्ण किया जाता है। प्राप्त सभी पातियों का तीन अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यांकनकर्ताओं का चयन एवं इन्हें भेजी जाने वाली पातियों की कोडिंग एवं डिकोडिंग का कार्य भी एक समिति के माध्यम से किया जाता है।

पाती लेखन चाहे किसी भी विषय पर हो, सभी में एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, इसके चरण अग्रलिखित हैं—

1. **विज्ञप्ति जारी करना**— सर्वप्रथम पाती लेखन की विस्तृत विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें पाती लेखन से संबंधित समस्त नियमों एवं शर्तों तथा पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होता है।
2. **पाती प्राप्ति**— देश-विदेश से लिखी गयी समस्त पातियाँ (पत्र) निर्धारित तिथि तक बंद लिफाफों में डाकघर के माध्यम से आयोजकों को प्राप्त होती हैं।
3. **पातियों का सूचीकरण**— इन समस्त लिफाफों से प्राप्त पातियों को सूचीबद्ध किया जाता है।

4. **पातियों की कोडिंग एवं प्रेषण**— सूचीबद्ध की गईं पातियों के निर्धारित संख्या में बंडल बनाकर उनकी कोडिंग कर गोपनीय रूप से पूर्व में निर्धारित परीक्षकों को भेजे जाते हैं, जिन्हें परीक्षकों द्वारा जाँचकर एक निश्चित समयावधि में पुनः भेज दिया जाता है।
5. **पातियों की डिकोडिंग एवं पुनः प्रेषण**— परीक्षकों से प्राप्त पातियों की डिकोडिंग कर उनके प्राप्तांक गोपनीय रूप से सुरक्षित रख लिए जाते हैं तथा इन पातियों को फिर द्वितीय एवं तृतीय परीक्षकों को भेजा जाता है, जिन्हें इन परीक्षकों द्वारा जाँचकर एक निश्चित समयावधि में पुनः भेज दिया जाता है।
6. **वास्तविक अंकों की गणना**— उपरोक्त प्रक्रियानुसार तीनों परीक्षकों से प्राप्त पातियों की डिकोडिंग कर उनके प्राप्तांकों का औसत निकाला जाता है, जो उस पाती लेखक के वास्तविक अंक माने जाते हैं। इस प्रकार पाती की जाँच एवं अंकन का कार्य कोडिंग-डिकोडिंग के माध्यम से पूर्ण होता है।
7. **चयनित पत्रों का संकलन प्रकाशित करवाना**— सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लेखकों के चयनित पत्रों को पुस्तक में सम्मिलित किया जाता है।

पत्र आधारित प्रकाशित पुस्तकें

अब तक विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर आयोजित पाती लेखन प्रतियोगिता में प्राप्त पत्रों में से अंतिम रूप से चयनित पत्रों का संकलन कर पंद्रह पुस्तकों का प्रकाशन करवाया जा चुका है।

तालिका 2 — पत्र आधारित पुस्तकें एवं सम्मिलित पत्र

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	प्रकाशन वर्ष	सम्मिलित पत्र	क्र. सं.	पुस्तक का नाम	प्रकाशन वर्ष	सम्मिलित पत्र
1.	माँ की पाती बेटी के नाम	2018	103	9.	पाती स्मृतियों के झरोखे से	2022	93
2.	पत्र पिता के	2019	69	10.	पाती डाकिए को	2023	101
3.	बच्चों के पत्र	2020	91	11.	लिख दी पाती बाबुल को	2023	181
4.	एक पाती मीत को	2021	118	12.	गौरैया की पुकार	2023	62
5.	प्रकृति की पुकार	2021	118	13.	पाती यादों के गलियारे से	2024	90
6.	पाती शिक्षक को	2021	60	14.	बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम	2024	151
7.	बापू की चिट्ठी (मेरी ज़ुबानी)	2022	74	15.	मैं बाबुल की परछाई	2024	103
8.	माटी की पुकार	2022	90		**कुल पत्रों की संख्या**		1504

पत्र आधारित प्रकाशित पुस्तकें

नवाचार का प्रभाव— पाती एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हम जिन बातों को कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पाती के माध्यम से लिखकर दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इनमें आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्ति अपने मन के उद्‌गारों को बेझिझक किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

पाती अपनों को मुहिम पिछले साढ़े छह साल से निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है। पाती मुहिम की प्रभावशीलता जानने के लिए समय-समय पर पाती मुहिम से जुड़े सदस्यों की कार्यशाला आयोजित कर उनके अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। पाती मुहिम से जुड़ कर उन्हें कैसा लगता है, इस विषय पर पाती संयोजक एवं सह-संयोजक को पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। यही नहीं विभिन्न विद्यालयों एवं छात्रावासों में जाकर इस मुहिम से जुड़े विद्यार्थियों, शिक्षकों, संस्था प्रधान के अनुभव भी प्राप्त किए जाते हैं। विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी समय-समय पर प्रतिपुष्टि ली जाती है। पाती प्रतियोगिता में डाक द्वारा पत्र प्राप्ति की व्यवस्था है, जिनका रिकार्ड संधारित किया जाता हैं। पाती लेखकों की साहित्यिक अभिरुचि एवं लेखन कौशल में बढ़ोतरी देखने को

मिली है विभिन्न साहित्यिक संगोष्ठियों में उनकी उपस्थिति को देखा जा सकता है।

पाती मुहिम के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं—

1. पाती मुहिम न केवल राजस्थान में अपितु भारत के 23 राज्यों के साथ-साथ विश्व के 10 बड़े देशों में भी अपना पूर्ण आकार ले चुकी है।
2. तीन लाख से भी अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, जिसमें ढाई लाख बच्चों और युवा पीढ़ी के है।
3. पाती आम आदमी से लेकर, व्यवसायी, समाजसेवी, कामकाजी महिला, गृहिणी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंककर्मी, विद्यालयी विद्यार्थी, शिक्षक, अध्यापक शिक्षक, संस्था प्रधान, साहित्यकार, लेखक आदि सम्मिलित हो चुके हैं।
4. अब लोग एक-दूसरे को पत्र लिखने लगे हैं। खासकर विद्यालयी विद्यार्थी और युवा इस तरफ उन्मुख हो रहे हैं।
5. बच्चों द्वारा किसी विशेष अवसर पर मँहगे गिफ्ट की जगह पत्र के माध्यम से अपनी खुशियाँ साझा की जा रही हैं।
6. पत्र विधा पर आधारित पुस्तकों में से किसी एक पत्र का वाचन नियमित रूप से कई विद्यालयों में प्रार्थना सभा में किया जा रहा है। यही नहीं हॉस्टल में भी पत्रों का वाचन हो रहा है।
7. अभिभावक एवं शिक्षक अपने बच्चों को पत्र विधा पर आधारित पुस्तकें भेंट करने लगे हैं।
8. बच्चों की पढ़ने की आदतों में वृद्धि हुई है।
9. पत्र लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रचनात्मकता के विकास के साथ लेखन शैली एवं चिंतनशीलता में सुधार देखने को मिला है।

इतना ही नहीं आधुनिकता की चकाचौंध में परिवारों में निरंतर बढ़ती दूरियों को कम करने में यह मुहिम एक अहम् भूमिका अदा कर रही है। आज ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ पाती लेखन के माध्यम से परिवार के मध्य उत्पन्न अंतराल समाप्त हो गया और टूटे हुए परिवार आज पुनः एक हो गए हैं। हृदयतल की गहराइयों से लिखी गयी यह पातियाँ सामने वाले को भाव विभोर कर उसके मन मस्तिष्क में ऐसे भाव उत्पन्न करती हैं कि चाह कर भी स्वयं के भावों को नहीं रोक पाते हैं।

विभिन्न मुद्दों, जैसे— बाल विवाह, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि को लेकर लिखी गईं पातियाँ संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्हें संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रही हैं।

वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित युवा पीढ़ी के लिए पाती मुहिम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, जो आज माता-पिता, पिता-पुत्री, गुरु-शिष्य, माँ-बेटी और मित्रों के बीच संबंधों को भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस मुहिम के माध्यम से युवा पीढ़ी भारतीय जीवन मूल्यों की ओर उन्मुख हो रही है।

इसी प्रकार बापू की चिट्ठी, शिक्षक को पत्र, प्रकृति की पुकार, गौरेया की पाती, माटी की पुकार, लिख दूँ पाती यादों के गलियारे से, पाती स्मृतियों के झरोखे से एवं पाती डाकिए को जैसे विषयों पर पत्र लिखवाने से न केवल आस-पास के परिवेश के प्रति संवेदनशील होने में मदद मिली है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं वीर जवानों के नाम पत्र लिखकर देश की सीमाओं पर डटे सुरक्षा प्रहरियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया है।

राज्य के विधानसभा चुनाव 2023 में पाती मुहिम के माध्यम से एक और नवाचारी प्रयोग किया गया। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, उन्हें अभिभावकों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया गया। पत्र में यह आह्वान किया गया कि मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। राजस्थान के अकेले चुरु और टोंक जिले में ढाई लाख से भी अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों को पत्र लिखा।

पाती मुहिम में हितधारकों की भूमिका

पाती लेखन की प्रक्रिया को सरल एवं लोगों की पहुँच तक लाने के लिए समस्त पाती समूह के सदस्यों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। इसमें पाती लेखन के विषयानुसार अलग-अलग वर्ग के लोगों, जैसे— शिक्षक वर्ग, व्यवसायी वर्ग, अन्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न महिला समूहों एवं विद्यार्थियों आदि से भी समूहवार एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है। विभिन्न प्रेरकों द्वारा भी समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों को पाती लेखन हेतु प्रेरित किया जाता है। (*लिख दूँ पाती यादों के गलियारे से*, 2023, पृ.सं. 6)

पाती मुहिम आज वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है एवं इससे जुड़कर शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारी कर्मी, निजीकर्मी, बैंककर्मी, प्रमाणित लेखाकार (चार्टर्ड अकाउण्टेंट), शासकीय कर्मचारी, व्यवसायी,

पुस्तक विमोचन एवं पाती लेखकों का सम्मान समारोह

गृहिणी, जन प्रतिनिधि, चिकित्सक, इंजीनियर, आमजन आदि सभी पूर्ण ज़िम्मेदारी के साथ इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं।

पाती समूह— इस मुहिम का सबसे बड़ा हितधारक पाती समूह ही है, जिसके अथक प्रयासों से आज इस मुहिम का स्वरूप विकसित हो चुका है। समूह में पाती संरक्षक मंडल, संपादकीय मंडल एवं इस अभियान में स्थायी रूप से जुड़े अनेक सदस्य सम्मिलित हैं।

सरकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारीगण— हमने पाती लेखन का कार्य किया साथ ही, अपनी संस्थाओं के अन्य कर्मियों को भी प्रेरित किया। शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्था प्रधान शिक्षक आदि से अपने विद्यालयों में पाती लेखन का कार्य करवाया एवं विद्यार्थियों को भी इस हेतु प्रेरित किया।

विद्यार्थी वर्ग— अब तक लिखे जा चुके तीन लाख पत्रों में से ढाई लाख पत्र विधार्थियों द्वारा लिखे गए हैं।

गृहिणी— पाती मुहिम के विकास में गृहिणियों का भी विशेष योगदान रहा है। जिन्होंने अपने साथ-साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पत्र लेखन के लिए प्रेरित किया।

निर्णायक मंडल— प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्त समस्त पत्रों को तीन अलग-अलग निर्णायकों द्वारा पढ़कर पत्र की विषय-वस्तु, भाषा-शैली, प्रभावशीलता के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं।

पुस्तक प्रकाशन में सहयोगकर्ता— निर्णायकों से प्राप्त अंक तालिका के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पत्रों का संकलन कर पुस्तक प्रकाशन कार्य किया जाता है। पुस्तक प्रकाशन में सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

पाती अपनों को मुहिम नवाचार के निहितार्थ

पाती अपनों को मुहिम लुप्त होती पत्र लेखन विधा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह प्रयोग निम्नलिखित तथ्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है—

- बालमन को सकारात्मक दिशा में सोचने,
- बच्चों में सृजनशीलता एवं कल्पनाशीलता का विकास करने,
- लेखन कौशल को विकसित करने,
- पढ़ने एवं सीखने की प्रवृत्तियों में वृद्धि करने,
- सामाजिक सरोकारों के प्रति दायित्वबोध जगाने
- बच्चों में नैतिकता, मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास करना,
- परस्पर संवाद, सहयोग तथा सामूहिक कार्यों के प्रति उन्मुख होना,
- बच्चों के भीतर छिपी हुई क्षमताओं का विकास करना आदि। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, मूलभूत सिद्धांत, पृ.सं. 6)।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के साथ पाती मुहिम से जुड़े हज़ारों-लाखों विद्यालयी बच्चों ने विभिन्न विषय आधारित पत्र ही नहीं लिखे अपितु रिश्तों की अहमियत, राष्ट्रीय भावना, बुनियादी साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकार, सामाजिक

दायित्व बोध को भी न केवल सीखा है, अपितु समझा भी है। इसी प्रकार बच्चों में लेखन तथा पढ़ने की क्षमता का विकास हो रहा है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य-बुनियादी शिक्षा (पढ़ने-लिखने) को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इससे विद्यालयी विद्यार्थियों की लेखन कौशल क्षमता का संवर्द्धन होगा।

जहाँ तक वर्तमान संदर्भ में पाती मुहिम की प्रासंगिकता है, वह धीरे-धीरे अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। इसे अधिक व्यापक रूप देने एवं बच्चों की सृजनशीलता, लेखन कौशल अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होगा—

- विद्यालयी विद्यार्थियों को डायरी लेखन के लिए प्रेरित किया जाए जिसमें प्रतिदिन की गतिविधियों का उल्लेख हो।
- विशेष अवसरों, जैसे— स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, गाँधी जयंती, संविधान दिवस आदि पर विद्यालय स्तर पर पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।
- बच्चों के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए उसे अपने आस-पास के परिवेश के विषय में लेखन के लिए प्रेरित किया जाए।
- बच्चों को उनकी आयु अनुसार गद्य या पद्य साहित्य पढ़कर उन पर अपने विचार लिखने के लिए प्रेरित किया जाए।
- मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफ. एल.एन.) के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न विषय आधारित पत्रों को कहानी के रूप में पढ़कर सुनाया जाए, उन्हें कैसा लगा इस पर उनकी प्रतिक्रियाएँ जाननी चाहिए।

अब तक का लेखा-जोखा यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि सही दिशा में उठाए गए कदम यद्यपि संख्या में कम ही होते हैं, लेकिन उस मिशन की पवित्रता एवं उद्देश्य को जल्द ही, आम लोग समझ जाते हैं और वह अभियान आम जन का अभियान बन जाता है, ओर यही सब कुछ "पाती अपनों को मुहिम" के साथ हुआ है।

संदर्भ

नेगी, सूरज सिंह, मीना सिरोला एवं चन्द्रमोहन उपाध्याय. (संपादक). 2018. *माँ की पाती बेटी के नाम*. सनातन प्रकाशन, जयपुर.

नेगी, सूरज सिंह एवं अन्य. (संपादक). 2019. *पत्र पिता के*. सनातन प्रकाशन. जयपुर.

———. 2020. *बच्चों के पत्र*. राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर.

———. 2021. *एक पाती मीत को*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2021. *प्रकृति की पुकार*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2021. *पाती शिक्षक को*. सनातन प्रकाशन, जयपुर.

———. 2022. *बापू की चिट्ठी (मेरी जुबानी)*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2022. *माटी की पुकार*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2022. *पाती स्मृतियों के झरोखे से*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2023. *पाती डाकिए को*. दीपक पब्लिशर्स, जयपुर.

———. 2023. *लिख दी पाती बाबुल को*. दीपक पब्लिशर्स, जयपुर.

———. 2023. *गौरैया की पुकार*. दीपक पब्लिशर्स, जयपुर.

———. 2024. *पाती यादों के गलियारे से*. साहित्यागार, जयपुर.

———. 2024. *बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम*. दीपक पब्लिशर्स, जयपुर.

———. 2024. *मैं बाबुल की परछाई*. दीपक पब्लिशर्स, जयपुर.

भारत सरकार. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय. भारत सरकार. http://www.education.gov.in

मीना, रमेश चन्द्र. 2023. *कोरे कागज*. अनुज्ञा प्रकाशन, नई दिल्ली.

रावत, कृष्णा. 2025. *स्मृति में रचे-बसे अद्भुत पत्र*. साहित्यागार, जयपुर.

रावत, कृष्णा एवं श्रीवास्तव सरकार (संपादक). 2025. *चयनित पत्र पुष्प*. साहित्यागार, जयपुर.

वाधवानी, नीलम. 2025. डॉ. सूरज सिंह नेगी के कथा साहित्य में वृद्ध विमर्श. साहित्यागार, जयपुर.

रघुरामन, एम. हाथ से लिखी चिट्ठियाँ. अब भी लोगों को जोड़ सकती हैं. दिनांक 3 फरवरी 2020 को *दैनिक भास्कर* से लिया गया।

समग्र शिक्षा http://samagra.education.gov.in.

नैनो-लर्निंग पर विद्यार्थी-शिक्षकों की अवधारणा
एक विश्लेषण

सौरभ कुमार द्विवेदी*
पिन्कल चौधरी**

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य 'नैनो-लर्निंग' के उपयोग एवं उसके प्रभाव पर विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाओं का पता लगाना है। 'नैनो-लर्निंग', छोटे, संक्षिप्त तथा लक्षित शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक उभरती हुई युक्ति है। इस शोध अध्ययन को वास्तविक शैक्षिक वातावरण में संचालित किया गया ताकि विद्यार्थी-शिक्षकों की वास्तविक धारणाओं तथा अनुभवों को समझा जा सके। विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाएँ उनके व्यक्तिगत अनुभवों, शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। इसी पर शोधार्थी द्वारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाएँ उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होती हैं तथा उनके शिक्षण एवं सीखने की शैली, शैक्षिक नीतियों एवं तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी इनकी धारणाओं पर प्रभाव पड़ता है। नैनो-लर्निंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को उपयुक्त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को नैनो-लर्निंग के साथ पारंपरिक शिक्षण विधियों का संतुलित उपयोग करना चाहिए ताकि गहन तथा व्यापक ज्ञान का निर्माण हो सके। इस शोध पत्र में नैनो-लर्निंग के विषय में विभिन्न सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, व्यापक रूप से कहें, तो नैनो-लर्निंग हमारी लर्निंग का छोटा भाग है, जो ऑनलाइन या पारंपरिक दोनों तरह से हो सकती है। नैनो-लर्निंग का सीमित उपयोग अधिक लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए नैनो-लर्निंग का प्रयोग ज़िम्मेदारी व सावधानीपूर्वक करके उनकी शिक्षा को प्रभावशाली व रुचिकर बनाया जा सकता है।

आधुनिक शिक्षा का स्वरूप आज के दौर में अत्यधिक विकसित और विविधतापूर्ण हो गया है। एक ओर जहाँ पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ने हमें मज़बूत नींव दी, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा ने इसे नवीनतम तकनीकों और विचारधाराओं के साथ समृद्ध किया है। आधुनिक शिक्षा की विशेषता तकनीकी समावेशन, व्यावहारिक कौशल विकास और आजीवन सीखने पर ध्यान केंद्रित करने से है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को तेज़ी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और समृद्धि के लिए तैयार करना है। आज के दौर में शिक्षा का

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग (केंद्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007
***सहायक आचार्य*, शिक्षा विभाग (केंद्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007

मुख्य आधार तकनीकी प्रगति है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसे विशेषरूप से बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट कक्षाएँ, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल रियलिटी (आभासी वास्तविकता) और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग शिक्षण और सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक समय में जानकारी और संसाधन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

कोविड 2019 के बाद से नैनो-लर्निंग शिक्षा में प्रभावी बनती जा रही है। सर्वप्रथम क्लाइव शेफर्ड ने नैनो-लर्निंग शब्द का उपयोग 2005 में किया था। उन्होंने इस शब्द का उपयोग उस शिक्षा को वर्णित करने के लिए किया जो छोटे स्तर पर तथा ध्यान केंद्रित सामग्री प्रस्तुत करती है, जैसे— भाषाओं के सीखने में फ़्लैशकार्ड का उपयोग, बहुउद्देशीय चार्ट आदि। आज के समय में क्विज़, शॉर्ट्स, रील्स, वेब चार्ट जैसी सामग्री हमें सीखने में सहायता करती हैं। विद्यार्थियों को नैनो-लर्निंग के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, इन्हें विषयवस्तु के साथ-साथ दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों को 2 से 5 मिनट के एनिमेटेड वीडियो द्वारा सिखाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि तथा क्षमताओं के अनुसार स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। विस्मृति वक्र ग्राफ के अनुसार हम जो कुछ भी नया सीखते हैं, वह एक महीने के भीतर 90 प्रतिशत भूल जाते हैं। 24 घंटों के भीतर, हम 67–70 प्रतिशत तक की सीख भूल जाते हैं (एबिंगहॉस, 1913/1885; स्मिथ, 2020)। हम पारंपरिक सीखने के साथ-साथ सूचनाओं को छोटे-छोटे टुकड़ों व कम समय में समझना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही सीखने के नैनो माध्यमों का उपयोग करने से शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है।

अध्ययन का महत्त्व

नैनो माध्यमों का उपयोग आज के तकनीकी युग में शैक्षिक प्रक्रिया का अंग बनता जा रहा है। यह शोध अध्ययन नैनो-लर्निंग के बारे में एक विशेष समझ देगा। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नैनो-लर्निंग अपनी भूमिका कैसे निभा रही है? विद्यार्थी-शिक्षक किन-किन रूपों में अपने शिक्षण में नैनो-लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं? इन्हीं मूल प्रश्नों को जानना तथा भविष्य में नैनो-लर्निंग का उपयोग कैसे तथा किन-किन परिस्थितियों में किया जाए, जिससे इसके उपयोग से शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सके, इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इस शोध अध्ययन का महत्त्व शिक्षकों के लिए एवं पाठ्यचर्या निर्माताओं के लिए है कि नैनो-लर्निंग का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली व रुचिकर बन सके।

शोध प्रश्न

1. विद्यार्थी-शिक्षकों में नैनो-लर्निंग के प्रति क्या जागरूकता है?
2. वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में विद्यार्थी-शिक्षक नैनो-लर्निंग का उपयोग कैसे कर रहे हैं तथा यह उनके विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम (School Experienc Programme) में कैसे सहायता करती है?
3. वर्तमान में नैनो-लर्निंग की कौन-कौन सी सीमाएँ व चुनौतियाँ हैं?

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. विद्यार्थी-शिक्षकों का नैनो-लर्निंग के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाना।
2. विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा नैनो-लर्निंग के उपयोग के तरीकों को जानना।
3. नैनो-लर्निंग के उपयोग के लाभों व चुनौतियों को जानना।

शोध विधि

इस शोध अध्ययन में आँकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए मिश्रित विधि का उपयोग किया गया। मिश्रित विधि में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का संयोजन होता है। यह शोध अध्ययन शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के विद्यार्थी-शिक्षकों पर शैक्षणिक वर्ष 2023–2024 में किया गया। इसमें सर्वप्रथम 35 विद्यार्थी-शिक्षकों का प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़े संकलित किए गए। उसके बाद 10 विद्यार्थी-शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया। इस शोध अध्ययन में केवल 45 विद्यार्थी-शिक्षकों से आँकड़े संकलित किए गए, जो शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (SEP) कर चुके थे। इस शोध अध्ययन के लिए उपकरण के रूप में प्रश्नावली व साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया गया था। आँकड़ों को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरीके से विश्लेषित किया गया। मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत निकाल कर किया गया तथा प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की गई। जबकि गुणात्मक तथ्यों से थीम निकालकर तथ्यों की व्याख्या की गई। इस प्रकार दोनों प्रकार के आँकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या से शोध के परिणाम निकाले गए।

शोध परिणाम

नैनो-लर्निंग की समझ तथा लर्निंग में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग

वर्तमान में सीखने के लिए बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिस पर हम आसानी से सीख सकते हैं। विद्यार्थी-शिक्षकों ने बताया कि वे सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम व ट्विटर का उपयोग करते हैं। 21 (60 प्रतिशत) विधार्थी-शिक्षकों ने यूट्यूब, लर्निंग साइट, ऑनलाइन क्विज़ एवं दूसरे लर्निंग एप के द्वारा लर्निंग का चयन किया जबकि 14 (40 प्रतिशत) ने इंस्टाग्राम, फेसबुक व ट्विटर को भी लर्निंग के लिए चुना। शोध अध्ययन दर्शाता है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जो विविधता के साथ जानकारी को रुचिपूर्ण प्रस्तुत करता है, उन्हें भी उपयोगकर्ता लर्निंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लर्निंग एप्स, चैटजीपीटी, भाषा एप्स, डिक्शनरी, चित्र द्वारा सूचना, क्विज़, ज़ूम व अन्य लर्निंग एप्स से विद्यार्थी-शिक्षकों ने लर्निंग की बात भी कही।

कुछ विद्यार्थी-शिक्षकों ने ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन सीखने के माध्यमों को भी बताया। इसमें मुख्यतः समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन तथा पुस्तक से जानकारी व अन्य के विषय में बताया। इसके अलावा कक्षा में तकनीकी का उपयोग, छोटी वीडियो, छोटी गतिविधियाँ, लर्निंग एप्स व छोटे एनीमेटेड वीडियो के द्वारा नैनो-लर्निंग होने की बात स्वीकार की। अतः ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन, जो (3–5) मिनट में हमें कोई सूचना दे या सीखने के उद्देश्यों की पूर्ति करे, को विद्यार्थी-शिक्षकों ने नैनो-लर्निंग माना।

अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षकों ने बताया है कि नैनो-लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म उनकी सीखने में सहायता करते हैं। इससे यह भी माना जा सकता है कि व्यापक तौर पर शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नैनो-लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन माध्यम द्वारा कम समय में किसी भी स्थान पर व आसानी से लर्निंग की जा सकती है। इससे तात्पर्य है कि ये छोटे-छोटे लर्निंग माध्यम सीखने में हमारी सहायता करते हैं और विद्यार्थी-शिक्षकों को नैनो-लर्निंग का अच्छा ज्ञान है। सभी विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि इन प्लेटफ़ॉर्मों से लर्निंग तो होती है लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम सीखना चाहते भी हैं या नहीं। यह व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है कि वे इन प्लेटफ़ॉर्मों का कितना उपयोग कर रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षकों ने यह भी माना कि हम इन प्लेटफ़ॉर्मों पर सीखने जाते हैं, लेकिन फिर मनोरंजन करने लगते हैं। इससे हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। कुछ ने कहा कि यूट्यूब पर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन घंटों तक कुछ और देखने लगते हैं।

नैनो-लर्निंग का शिक्षा में उपयोग व प्रभाव

नैनो-लर्निंग के उपयोग से व्यावहारिक, क्रियात्मक कौशलों के विकास और वैज्ञानिक व जटिल अवधारणाओं की समझ को जानने के लिए पूछे गए प्रश्नों में अधिकतर 26 (74.3 प्रतिशत) ने 'हाँ' में जवाब दिया और 8 (22.9 प्रतिशत) ने 'नहीं' में तथा 1 (2.9 प्रतिशत) 'असमंजस की स्थिति' में रहा। इन प्रतिक्रियाओं से प्रतीत होता है कि अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षक मानते हैं कि नैनो-लर्निंग हमारे व्यावहारिक व क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाता है। 21 (60 प्रतिशत) ने माना कि नैनो-लर्निंग द्वारा वैज्ञानिक व जटिल अवधारणाओं को सीख सकते हैं। लेकिन 12 (34.3 प्रतिशत) ने माना कि नैनो-लर्निंग कुछ सीमा तक सीखने मे मदद कर सकता है। यह किसी नैनो-लर्निंग को उनके रुचि क्षेत्र को खोजने और पहचानने में मदद कर सकता है। कुछ विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि यह वैज्ञानिक व जटिल कौशलों को सिखाने में हमारी मदद करता है।

नैनो-लर्निंग द्वारा उचित, प्रभावशाली व समृद्ध शैक्षिक जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं में 25 (71.4 प्रतिशत) ने 'हाँ', 5 (14.3 प्रतिशत) ने 'नहीं' तथा 01 ने कह नहीं सकते में जवाब दिया जबकि 4 ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं। एक विद्यार्थी-शिक्षक का मानना था कि यह शैक्षिक जानकारी पर निर्भर करता है कि किस तरह की जानकारी उसे दी जा रही है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस जानकारी को किस दृष्टिकोण से सीख रहा है?, लेकिन दोहराव के लिए नैनो-लर्निंग प्रभावकारी है। अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि नैनो-लर्निंग से उचित, समृद्ध व प्रभावशाली शैक्षिक जानकारी मिलती है, वहीं वे दोहराव के लिए थी नैनो-लर्निंग को प्रभावकारी मान रहे हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास तथा शिक्षार्थी के आकलन के लिए नैनो-लर्निंग को उपयुक्त नहीं मानते हैं।

नैनो-लर्निंग के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रतिक्रिया में अधिकतर 28 (82.4 प्रतिशत) ने माना कि इसके उपयोग से 'शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है।' 2 (5.9 प्रतिशत) ने 'नहीं' में जबकि 1 (2.9 प्रतिशत) ने 'कभी बढ़ सकती है

या कभी नहीं' में प्रतिक्रिया दी। अतः यह कह सकते हैं कि नैनो-लर्निंग किसी भी शिक्षण विधि के साथ प्रयुक्त होकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है।

नैनो-लर्निंग से विद्यार्थियों की भागीदारी एवं प्रभावकारी शिक्षा

नैनो-लर्निंग के उपयोग से विद्यार्थियों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रुचि व शिक्षण प्रभावशाली होने संबंधित उत्तरों में सभी विद्यार्थी-शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण ज्ञात हुए सभी प्रतिभागियों ने बताया कि ऐसे क्रियाकलाप जो कम समय में व आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है तथा उन्हें यह गतिविधियाँ रुचिकर भी लगती हैं तथा वे आनंद से इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। अतः इससे हमारा शिक्षण भी प्रभावशाली होता है।

नैनो-लर्निंग के उपयोग से होने वाले लाभों संबंधित प्रश्न में सभी विद्यार्थी-शिक्षकों ने एक स्वर में बताया कि नैनो-लर्निंग से जानकारी लेने में कम समय लगता है व आसानी से जानकारी उपलब्ध भी हो जाती है। नैनो-लर्निंग को सम्मिलित करने से विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है तथा शिक्षण भी रुचिकर व प्रभावशाली होता है। नैनो-लर्निंग पर सुझाव माँगे जाने पर विद्यार्थी-शिक्षकों ने नैनो-लर्निंग के सीमित उपयोग पर बल दिया और बताया कि नैनो-लर्निंग हमारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एक छोटा-सा हिस्सा है, जिसका उपयोग एक सीमा में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, विद्यार्थी-शिक्षकों ने ध्यान के भटकाव से बचने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन लर्निंग के स्थान पर ऑफलाइन नैनो-लर्निंग को महत्त्व दिया।

नैनो-लर्निंग के उपयोग को लेकर विद्यार्थी-शिक्षकों का विद्यालय प्रशिक्षण अनुभव

नैनो-लर्निंग के द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता से संबंधित प्रतिक्रिया में 30 (85.7 प्रतिशत) ने माना कि 'हाँ, नैनो-लर्निंग से शिक्षण प्रभावशाली होता है', जबकि 3 (8.6 प्रतिशत) ने 'नहीं' व 1 (2.9 प्रतिशत) ने माना कि 'कभी-कभी प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं'। अतः यह कह सकते हैं कि नैनो-लर्निंग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली हो सकती है।

अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षकों का कहना था कि वे विद्यालय प्रशिक्षण के दौरान चार्ट, छोटे वीडियो, गेम, फ्लैशकार्ड, छोटी-छोटी गतिविधियों, PPT व अन्य नैनो-लर्निंग माध्यमों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार विद्यालय प्रशिक्षण के दौरान अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षक नैनो-लर्निंग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इससे उनका शिक्षण भी रुचिकर हो रहा है। उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी-शिक्षकों के द्वारा नैनो-लर्निंग के उपयोग से विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि व प्रतिभागिता बढ़ती है। नैनो-लर्निंग द्वारा रचनात्मक व समस्या समाधान कौशल के विकास को कुछ ही प्रतिक्रियाओं ने सही माना है, जबकि अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षक नहीं मान रहे कि इससे विद्यार्थियों में इन कौशलों का विकास होगा।

ऑनलाइन नैनो-लर्निंग के संभावित परिणाम एवं चुनौतियाँ

ऑनलाइन नैनो-लर्निंग के प्रभावों के बारे में पूछने पर 16 (45.7 प्रतिशत) ने यह माना कि 'नैनो-लर्निंग के अधिक उपयोग से स्क्रीन टाइम बढ़ता है व गहन

अध्ययन नहीं होता है', 10 (28.6 प्रतिशत) ने इन दोनों के साथ यह भी माना कि 'इससे रटने वाली शिक्षा मिलती है और यह व्यवहारवादी अधिगम है।' अतः कह सकते हैं कि नैनो-लर्निंग से स्क्रीन टाइम बढ़ने, रटने वाली शिक्षा मिलने जैसी जटिल समस्याएँ आने की संभावनाएँ बनती हैं।

ऑनलाइन नैनो-लर्निंग का ज़्यादा उपयोग करने से होने वाली हानियों से संबंधित प्रश्न की प्रतिक्रियाओं में 24 (68.6 प्रतिशत) विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि 'हाँ', इसका अधिक उपयोग हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है', 08 (22.9 प्रतिशत) ने 'नहीं' में जवाब दिया तथा अन्य विद्यार्थी-शिक्षकों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दीं, जैसे—'अगर प्रभावकारी न हो तो हानिकारक हो सकता है', 'अधिक उपयोग करने से बच्चों का ध्यान कम हो सकता है'। इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षक ऑनलाइन नैनो-लर्निंग के अधिक प्रयोग से इससे होने वाले नकारात्मक प्रभावों को मान रहे हैं।

नैनो-लर्निंग से कम समय में किसी अवधारणा को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे सीखने से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे— शॉर्टकट्स अपनाना, गहन ज्ञान देने वाली किताबों को पढ़ने में रुचि न रखना। शिक्षार्थी शॉर्टकट्स की तलाश करेंगे। इसके अलावा एक विद्यार्थी-शिक्षक ने कहा कि यह शिक्षार्थियों की किसी विषय को विस्तार से समझाने की क्षमता को बाधित कर सकता है। किसी भी तकनीक का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। हालाँकि, सीमित उपयोग से कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षक ऑनलाइन नैनो-लर्निंग का अत्यधिक उपयोग किसी न किसी रूप में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए हानिकारक मान रहे हैं।

नैनो-लर्निंग द्वारा पारंपरिक कक्षा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित या स्थान लेने संबंधित प्रश्न में 26 (74.3 प्रतिशत) विद्यार्थी-शिक्षकों ने 'नहीं' में प्रतिक्रिया दी, जबकि 5 (14.3 प्रतिशत) ने 'हाँ' में, 02 (5.8 प्रतिशत) ने 'ले सकता है या नहीं भी', पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ विद्यार्थी-शिक्षकों ने अपने-अपने विचार रखे हैं कि नैनो-लर्निंग पारंपरिक कक्षा में सहायता के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्थान नहीं ले सकता, दोनों की अलग-अलग अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार नैनो-लर्निंग का पारंपरिक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का स्थान लेने से संबंधित प्रतिक्रिया में अधिकतर ने नकार दिया तथा कुछ के मतानुसार यह पारंपरिक कक्षा का हिस्सा बनकर सहायता कर सकता है, लेकिन कभी भी पारंपरिक कक्षा का स्थान नहीं ले सकता है।

नैनो-लर्निंग की सामाजिक उपलक्ष्यता

नैनो-लर्निंग द्वारा पिछड़े या हाशिए पर आए विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित प्रश्न में 23 (65.7 प्रतिशत) ने 'हाँ' में जवाब दिया, 07 (20 प्रतिशत) ने 'नहीं' में, 01 (2.9 प्रतिशत) 'निश्चित नहीं' थे। इस प्रकार अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षकों ने माना कि नैनो-लर्निंग से पिछड़े विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है। अन्य ने माना कि इसके लिए शिक्षकों के पास उचित शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक व ज्ञान का होना आवश्यक है, जिससे वह सार्थक रूप से नैनो-लर्निंग को समावेशी बना सके।

नैनो-लर्निंग का पाठ्यचर्या में समावेशन

नैनो-लर्निंग को पाठ्यचर्या में आवश्यक रूप से शामिल करने संबंधित प्रतिक्रिया में 20

(57.1 प्रतिशत) ने 'हाँ' में जवाब दिया, 9 (25.7 प्रतिशत) ने 'नहीं' में तथा अन्य विद्यार्थी-शिक्षकों ने अपने अलग-अलग विचार रखे हैं, जैसे कि अगर ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग में लाया जाए तो बेहतर होगा, आवश्यक रूप से नहीं, पर हाँ विकल्प होना चाहिए, पहले ठीक प्रकार से देखने की आवश्यकता है कि किस विधि से शिक्षण हो रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार नैनो-लर्निंग को आवश्यक रूप से पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अधिकतर विद्यार्थी-शिक्षक सहमत हैं।

चर्चा

इस शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि नैनो-लर्निंग का उपयोग करके विद्यार्थी विविध और रुचिकर स्रोतों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की रुचि तथा जुड़ाव बढ़ सकता है। इससे विद्यार्थी आसानी से तथा कम समय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके लिए अधिक सुविधाजनक हो सकता है। ऐसा ही परिणाम खलीफ एवं सलहा (2021) के शोध में भी पाया गया है, जो इस परिणाम का समर्थन करता है। विभिन्न ऐप्स तथा प्लेटफ़ॉर्मों के उपयोग से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा अनुकूलित सीखने का अनुभव प्राप्त हो सकता है, जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुसार होता है। ऐसे ही अंसारी एवं अन्य (2023) के शोध अध्ययन ज्ञात हुआ कि नैनो-लर्निंग से विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों को अध्यापक शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण या अवसर प्रदान करना चाहिए।

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर समय की बर्बादी हो सकती है और उन्हें रोकने व विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कक्षा में ऐसी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाएँ, जो विद्यार्थियों को समय प्रबंधन व समय का सही उपयोग सिखाएँ। अध्यापक शिक्षण में व्यक्तिगत रूप से व रचनावादी अधिगम से नैनो-लर्निंग का उपयुक्त और सुचारू रूप से उपयोग हो सकता है। इससे विद्यार्थी-शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु उपयोग करने के लिए शिक्षा दे सकें। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों को उनकी सीखने की इच्छानुसार उनकी रुचियों को पहचानना तथा शिक्षण को छोटे-छोटे सत्रों में विभाजित करना, जिससे लर्निंग के निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विद्यार्थी-शिक्षकों के लिए अध्यापक शिक्षा को नैनो-लर्निंग की सहायता से पारंपरिक शिक्षण-अधिगम रुचिकर व प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे शिक्षक तथा विद्यार्थी नैनो-लर्निंग को प्रासंगिक किया जा सकता है। कक्षा में तकनीकी आधारित तथा पारंपरिक नैनो माध्यमों, जैसे— गेम गतिविधियाँ, छोटी-छोटी कहानियाँ, पेपर वर्क, खिलौने एवं कार्टून, शार्ट वीडियो, चार्ट और पोस्टर का शिक्षण विधियों से विषय और अधिगम को अधिक प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाया जा सकता है तथा विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ायी जा सकती है। इससे शिक्षक बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करने व क्रियात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं (शोनबोर्न एवं अन्य, 2016; इमर्सन एवं बर्ज, 2018)।

अध्यापक शिक्षा में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर नैनो माध्यमों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे उनके व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा मिले। इस शोध अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि शिक्षा में नैनो

माध्यमों का प्रयोग नया एवं आविष्कारी माध्यम हो सकता, लेकिन वैज्ञानिक और जटिल अवधारणाओं को सीखने के लिए इन माध्यमों में छोटी विधियों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान या अन्य विशेष कौशलों को विकसित करने के लिए नैनो माध्यमों के प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि पारंपरिक तरीके से ही इन क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

नैनो-लर्निंग के माध्यम से शिक्षण-अधिगम को रुचिकर व प्रभावी बनाने के साथ कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे नैनो-लर्निंग के अधिक उपयोग से विद्यार्थी छोटी युक्ति तथा त्वरित विधियों पर निर्भर हो सकते हैं, जिससे उनकी गहन अध्ययन करने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसके साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि उनका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित न रह पाए। नैनो-लर्निंग सामग्री का उपयोग परीक्षा से पहले समीक्षा के लिए किया जा सकता है। यह महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहराने में मदद कर सकता है। लेकिन इसमें सावधानी भी ज़रूरी है। जैसा कि कायालर (2021), अबुरिज़ाइज़ाह एवं अल्बैज़ (2021) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ऑनलाइन माध्यमों का अधिक उपयोग करने से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता है तथा हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस शोध में भी यह सामने आया कि नैनो-लर्निंग के ऑनलाइन माध्यमों का अधिक उपयोग करने से कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षा में नैनो माध्यमों को शिक्षण प्रशिक्षण का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का मिश्रण हो, ताकि विद्यार्थी-शिक्षकों को विविध तथा व्यापक शिक्षा मिल सके। यह भी अध्यापक शिक्षा के सामने चुनौती है कि किस तरह से नैनो-लर्निंग से स्क्रीन टाइम भी कम हो तथा अभ्यास भी हो जाए। ऐसे गतिविधि की शिक्षा विद्यार्थी-शिक्षकों को दी जानी चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके उपयोग को संतुलित करने के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके साथ यह भी समस्या आ सकती है कि यूट्यूब तथा अन्य लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नैनो-लर्निंग सामग्री के साथ, विद्यार्थी अक्सर मनोरंजन सामग्री में अधिक समय बिताते हैं, जिससे उनका ध्यान लर्निंग से भटक सकता है अर्थात् नैनो माध्यमों का व्यापक उपयोग युक्ति या छोटी विधियों के प्रयोग, समय की बर्बादी, विद्यार्थियों की स्क्रीन टाइम व स्वास्थ्य की समस्याएँ, अभ्यास से भटककर मनोरंजन की ओर मन का आकर्षित होना और नैनो-लर्निंग से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, सभी को समान अवसर प्रदान करने जैसी समस्याओं से जागरूक करने तथा सही तरीके से इन माध्यमों का उपयोग हो। अतः अध्यापक शिक्षा में विद्यार्थी-शिक्षक को नैनो माध्यमों के प्रयोग के लाभ व हानि के बारे में अवगत कराना चाहिए। जिससे उन्हें नैनो-लर्निंग के प्रभावी व सीमित उपयोग के लिए तैयार कर सकें। इसलिए अध्यापक शिक्षा में विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को नैनो-लर्निंग से शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाने और उससे संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट या क्रियात्मक शोध अध्ययन किया जा सकता है। अंत में विद्यार्थी-अध्यापकों को नैनो-लर्निंग के उपकरणों का उचित ज्ञान हो सकता है। लेकिन उन्हें उपयुक्त अध्यापन विधि तथा विषय के साथ सही एकीकरण

करने पर अध्यापक शिक्षा को ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नैनो-लर्निंग विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सीखने का माध्यम हो सकता है। नैनो-लर्निंग तकनीकी माध्यम आधारित या पारंपरिक दोनों तरीकों से हो सकती हैं। विद्यार्थी-शिक्षकों को नैनो-लर्निंग का आवश्यक ज्ञान है। उन्हें नैनो-लर्निंग के फायदे व नुकसान के बारे में भी उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए। नैनो-लर्निंग को अध्ययन की उपयुक्त विधियों के साथ जोड़कर इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। नैनो-लर्निंग पर आधारित विषय संबंधी गतिविधियाँ शिक्षण को रुचिकर बना सकती हैं। साथ ही, नैनो-लर्निंग द्वारा अभ्यास या अन्य छोटी गतिविधियाँ सीखी जा सकती हैं। लेकिन इसके अधिक उपयोग से कई बार समय बर्बादी, रटकर सीखना, या मनोरंजन की तरफ मन का झुकाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक, विद्यार्थी-शिक्षक और विद्यार्थियों के पास उचित तकनीकी ज्ञान व तकनीकी क्षमता होनी बहुत आवश्यक है। अंत में नैनो-लर्निंग पारंपरिक तरीके से अध्ययन का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन सार्थक रूप से इसका उपयोग शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

संदर्भ

अंसारी, टी. ए. एवं अन्य. 2023. न्यू टेंड्र्स इन हायर एजुकेशन विद् “नैनो-लर्निंग”. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट.* 7(3). पृष्ठ संख्या 381–388. https://doi.org/10.46647/ijetms.2023.v07i03.048 से लिया गया।

अबुरिज़ाइज़ाह, एस. जे. एवं टी. ए. अल्बैज़. 2021. रिव्यू ऑफ़ दि यूज़ एंड इंपैक्ट ऑफ़ नैनो-लर्निंग इन एजुकेशन. https://www.dpublication.com/abstract-of-4th-ictle/56-4146 से लिया गया।

अली, ए. एवं अन्य. 2023. टीचर सपोर्ट ड्यूरिंग नैनो-लर्निंग फेसिनेट दि लर्निंग एक्सपीरिएंसेस ऑफ़ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स : अ कॉम्पेरेटिव एनालिसिस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस आर्काइव्ज.* 6(3). http://ijssa.com/index.php/ijssa/article/view/176 से लिया गया।

इमर्सन, एल. सी. एवं एल. बर्ज. ज़ेडन. 2018. माइक्रोलर्निंग : नॉलेज मैनेजमेंट एप्लिकेशन्स एंड कंपेटेन्सी-बेस्ड ट्रेनिंग इन दि वर्कप्लेस. *नॉलेज मैनेजमेंट एंड ई-लर्निंग : एन इंटरनेशनल जर्नल.* पृष्ठ संख्या 125–132. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2018.10.008 से लिया गया।

एबिंगहॉस, एच. 1913/1885. *मेमोरी : अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी.*, बुसेनियस हेनरी ए. रूगर एवं क्लारा ई बुसेनियस (1913) (अनुवादक). न्यूयॉर्क : टीचर्स कॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय.

कायालर, एफ. 2021. फीचर्स एंड एप्लिकेशन्स ऑफ़ नैनो-लर्निंग मॉडल. *इंटरनेशनल अकादमिक सोशल रिसोर्सेज जर्नल.* 6(32). पृष्ठ संख्या 1922–1927. https://doi.org/10.31569/asrjournal.414 से लिया गया।

खलीफ, ज़ेड. एन. एवं एस. सलहा. 2021. यूज़िग टिकटोक इन एजुकेशन : अ फॉर्म ऑफ़ माइक्रो-लर्निंग ओर नैनो-लर्निंग? *इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ़ वर्चुअल लर्निंग इन मेडिकल साइंसेज.* 12(3). पृष्ठ संख्या 213–218. https://doi:org/10.30476/ijvlms.2021.90211.1087 से लिया गया।

झोउ, एक्स. एवं अन्य. 2023. डिजिटल टेक्नोलॉजी एडप्टेशन एंड इनिशिएटिव : अ सिस्टेमेटिक रिव्यू ऑफ़ टीचिंग एंड लर्निंग डूरिंग कोविड -19. *जर्नल ऑफ़ कंप्यूटिंग इन हायर एजुकेशन*. 36(3), पृष्ठ संख्या 813–834. doi:10.1007/s12528-023-09376-z से लिया गया।

ब्लूर, सी. 2017. द *प्रोसेस ऑफ लर्निंग : सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ़ लर्निंग एंड डिसिप्लिन इन स्कूल*. प्रथम संस्करण. रूटलेज. https://doi.org/10.4324/9781315270159

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार. नई दिल्ली.

शोनबोर्न, सी., बी. होस्ट एवं के. पाल्मेरियस. 2016. नैनो एजुकेशन विद् इनटरैक्टिव विजुलेरान. *नैनो* टूडे. 11(5). पृष्ठ संख्या 543–546.

स्मिथ, जे. 2020. *फोरगेटिंग कर्व (एस वी जी फाइल)*. डिजिटल एंड विजुअल प्रोडक्टस.

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गेमिफिकेशन का समावेशन

विनोद शर्मा*
अनिल कुमार जैन**

इस शोध-पत्र के अंतर्गत शिक्षा में गेमिफिकेशन के महत्त्व पर चर्चा की गई है तथा शोधार्थी द्वारा कक्षा में कहूट (Kahoot) के अनुप्रयोग के आधार पर सीखने की प्रवृत्ति में आए बदलाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। गेमिफिकेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को आनंद, सक्रियता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। शोध-पत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि गेमिफिकेशन किस प्रकार बच्चों की सहभागिता, उनकी रचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023) के उद्देश्यों के अनुरूप गेमिफिकेशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस शोध-पत्र में शोधार्थी को ज्ञात हुआ कि कहूट जैसे मंचों के माध्यम से गेमिफिकेशन के तत्त्व, जैसे— अंक, बैज, लीडरबोर्ड, चुनौतियाँ, पुरस्कार आदि विद्यार्थियों की सीखने में रुचि, सहभागिता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। शिक्षक इन गतिविधियों को पाठ योजनाओं में सम्मिलित कर, खेल-आधारित मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी, मिशन आधारित असाइनमेंट तथा रोल-प्ले जैसे माध्यमों से पढ़ने को अधिक रोचक बना सकते हैं। यह तकनीक केवल अंग्रेज़ी विषय तक सीमित नहीं है बल्कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन तथा कला जैसे विषयों में भी गेमिफिकेशन अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। इस प्रकार गेमिफिकेशन एक प्रभावी तथा समकालीन शिक्षण विधि सिद्ध हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को शैक्षिक सफलता के साथ-साथ जीवन के अन्य महत्त्वपूर्ण कौशलों के लिए भी तैयार कर सकता है। इस शोध में डिजिटल तकनीक के अनुप्रयोग में आने वाली चुनौतियाँ, आवश्यक संसाधन तथा समाधान हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ने कक्षा में सीखने के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षा को समग्र, विविध तथा विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बनाने पर बल दिया गया है। इस नीति में यह कहा गया है कि शैक्षिक प्रक्रिया को बच्चों के जीवन से जोड़ा जाए, खेलों तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से प्रभावी किया जाए ताकि वे सक्रिय रूप से शिक्षा में सम्मिलित हो सकें।

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324021
***आचार्य*, *विभागाध्यक्ष*, शैक्षिक अध्ययन विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश 470003

इस संदर्भ में गेमिफिकेशन को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है क्योंकि यह शिक्षा को एक रोमांचक तथा प्रेरणादायक अनुभव बनाता है। गेमिफिकेशन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, उपलब्धि और पुरस्कारों की मानवीय प्रवृत्तियों का उपयोग करके सीखने को अधिक रोचक, सहभागी तथा आकर्षक बनाना है। शैक्षिक सामग्री को गेम जैसी गतिविधियों में बदलने से विद्यार्थियों को प्रेरित करने, सक्रिय रूप से भाग लेने तथा जानकारी को समझने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरणस्वरूप, कहूट जैसे गेम आधारित एप्लिकेशन का उपयोग कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी एकाग्रता में वृद्धि करने में मदद करता है। इसे संज्ञान में लेते हुए शोधार्थी ने कक्षा 9 के अंग्रेज़ी विषय में कहूट एप्लिकेशन का उपयोग किया।

शोध के उद्देश्य

1. गेमिफिकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना और उनके सीखने के अनुभव को रोचक और प्रभावी बनाना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के संदर्भ में गेमिफिकेशन की प्रासंगिकता क्या है?
3. कैसे गेमिफिकेशन बच्चों की भागीदारी, रचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है, को समझना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अवलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना तथा इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप समग्र एवं लचीला बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए लचीला, पारदर्शी तथा व्यावहारिक बनाना है ताकि विद्यार्थी अपनी रुचियों व क्षमताओं के अनुसार सीख सकें। इस नीति में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा तथा गेमिफिकेशन के महत्त्व को स्वीकार किया गया है जो विद्यार्थियों को प्रेरित तथा संलग्न करने में मदद करता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार शिक्षा को रोचक, चुनौतीपूर्ण और खेलों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रहे और वे शिक्षा को एक सक्रिय अनुभव के रूप में लें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा गेमिफिकेशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी समर्थित, ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। अध्याय 24 "ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा— प्रौद्योगिकी का समान उपयोग सुनिश्चित करना" उल्लिखित है, यहाँ भाग घ में कहा गया है— "रोचक तरीके से शिक्षा देने हेतु विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, जैसे ऐप्स तथा भारतीय कला एवं संस्कृति का विभिन्न भाषाओं में गेमिफिकेशन स्पष्ट संचालन निर्देशों के साथ तैयार किए जाएँगे"।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को अधिक आकर्षक और अंतर्क्रियात्मक बनाने के लिए गेमिफिकेशन को एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर देता है जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान कौशल, टीमवर्क आदि में वृद्धि होती है। गेमिफिकेशन विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने

तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है जिससे उनका समग्र विकास होता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को न केवल पारंपरिक तरीके से बल्कि विद्यार्थियों के जीवन और रुचियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 तथा गेमिफिकेशन

एन.सी.एफ़.एस.ई. 2023 भारत में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को और अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसमें शैक्षिक ज्ञान के साथ-साथ जीवन कौशल, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का भी विकास किया जाता है। एन.सी.एफ.एस.ई. 2023 में गेमिफिकेशन का भी समर्थन किया गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस रूपरेखा के अंतर्गत खेल-आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शारीरिक विकास में योगदान करता है। यह विद्यार्थियों को एक गतिशील एवं आकर्षक शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है जो उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

एन.सी.एफ.एस.ई. 2023 में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा को अंतर्क्रियात्मक तथा विद्यार्थी केंद्रित बनाया जाए। गेमिफिकेशन को इस उद्देश्य के लिए एक प्रभावी युक्ति माना गया है जो विद्यार्थियों के समूह कार्य, सहयोग, सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है। इस रूपरेखा में यह भी कहा गया है कि खेल, कला, शारीरिक गतिविधियाँ शिक्षा के अनिवार्य पहलु होने चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए एक समृद्ध तथा विविध शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करते हैं। गेमिफिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थियों को न केवल शैक्षिक सामग्री से जोड़ने का अवसर मिलता है बल्कि वे इसे खेलों और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के माध्यम से अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित होते हैं।

गेमिफिकेशन का अर्थ

गेमिफिकेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें खेल डिजाइन के तत्त्वों तथा सिद्धांतों का उपयोग गैर-खेल संदर्भों में किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके एवं उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसमें सामान्यतः अंक, प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार जैसे तत्त्व शामिल होते हैं।

शिक्षा या प्रशिक्षण जैसे गैर-खेल संदर्भों में गेमिफिकेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को आकर्षित करना तथा उनकी सहभागिता को बढ़ाना है। यह शिक्षा प्रक्रिया में खेल डिजाइन सिद्धांतों एवं तत्त्वों का उपयोग करता है जिससे विद्यार्थियों को सीखने के प्रति प्रेरित किया जाता है। ई-लर्निंग में गेम के तत्त्व, जैसे— अंक, बैज, लीडरबोर्ड (अग्रणी सूची) और चुनौतियाँ शामिल की जाती हैं, ताकि विद्यार्थियों को और अधिक प्रेरित किया जा सके तथा उनकी सहभागिता में वृद्धि हो।

शिक्षा में गेमिफिकेशन प्रक्रिया

गेमिफिकेशन शिक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा बढ़ाने के लिए एक प्रभावी युक्ति है। इसमें खेल डिज़ाइन सिद्धांतों और तत्त्वों का उपयोग करके शैक्षिक प्रक्रियाओं को रोचक और अंतर्क्रियात्मक

बनाया जाता है। तालिका 1 में शिक्षा में गेमिफिकेशन की प्रक्रिया तथा इसके विभिन्न तत्त्वों को समझाया गया है।

तालिका 1 — गेमिफिकेशन के चरण, विवरण एवं मुख्य तत्त्व

चरण	विवरण	मुख्य तत्त्व
गेमिफिकेशन	गैर-खेल संदर्भों में खेल डिज़ाइन सिद्धांतों का उपयोग	• खेल डिजाइन तत्त्व • प्रेरणात्मक युक्तियाँ • पुरस्कार
शैक्षिक संदर्भ	शिक्षा और प्रशिक्षण में गेमिफिकेशन को लागू करना	• विद्यार्थियों की भागीदारी • अध्ययन के लक्ष्य • अंतर्क्रियात्मक गतिविधियाँ
गेमिफिकेशन उपकरण	शिक्षा में खेल जैसे तत्त्वों का उपयोग	• अंक • बैज • लीडरबोर्ड • चुनौतियाँ
ई-लर्निंग गेमिफिकेशन	ऑनलाइन शिक्षा में गेमिफिकेशन तकनीकों का विशिष्ट उपयोग	• गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म • विद्यार्थी ट्रैकिंग • प्रेरणा बढ़ाने वाले उपकरण

आवश्यक संसाधन

गेमिफिकेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ बुनियादी संसाधनों की आवश्यकता होती है—

- **डिजिटल उपकरण**— स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर।
- **इंटरनेट सुविधा**— स्थिर एवं सुलभ इंटरनेट का होना आवश्यक है, विशेषतः ऑनलाइन गेमिंग टूल्स के उपयोग हेतु।
- **ऑडियो-विज़ुअल उपकरण**— जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड या टीवी, जो कक्षा में विज़ुअल इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण**— गेमिफिकेशन टूल्स के तकनीकी प्रयोग के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **शिक्षण सामग्री**— डिजिटल रूप में गेमिफाई की गई सामग्री, जैसे— प्रश्नोत्तरी (क्विज़), पहेलियाँ, कहानी आधारित शिक्षण आदि।

शिक्षा में गेमिफिकेशन के लिए ऐप्स

शिक्षा में गेमिफिकेशन एक प्रभावी तरीका है जो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह को बढ़ाता है। इसके लिए अनेक ऐप्स उपलब्ध हैं जो शिक्षा को अधिक अंतर्क्रियात्मक तथा रोचक बनाते हैं। कुछ प्रमुख ऐप्स जो शिक्षा में गेमिफिकेशन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं—

- **कहूट (Kahoot)**— यह सबसे लोकप्रिय ऐप्स में से एक है जो कक्षा में प्रश्नोत्तरी के खेल की तरह काम करती है। इसमें तात्कालिक प्रतिक्रिया, टाइमर तथा लीडरबोर्ड जैसी विशेषताएँ होती हैं जो विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हैं।
- **क्विज़िज़ (Quizizz)**— यह एक क्विज़ आधारित ऐप है जो विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें आप रोचक प्रश्न जोड़ सकते हैं और विद्यार्थियों को साप्ताहिक कार्य भी दे सकते हैं।
- **क्लासक्राफ्ट (Classcraft)**— यह एक रोल-प्लेइंग गेम आधारित ऐप है जहाँ विद्यार्थी

टीम में काम करते हैं और गेम के दौरान सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हैं।

- **सीसॉ (Seesaw)**— यह विद्यार्थियों को क्रिएटिव असाइनमेंट्स तथा गतिविधियाँ करने का अवसर देता है। शिक्षक इसे विद्यार्थियों के काम को साझा करने व सहयोग बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
- **ब्लूकेट (Blooket)**— यह एक प्रश्नोतरी आधारित ऐप है जिसमें विद्यार्थियों को गेम मोड्स में भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे पढ़ाई तथा रोचकता का मिश्रण होता है।

शोध अध्ययन के लिए कहूट का चयन

कहूट एक अत्यधिक प्रभावी और रोचक गेमिफिकेशन टूल है जो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, सक्रिय भागीदारी और शिक्षा के प्रति उत्साह को बढ़ाता है। यह शिक्षा को अधिक आकर्षक और अंतर्क्रियात्मक बनाता है विशेषरूप से अंग्रेज़ी जैसे विषय में, जहाँ विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कहूट को चयन करने के कारण निम्नलिखित हैं—

- इसका उपयोग करना अत्यंत आसान है।
- विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
- यह विद्यार्थियों को तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
- विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को तुरंत सुधारने का अवसर मिलता है।
- कहूट का टाइमर, संगीत तथा लीडरबोर्ड विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है।
- विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करता है।
- कहूट खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है।
- विद्यार्थियों को एक टीम के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

कहूट ऐप और गेमिफिकेशन— अंग्रेज़ी शिक्षण में नवाचार

कहूट एक लोकप्रिय गेम-आधारित लर्निंग ऐप है जिसका उपयोग विद्यार्थियों को आनंददायक तथा अंतर्क्रियात्मक रूप से शिक्षित करने के लिए किया जाता है। इस ऐप का उपयोग कर, विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी, मत देने तथा चुनौतियों के रूप में प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जो उनके सीखने को आनंददायक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं। विशेषरूप से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जहाँ अक्सर विषयों को रुचिकर बनाने में समस्या आती है। कहूट ने विद्यार्थियों भागीदारी और एकाग्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहूट के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही यह उनमें सीखने की प्रतिस्पर्धा को भी उत्तेजित करता है जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया अधिक आकर्षक बनती है।

कक्षा में गेमिफिकेशन का उपयोग

शोधार्थी का उद्देश्य ऐसी नवाचारी शिक्षण तकनीकों को शामिल करना था जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे तथा उन्हें विशेष रूप से अंग्रेज़ी, जो एक दूसरी भाषा है, सीखने में सक्रिय रूप से संलग्न करे। चूँकि

कई विद्यार्थी इसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं तथा उनमें प्रोत्साहन की कमी होती है। शोधार्थी ऐसा अधिगम वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रहे थे जो सीखने के प्रति उत्साह को बढ़ावा दे। इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए शोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से एक विद्यालय से संपर्क किया। यहाँ शोधार्थी को 15 दिनों तक अंग्रेज़ी पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान शोधार्थी ने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने तथा उनकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए गेमिफिकेशन तकनीकों का उपयोग किया। इस शोध-पत्र में शोधार्थी के अनुभवों और जानकारियों को साझा किया गया है।

अंग्रेज़ी जैसे विषय में विद्यार्थियों को समझने में अक्सर कठिनाई होती है। अत: शोधार्थी ने कहूट का उपयोग करके एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें विद्यार्थी न केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी पढ़ते थे बल्कि उसे एक मनोरंजक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से सीखने के साथ-साथ अपनी बुद्धि, स्मरण शक्ति तथा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी उपयोग करते थे। कहूट एक ऐसा अंतर्क्रियात्मक खेल है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को एक विशेष समय सीमा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसे खेलने के दौरान विद्यार्थियों को सवालों का सही-सही उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि, स्मरण शक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करना पड़ता है (चित्र 1)।

इस शोध-अध्ययन के दौरान कहूट के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन प्रश्नों में वे न केवल पाठ्यपुस्तक से संबंधित जानकारी को स्मरण करने के लिए प्रेरित होते थे बल्कि यह उनके समस्या-समाधान कौशल, समूह कार्य और समीक्षा क्षमता को भी विकसित करता था। इस एप्लिकेशन के द्वारा विद्यार्थी अपने उत्तरों पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते थे जो उनके प्रदर्शन में सुधार करने तथा अगले प्रयास में और अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। यह प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को तुरंत अपनी गलतियों को पहचानने व उसे सुधारने का अवसर देती थी जिससे उनका आत्मविश्वास और सीखने की प्रक्रिया दोनों सुदृढ़ होते थे।

इस प्रक्रिया ने विद्यार्थियों का मनोरंजन तथा सक्रिय भागीदारी बढ़ाई। पहले, विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी को एक बोझ की तरह देखते थे लेकिन गेमिफिकेशन ने इसे एक खेल एवं चुनौती के रूप में बदल दिया (चित्र 2)। वे न केवल अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे बल्कि अपने साथियों के साथ

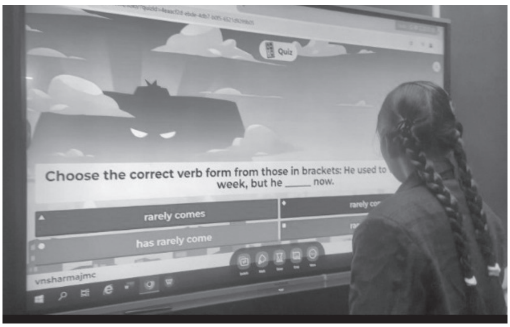

चित्र 1

चित्र 2

प्रतिस्पर्धा करते हुए इस प्रक्रिया को आनंददायक बना रहे थे। सही उत्तर पर मिलने वाला अंक तथा लीडरबोर्ड पर उनका स्थान उन्हें और अधिक प्रेरित करता था। इससे उनकी सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि वे अपने साथियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि वे सही उत्तर दें व खेल में अपने समूह को शीर्ष पर लाएँ। इस प्रकार न केवल उनकी प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा मिला बल्कि समूह में कार्य करने की भावना भी प्रबल हुई।

इसके अतिरिक्त कहूट जैसे गेमिफिकेशन एप्लिकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों की स्मृति, ध्यान और एकाग्रता में भी सुधार हुआ। वे सीखने के प्रति अधिक उत्साहित हुए क्योंकि अब उन्हें महसूस हुआ कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि इसे एक रोचक गतिविधि के रूप में भी लिया जा सकता है। गेमिफिकेशन ने उनके मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही पहलुओं को सक्रिय किया और उनकी शिक्षा में रुचि बनाए रखी। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि बढ़ी, उनकी एकाग्रता तथा भागीदारी में सुधार हुआ एवं अंग्रेज़ी जैसे विषय में उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई।

अंग्रेज़ी जैसे कठिन एवं जटिल विषय को समझने के दौरान जहाँ सामान्य रूप से विद्यार्थी ऊब सकते हैं, वहीं गेमिफिकेशन ने विद्यार्थियों को सीखने का एक नया दृष्टिकोण दिया। इससे उन्हें न केवल ज्ञान प्राप्ति का आनंद प्राप्त हुआ बल्कि उनकी प्रेरणा व ऊर्जा भी बनी रही। यह अनुभव दर्शाता है कि किस प्रकार डिजिटल तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके विद्यार्थियों के सीखने के तरीके को अधिक प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है।

शिक्षकों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण संकेत है कि वे केवल पारंपरिक पद्धतियों का पालन करने के बजाय नए-नए तरीकों का उपयोग करें, ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। कहूट जैसे गेमिफिकेशन उपकरणों ने शोधार्थी की शिक्षण पद्धतियों को और भी अधिक प्रभावी बना दिया। इसके साथ ही, इसने मुझे यह समझने में मदद की कि शिक्षा केवल कक्षा में बैठकर किताबों का अध्ययन करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे एक रोमांचक तथा मनोहर अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार, यह पूरी प्रक्रिया विद्यार्थियों को सिर्फ उनके पाठ्यक्रम में नहीं बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है।

अंत में यह कहना उचित होगा कि कहूट जैसे गेमिफिकेशन उपकरणों ने शिक्षा के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इन उपकरणों ने शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच की खाई को कम किया, विद्यार्थियों को सीखने के प्रति और अधिक उत्साहित किया एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की। इसके साथ ही, इस शोध-अध्ययन में शोधार्थी ने यह पाया कि जब हम शिक्षा को खेल और प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह न केवल विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है बल्कि उनके सीखने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देता है।

गेमिफिकेशन के लाभ— मेरी शिक्षण यात्रा में

कक्षा में गेमिफिकेशन का उपयोग करने से विद्यार्थियों में कई सकारात्मक बदलाव आएँ जो अग्रलिखित हैं—

विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा में वृद्धि

गेमिफिकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को एक अंतर्क्रियात्मक, प्रतियोगी और मज़ेदार अनुभव प्राप्त हुआ। वे प्रश्नों का उत्तर देने में उतना ही उत्साहित रहते थे, जितना कि किसी खेल में भाग लेते हुए। इससे न केवल विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ी के विषय को और भी रुचिकर तरीके से सीखा। विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के भाव ने उन्हें सीखने के लिए अधिक प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह के अंत में आयोजित कहूट क्विज़ में विद्यार्थियों ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की जिससे उनकी परीक्षा की तैयारी भी हुई।

स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार

गेमिफिकेशन के खेल आधारित फॉर्मेट ने विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार किया। जब विद्यार्थियों को सवालों का जवाब देने के लिए समय सीमा दी जाती है तो वे ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस समय-सीमित प्रतिस्पर्धा ने उनकी तात्कालिक सोच क्षमता को बढ़ाया तथा वे अंग्रेज़ी व्याकरण एवं शब्दकोश और अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं को बेहतर तरीके से सीख पाए। उदाहरण के लिए, एक विषय विशेष जैसे 'सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स' पर जब विद्यार्थियों ने कहूट में भाग लिया, तो उन्होंने न केवल समझा बल्कि अधिक समय तक उसे स्मरण में रखा।

शिक्षक-विद्यार्थी संवाद में सुधार

गेमिफिकेशन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच संवाद को भी बेहतर किया। विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को तुरंत देख पाने और सुधारने का मौका मिलता है। साथ ही, शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि किस विषय पर विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे कक्षा में व्यक्तिगत और समूह स्तर पर सुधार की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

सामाजिक कौशल और टीमवर्क का विकास

गेमिफिकेशन का एक अन्य लाभ यह है कि यह विद्यार्थियों को समूह में काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अक्सर, विद्यार्थियों ने समूहों में मिलकर खेल खेले तथा आपसी विचारों को साझा किया। इससे उनके सामाजिक कौशल एवं संवाद की क्षमता में भी सुधार हुआ।

निरंतर सीखने का अवसर

कहूट जैसे एप्लिकेशन का उपयोग विद्यार्थियों को निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन के आधार पर लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ा तथा उन्हें यह महसूस हुआ कि शिक्षा केवल एक गंभीर कार्य नहीं है, बल्कि यह आनंददायक भी हो सकता है।

- **शिक्षा को रोचक बनाना**— गेमिफिकेशन ने विद्यार्थियों को एक नियमित कक्षा के स्थान पर एक आनंनददायक और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल दिया, जिससे वे सीखने के अनुभव को उत्साही और चुनौतीपूर्ण मानने लगे।
- **मनोबल तथा आत्मविश्वास में सुधार**— शोधार्थी ने देखा कि गेमिफिकेशन से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से अपनी

क्षमताओं का परीक्षण किया तथा उन्हें अपनी सफलताओं का एहसास हुआ।

इनके अलावा, शोधार्थी ने पाया कि गेमिफिकेशन ने सामूहिक प्रयास (टीमवर्क), सहयोग तथा सामाजिक समझ को प्रोत्साहित किया जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। इस प्रकार गेमिफिकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को नए तरीकों से सोचने, समस्याओं को हल करने व अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने का अवसर मिला जो शोधार्थी ने एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा।

गेमिफिकेशन का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समावेश एवं अन्य विषयों में अनुप्रयोग

शिक्षक गेमिफिकेशन को अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शामिल कर सकते हैं ताकि शिक्षा को अधिक सक्रिय, सहभागितापूर्ण और आनंददायक बनाया जा सके। इसके लिए उन्हें पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ-साथ डिजिटल अथवा ऑफलाइन खेल-आधारित गतिविधियों को जोड़ना होगा। उदाहरणस्वरूप, प्रश्नोत्तरी (कहूट, क्विज़ीज़), फ्लैशकार्ड, बैज या पुरस्कार प्रणाली, प्वाइंट बोर्ड, समयबद्ध चुनौतियाँ तथा रचनात्मक मिशन-आधारित कार्यों का प्रयोग कर विद्यार्थियों की सीखने की रुचि बढ़ाई जा सकती है। गेमिफिकेशन न केवल अंग्रेज़ी भाषा सीखने में सहायक है बल्कि यह गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं कला जैसे अन्य विषयों के शिक्षण में भी उतना ही प्रभावशाली और उपयोगी सिद्ध होता है।

- **गणित** में, अंक आधारित स्तर प्रणाली, समस्या-समाधान चुनौतियाँ, टाइम-ट्रायल्स या डिजिटल पज़ल्स उपयोगी हो सकते हैं।
- **विज्ञान** में, प्रयोग आधारित गेम्स, खोजी मिशन या 3D एनिमेशन आधारित क्विज़ से जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच को बल मिलता है।
- **सामाजिक विज्ञान** में, ऐतिहासिक घटनाओं के समयक्रम पर आधारित खेल, भौगोलिक स्थानों की पहचान या नक्शा गेम्स को शामिल किया जा सकता है।
- **कला और खेल** जैसे विषयों में, प्रोजेक्ट आधारित स्कोरिंग, पोर्टफोलियो बैजिंग व क्रिएटिव चैलेंज विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालाँकि गेमिफिकेशन के लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन भारत जैसे विविध सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य वाले देश में इसके अनुप्रयोग में कई बाधाएँ आती हैं—

- **डिजिटल डिवाइड**— ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए स्मार्ट डिवाइसेज़ और इंटरनेट की अनुपलब्धता।
- **तकनीकी दक्षता की कमी**— कई शिक्षकों के पास गेमिफिकेशन उपकरण के प्रयोग का न तो अनुभव होता है तथा न ही प्रशिक्षण।
- **भाषा व सांस्कृतिक विविधता**— अधिकांश डिजिटल उपकरण अंग्रेज़ी में होते हैं, जो हिंदी भाषी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं।

- **स्क्रीन टाइम का संतुलन**— बच्चों की डिजिटल लत तथा आँखों पर प्रभाव भी एक चिंता का विषय है।
- **अनुकूल पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव**— विषय-विशेष के अनुसार स्थानीय और उपयुक्त गेमिफिकेशन टूल्स का सीमित विकास।

सुझाव

इन समस्याओं का समाधान कई स्तरों, जैसे— नीति निर्माण स्तर एवं शैक्षिक स्तर आदि, पर किए जाने का सुझाव है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**— राज्य तथा जिला स्तर पर आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार तकनीक) आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षक सरल उपकरणों, जैसे— कहूट, क्विज़ीज़, वर्डवॉल आदि को आत्मविश्वास से प्रयोग कर सकें।
- **कम संसाधनों में भी संभव गेमिफिकेशन**— सभी गेमिफिकेशन डिजिटल नहीं होते— रोल-प्ले, फ्लैशकार्ड, प्वाइंट बोर्ड, वर्कशीट आधारित खेल आदि ऑफलाइन माध्यमों से भी किए जा सकते हैं।
- **स्थानीय भाषा में सामग्री का विकास**— विद्यार्थियों की भाषा तथा संस्कृति के अनुसार कहानी-आधारित गेम, लोकप्रचलित विषयों और संदर्भों को शामिल कर शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जाए।
- **ओपन-सोर्स और लो-डेटा टूल्स का उपयोग**— जैसे प्लिकर्स, नियरपॉड या ऑफलाइन क्विज़ ऐप्स जो कम बैंडविड्थ में कार्य कर सकें।
- **नीति सहयोग एवं सी.एस.आर. भागीदारी**— सरकारी योजनाओं तथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) के माध्यम से स्कूलों को उपकरण एवं इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए जाएँ।
- **स्कूल-स्तरीय नवाचार**— विद्यालय स्तर पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे स्वयं अपने विषय के अनुसार गेमिफाईड टूल्स का निर्माण करें, जैसे— डी.आई.वाई. बोर्ड गेम, कहानी का नाट्य रूपांतरण आदि।

निष्कर्ष

शिक्षा में गेमिफिकेशन, विशेषरूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक बदलाव ला सकता है। गेमिफिकेशन का महत्त्व इस बात में निहित है कि यह न केवल विद्यार्थी को केंद्र में रखकर अधिगम को रोचक बनाता है बल्कि 21वीं सदी के कौशल, जैसे— समस्या समाधान, सहयोग, नवाचार, आत्म-नियमन और निर्णय क्षमता को भी विकसित करता है। साथ ही यह विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी शिक्षण वातावरण तैयार करता है जहाँ हर विद्यार्थी अपनी गति और रुचि के अनुसार सीख सकता है।

गेमिफिकेशन आज की शिक्षा में एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में उभर रहा है, विशेषतः जब इसे शिक्षकों द्वारा कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रणनीतिक रूप से सम्मिलित किया जाए। शिक्षकों को चाहिए कि वे खेल आधारित शैक्षिक उपकरणों

का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक आकर्षक तथा प्रभावी शिक्षण पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके। शिक्षक सरल डिजिटल टूल्स (जैसे— कहूट, क्विज़िज वर्डवॉल आदि) का उपयोग करके विषय-वस्तु को खेल-आधारित अनुभवों में रूपांतरित कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, अंग्रेज़ी में शब्दावली आधारित खेल, गणित में समस्या-समाधान की प्रतियोगिताएँ, विज्ञान में खोज-आधारित क्वेस्ट और सामाजिक विज्ञान में टाइमलाइन गेम्स विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय और प्रेरित बनाते हैं। यह स्पष्ट है कि गेमिफिकेशन केवल एक विषय विशेष तक सीमित न रहकर, बहुविषयी शिक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके प्रभावी उपयोग हेतु शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय भाषा में सामग्री के विकास की आवश्यकता होती है। साथ ही, ऑफ़लाइन तथा कम संसाधन वाले विकल्पों की खोज करके भी गेमिफिकेशन को व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। यदि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और चुनौतियों को व्यावहारिक सुझावों से हल किया जाए, तो गेमिफिकेशन को भारत जैसे विविध और बहुभाषी देश में भी सरल, सस्ता और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इससे न केवल शिक्षण में नवाचार आएगा, बल्कि विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सहयोग, समस्या समाधान क्षमता और सीखने के प्रति रुचि में भी वृद्धि होगी।

इस दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, उत्साह और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो सकता है। इस प्रकार, शिक्षा के क्षेत्र में गेमिफिकेशन को अपनाने से हम विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर, अधिक समावेशी और प्रासंगिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो 21वीं सदी के कौशलों के अनुरूप हो।

संदर्भ

ए, ऐबर-अल्माज़ान. एवं अन्य. 2024. गेमीफिकेशन इन द क्लासरूम : कहूट! एज़ ए टूल फ़ॉर यूनिवर्सिटी टीचिंग इन्नोवेशन. *फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी*. 15(3). पृष्ठ संख्या 1–8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1370084 दिनांक 9 दिसंबर, 2024 को प्राप्त किया गया.

गी, जे. पी. 2003. व्हाट विडियो गेम्स हैव टु टीच अस अबाउट लर्निंग एंड लिटरेसी? *कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट*. वॉल्यूम 1. पृष्ठ संख्या 20–20. http://dx.doi.org/10.1145/950566.950595 दिनांक 15 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

प्रेंस्की, एम. 2001, द गेम्स जेनेरेशन्स : हाउ लर्नर्स हैव चेंज्ड, *कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट,* 1(1). पृष्ठ संख्या 1–26. http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=950566.950596 दिनांक 21 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. भारत सरकार. नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ncf_2023.pdf दिनांक 6 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2022. *बुनियादी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023.* https://ncert.nic.in/focus-group.php?in=hi दिनांक 4 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

———. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. https://ncert.nic.in/focus-group.php?in=hi दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

———. 2023. *जादुई पिटारा : ऐन इंट्रोडक्शन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर द फाउंडेशनल स्टेज.* https://ncf.ncert.gov.in/webadmin/assets/ef4118e0-4a9e-4f17-a034-7041747d45e7 दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

रोचा, जे. एवं अन्य. 2015. कंप्यूटर्स एंड लैंग्वेज लर्निंग, *क्रिएटिव एजुकेशन,* 6(13). पृष्ठ संख्या 1456–1465. https://doi.org/10.4236/ce.2015.613146 दिनांक 22 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा हेतु किए गए प्रगतिशील सुधार

सत्यम कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.), शिक्षा में प्रगतिशील सुधार की एक आधारशिला है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर उसे एक नवीन रूप देना है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता है। यह नीति न्यायसंगत तथा सुलभ शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो दिव्यांग बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को उनकी विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करते हुए मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करती है। इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों में अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास, समावेशी प्रथाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि से जुड़ी विषयवस्तु को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्याओं की शीघ्र पहचान और उनके समाधान पर अधिक बल देती है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.) के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित नेशनल गाइडलाइंस एंड इम्प्लिमेटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन (एन.जी.आई.एफ.ई.आई.ई.) आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016, समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन की रूपरेखा, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के पहल एवं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) की डिजिटल प्रयासों को इस लेख में शामिल किया गया। यह लेख समावेशी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण की पड़ताल करता है तथा पहचान करता है। इसके साथ ही, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कार्यवाही योग्य रणनीतियों का सुझाव देता है। प्रस्तुत लेख में शिक्षा से जुड़े सभी सहभागियों व हितधारकों की ज़िम्मेदारी का भी उल्लेख किया गया है।

समावेशी शिक्षा ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक बुनियादी कदम है जो विविधता को महत्त्व देता है तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी शारीरिक, बौद्धिक या भावनात्मक चुनौतियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ सके तथा जीवन में ऊँचाइयों को प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा सहानुभूति, सहयोग तथा समझ को बढ़ावा देती है, जिससे न केवल विशेष आवश्यकता

**सहायक आचार्य*, इतिहास विभाग पटना वीमेंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय पटना, बिहार 800001

वाले विद्यार्थियों को बल्कि उनके साथियों व समाज को भी लाभ होता है। समावेशिता की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने के महत्त्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना और विद्यार्थी अनुकूल वातावरण स्थापित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) तथा सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में निहित शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को सशक्त बनाने पर बल देती है। इसका एक अन्य उद्देश्य ऐसा शैक्षिक ढाँचा तैयार करना भी है जो सभी के लिए स्वीकृति तथा अवसर की संस्कृति का विकास करता है। इस संदर्भ में *समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क कार्यान्वियन 2022* भी विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत तथा समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो समावेशी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत पर केंद्रित है। यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं को आधार मानकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच पर बल देता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ-साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के कार्यों की महत्ता को भी समझा जा सकता है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, विनियमन एवं प्रत्ययन तथा जागरूकता पर विशेष बल दिया जाता है। इन विभिन्न प्रयासों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) की डिजिटल पहल भी सभी के लिए विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी एवं समान शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शैक्षणिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करके, सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प. इन विद्यार्थियों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करता है, जिससे उनके शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान तथा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समावेशी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो दिव्यांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यह नीति समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है। शिक्षा में समानता एवं पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की प्रमुख अनुशंसाओं का विवरण इस प्रकार है—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के मूलभूत चरणों के दौरान दिव्यांगताओं और सीखने की

चुनौतियों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक जाँच पर बल देती है। एन.ई.पी. 2020 सुझाव देती है कि कम उम्र से ही विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पेशेवर परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों सहित सहायता प्रणालियाँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शैक्षिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (आर.पी.डब्ल्यू. डी., एक्ट 2016) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। यह नीति, आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी अनुशंसाओं को पूरा करती है। विद्यालयी शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023* तैयार करते समय रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा दिव्यांगजन विभाग के साथ परामर्श सुनिश्चित करना आवश्यक किया गया है। (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023,अनुच्छेद 6.10)

3. समावेशी पाठ्यचर्या रूपरेखा के माध्यम से विभिन्न सीखने की क्षमताओं को समायोजित करने के लिए तैयार किए गए लचीले पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें विद्यालयों को विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) विकसित करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम इस मार्ग में सहायक सिद्ध होगा।

4. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता विकास नीति सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी प्रथाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। शिक्षकों को विविध कक्षाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के कौशल से परिपूर्ण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.14)

5. दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, नि:शुल्क विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.5)

6. सहायक प्रौद्योगिकी और डिजिटल समावेशन में दिव्यांग बच्चों के लिए सीखने में सहायता हेतु सहायक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती

है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को सुलभ बनाने हेतु डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें टेक्स्ट-टू-स्पीच और आवाज़ पहचानने जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.2.5)।

8. विद्यालय का बुनियादी ढाँचा और पहुँच हेतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार विद्यालय भौतिक और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग (यू.डी.एल.) का पालन किया जाए। इस प्रावधान के अंतर्गत रैंप, सुलभ शौचालय और बाधा मुक्त बुनियादी ढाँचे के प्रावधान पर ज़ोर दिया गया है। दरअसल, साल 2023–24 के UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन प्लस) रिपोर्ट के अनुसार देश के 14.72 लाख विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक में पढ़ने वाले 24 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों में से 21.14 लाख बच्चे किसी ना किसी तरह की दिव्यंगता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन केवल 32.2 प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंक्शनल टॉयलेट्स या रैंप जैसी सुविधाएँ हैं।

9. इसके लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय परिसरों में दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए गाँव या ब्लॉक स्तर, जहाँ भी आवश्यकता हो, एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच बाधा मुक्त संरचनाओं (भवन इत्यादि) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे— बड़े प्रिंट तथा ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएँ जाएँगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी विद्यालयी गतिविधियों पर भी लागू होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा

का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.11)।

10. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के पास नियमित या विशेष शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही (होम स्कूलिंग) उपलब्ध करने, कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता/अभिभावकों को भी मदद करेंगे। विद्यालय जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों हेतु गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह-आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ग्रहण रहे विद्यार्थियों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। गृह-आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता की जाँच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित लेखांकन कराया जाएगा। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अनुरूप इस लेखांकन के आधार पर गृह-आधारित विद्यालयी शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश और मानक विकसित किए जाएँगे (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 1, अध्याय 6, अनुच्छेद 6.12)।

11. संसाधन केंद्र और सहायता प्रणाली के अंतर्गत विद्यालयों को क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों द्वारा समर्थित किया जाएगा जो विशेष शिक्षा में विशेषज्ञ हैं। अतिरिक्त सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली शिक्षा सभी विद्यालयों में अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठन उनके लिए विद्यालयों के रूप में भी कार्य करते हैं। गैर-सरकारी संगठन दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों के उदाहरण अग्रलिखित हैं, जैसे— दिल्ली में कार्यरत 'दीपालया', भारत के दक्षिण भाग में कार्यरत 'क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन (सी.बी.एम.) इंडिया ट्रस्ट', राजस्थान में सेवा देने वाला 'नारायण सेवा संस्थान', कर्नाटक में 1959 से संचालित 'एसोसिएशन ऑफ़ पीपल विद डिसेबिलिटी' इत्यादि कुछ गैर-सरकारी संगठन प्रमुख हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 'अमर ज्योति संस्थान' कड़कड़डूमा दिल्ली का भी कार्य सराहनीय है।

12. माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के महत्त्व को

रेखांकित करती है। हीन भावना को कम करने और समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को लागू करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसी प्रणाली में बदलना है जो विशेष आवश्कताओं वाले विद्यार्थियों को सशक्त बनाती है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और समाज में सक्रिय रूप से योगदान करने में सक्षम बनाती है।

आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016

इस विषय में अगर आगे देखा जाए तो आर.पी. डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 अत्यंत महत्त्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत होता है। यह एक व्यापक भारतीय कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यू.एन.सी. आर.पी.डी.) के अनुरूप, पहले के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) को प्रतिस्थापित किया है। यह अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान करता है जो कि 1995 के अधिनियम में वर्णित दिव्यांगताओं की 7 श्रेणियों से अलग हैं। यह 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं— दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाक् और भाषा दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, माँसपेशीय दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, स्किल सेल रोग, बहु निःसक्कता, एसिड अटैक पीड़ित, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, पार्किंसंस रोग।

इन दिव्यांगताओं के साथ यह अधिनियम सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। जब अधिकार और पात्रता की बात की जाए तो यह अधिनियम रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सभी क्षेत्रों में समानता, गैर-भेदभाव और पहुँच सुनिश्चित करता है। 18 वर्ष की आयु तक दिव्यांग व्यक्तियों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। यह अधिनियम सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सूचना और संचार प्रणालियों को सुलभ बना कर वहाँ तक दिव्यांगजनों की पहुँच को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता के साथ कानूनी निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए "सीमित संरक्षकता" की अवधारणा का परिचय देता है। यह अधिनियम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त सहित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उनकी गरिमा सुनिश्चित करने तथा उन्हें पूरी तरह से समाज में एकीकृत करने पर ज़ोर दिया जाता है। यह समावेशिता और समानता की ओर एक प्रगतिशील कदम है। इस अधिनियम के उल्लंघन, जैसे— भेदभाव या गैर-अनुपालन, की दशा में कानूनी दंड की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022, भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत और

समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें विद्यालयी पूर्व से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक को शामिल किया गया है। समावेशी शिक्षा इस रूपरेखा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009, आर.पी. डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 और एन.ई.पी. 2020 के प्रावधानों के अनुरूप, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों, विशेषरूप से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच पर ज़ोर देती है।

समग्र शिक्षा रूपरेखा में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से सार्वभौमिक पहुँच, समानता का पालन और एकीकरण की अवधारणा लिए हुए हैं। इसमें सार्वभौमिक पहुँच यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हो सके। समानता से तात्पर्य यह है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करें और एकीकरण का अर्थ यहाँ यह हुआ कि एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहाँ सभी बच्चे एक साथ सीखें, विविधता का सम्मान करें और आपसी समझ को विकसित करें।

समग्र शिक्षा की रूपरेखा में भी मूलभूत सभी विचार वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों मे वर्णित हैं। इनमें पहचान तथा मूल्यांकन, बुनियादी ढाँचा एवं पहुँच, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण सामग्री, दिव्यांग सहायता प्रणाली और निगरानी एवं मूल्यांकन इत्यादि शामिल हैं।

अतः समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा 2022 का समावेशी शिक्षा घटक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समायोजित करती है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, परंतु निरंतर प्रयास, सामुदायिक भागीदारी और अंतर-विभागीय सहयोग के साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर वास्तव में समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर दिशा-निर्देश

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन.) ने भारत में समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा दिव्यांग सहित हाशिए पर स्थित समूहों के विद्यार्थियों हेतु सुलभ, न्यायसंगत और समावेशी हो। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं —

- सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग या दिव्यांगता की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। इस प्रयास में विद्यालय न जाने वाले विद्यार्थियों, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विद्यार्थियों के नामांकन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।
- समावेशी पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पाठ्यचर्या डिज़ाइन के द्वारा एक ऐसा

पाठ्यक्रम विकसित करे, जो समाज की विविधता को दर्शाता हो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और क्षमताओं के लिए सम्मान को बढ़ावा देता हो। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके प्रदान करे।

- सभी विद्यालय सुनिश्चित करें कि बाधा-मुक्त बुनियादी ढाँचा, जैसे— रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालय आदि विद्यालय में उपलब्ध हों। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्पर्श पथ प्रदर्शक और संकेत, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए श्रवण लूप और सहायक श्रवण उपकरण तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए बाधा-मुक्त डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दें।
- विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचानें और संबोधित कर शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है। समावेशी शिक्षण युक्तियों और सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ-साथ 'निष्ठा' जैसी पहल के तहत समावेशी शिक्षा पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। विद्यालयों में विशेष शिक्षक की भर्ती और तैनाती को प्रोत्साहित करें।

यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का एकीकरण हो। यह दिशा-निर्देश न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रणालीगत, ढाँचागत तथा शैक्षणिक बाधाओं को दूर करके शिक्षा प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदलना है जो वास्तव में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी और सशक्त हो।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प. की पहल

रा.शै.अ.प्र.प. का केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) दिव्यांग विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी.आई.ई.टी. की डिजिटल पहल का उद्देश्य विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले संसाधन, उपकरण और मंच प्रदान करके शिक्षा तक समान और समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम 2016 में कल्पना की गई है।

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सी.आई.ई.टी. की प्रमुख डिजिटल पहल

1. 'ई-पाठशाला' एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी ग्रेड और विषयों के लिए ई-पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो पुस्तकों, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है। यहाँ सुलभ सामग्री श्रव्य और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त प्रारूपों में उपलब्ध है जिसमें सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ ऑडियो

फ़ाइलें और वीडियो शामिल हैं। यह सभी संसाधन कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

2. 'दीक्षा' विद्यालयी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों हेतु डिजिटल सामग्री का भंडार प्रस्तुत करता है। यहाँ सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन अर्थात् यूनिवर्सल डिज़ाइन फ़ॉर लर्निंग (यू.डी.एल.) सिद्धांतों के साथ संरेखित सामग्री विविध शिक्षार्थियों हेतु उपलब्ध है।
3. 'निष्ठा', समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों हेतु एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसमें दिव्यांगों की सहायता हेतु समावेशी शिक्षा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डिजिटल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
4. सी.आई.ई.टी. ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रम को सुलभ बनाने हेतु *बरखा* अध्ययन शृंखला तैयार की है।
5. 'प्री-असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल' (PRASHAST) पहल में एक मोबाइल ऐप और एक पुस्तिका शामिल है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करती है। यह ऐप दिव्यांग विद्यार्थियों को पहचान करने में मदद करता है।
6. *इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020* में वर्णित है कि सी.आई.ई.टी. ने महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षण समाधानों के निर्माण में योगदान दिया। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु अनुकूलित ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित कर सहायक उपकरणों के साथ संसाधन किट का विकास किया एवं उन तक पहुँच सुनिश्चित की।
7. समावेशी प्रथाओं के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पुरस्कार प्रदान करना एक अन्य पहलू है जिसमें सी.आई.ई.टी. उन शिक्षकों को मान्यता देता है जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन आई.सी.टी. प्रथाओं का उपयोग करते हैं और दूसरों को समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
8. ऑडियो और रेडियो कार्यक्रम द्वारा सी.आई.ई.टी. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच वाले विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और पॉडकास्ट जैसे रेडियो चैनलों का उपयोग करता है। यह कार्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।
9. दिव्यांगों हेतु साइबर सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत सी.आई.ई.टी. दिव्यांग विद्यार्थियों को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करता है। इसके साथ ही, संसाधन विकसित करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक सुरक्षित रूप से पहुँच सकें।
10. सी.आई.ई.टी. द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, डिस्लेक्सिया से पीड़ित विद्यार्थियों को कक्षा में कैसे शामिल किया जाए।

11. सी.आई.ई.टी. ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तकें विकसित की हैं इन उभरे हुए मानचित्रों को स्पर्श करके समझने में आसान होता है।
12. प्रधानमंत्री का 'ई-विद्या' मंच एक डिजिटल पहल है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पहचानता है। इस प्रकार सी.आई.ई.टी. की डिजिटल पहल समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

सहयोग कार्यक्रम एवं योजनाएँ

सी.आई.ई.टी. विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है, जैसे— यूनेस्को, समग्र शिक्षा तथा गैर-सरकारी संगठन इत्यादि के साथ मिलकर कार्य करने से समावेशी डिजिटल शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे समावेशी शिक्षा हेतु सरकारी पहल के साथ जुड़ने और सामुदायिक स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक प्रयास का प्रतिफल निकल पाएगा। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की गुणवत्ता तथा अधिक विकसित करने और पहुँच बढ़ाने पर कार्य हो, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ साझेदारी हो, एवं दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु एआई संचालित व्यक्तिगत शिक्षण उपकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करना भी अति-आवश्यक योजनाओं में से एक है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प. की डिजिटल पहल सभी के लिए विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और इसे शैक्षणिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करके सी.आई.ई.टी. इन विद्यार्थियों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करता है इससे उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद की पहल

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) का सार्थक योगदान है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित आर.सी.आई. जहाँ एक ओर भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहीं दूसरी ओर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पुनर्वास सेवाओं के विकास, मानकीकरण और विनियमन के लिए भी ज़िम्मेदारी उठा रहा है। आर.सी.आई. अपने मुख्य उद्देश्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, विनियमन और प्रत्यायन एवं जागरूकता पर विशेष बल देता है। विशेष और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर समावेशी शिक्षा हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को विनियमित करना और मान्यता देना, इसके महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियानों के माध्यम से शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों और ज़रूरतों को बढ़ावा देना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। आर.सी.आई. मुख्य रूप से सहयोगात्मक परियोजनाओं द्वारा समावेशी

शिक्षा सामग्री और नीतियों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और विश्वविद्यालयों जैसे निकायों के साथ सहयोग करता है एवं सहायक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए कक्षाओं में स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट-टू-स्पीच डिवाइस और वैकल्पिक संचार उपकरण जैसी सहायक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

समावेशी शिक्षा हेतु अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (दिल्ली) का कार्य

अमर ज्योति संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट भारत में एक अग्रणी संगठन है। यह जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और दिव्यांग विद्यार्थियों को एक साथ सीखने के वातावरण में एकीकृत करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करता है। वर्ष 1981 में स्थापित अमर ज्योति का समावेशी शिक्षा मॉडल समानता, पहुँच और सशक्तिकरण के सिद्धांतों के अनुरूप है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसके प्रमुख कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है—

1. अमर ज्योति समावेशी शिक्षा को लागू करने वाले भारत के पहले संस्थानों में से एक है, जहाँ दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ सीखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। यहाँ के शिक्षण में सामान्य विद्यार्थियों को सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने एवं अपने दिव्यांग साथियों की सहायता एवं समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
2. अमर ज्योति संस्थान अपने शैक्षिक ढाँचे के भीतर पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करती है जो फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक थेरेपी के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु परिसर में थेरेपी सेवाएँ देती है। संचार चुनौतियों वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए वाक् और भाषा थेरेपी प्रस्तुत करती है। यहाँ चिकित्सा सहायता तथा सुधारात्मक सर्जरी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है।
3. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमर ज्योति संस्थान समावेशी शिक्षाशास्त्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। संस्थान नियमित रूप से यू.डी.एल., प्रौद्योगिकी और व्यवहार प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विश्वविद्यालयों को सहयोग करता है।
4. यह संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें रोज़गारपरक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे— कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई और कढ़ाई, मोमबत्ती और साबुन बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इत्यादि।
5. इस संस्थान द्वारा कौशल विकास और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत जीवन कौशल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्हीलचेयर खेल और पैरा

एथलेटिक्स सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला कार्यशालाओं और खेल आयोजनों में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

6. अमर ज्योति संस्थान समावेशी शिक्षा के महत्त्व के बारे में माता-पिता, समुदायों और स्थानीय हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। यह संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए ग्रामीण और वंचित समुदायों के साथ जुड़ता है। यह संस्थान सक्रिय रूप से समावेशी शिक्षा पद्धतियों पर अनुसंधान करता है और अन्य विद्यालयों और संगठनों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलावों की वकालत करता है।

उपलब्धियाँ और मान्यता

अमर ज्योति संस्थान के समावेशी शिक्षा मॉडल को यूनेस्को और अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा समावेशी शिक्षा में सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई है। संगठन को इसके उत्कृष्ट कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को-एन.ओ.एम.ए. साक्षरता पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अमर ज्योति संस्थान के समावेशी शिक्षा मॉडल को भारत के विभिन्न विद्यालयों और संगठनों के साथ विदेशों में भी अपनाया गया है। अमर ज्योति संस्थान ने शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 के तहत समावेशी शिक्षा नीतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कार्यवाही योग्य कदम

विशेष विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण को लागू करने के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और अभिभावकों से सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक सहायक और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक हितधारक समूह के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

1. **शिक्षकों के लिए** — शिक्षक समावेशी कक्षाएँ बनाएँ जिसमें हीन भावना को समाप्त करने हेतु विद्यार्थियों के बीच सहानुभूति और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों में बौद्धिक चेतना का तीव्र विकास होगा। शिक्षकों को विभेदित शिक्षण विधियों, जिसमें सामान्य और विशेष विद्यार्थियों के बीच बिना भेदभाव के समान शिक्षा का प्रसार हो, उपयोग करना चाहिए जो विविध सीखने की क्षमताओं को पूरा करती हैं। शिक्षकों को नियमित रूप से पेशेवर प्रशिक्षण लेकर अपना विकास करना होगा। समावेशी शिक्षण युक्तियों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता करें। विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) विकसित करने हेतु विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं के साथ काम करें। दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन लें। सहायक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ। पाठ्यक्रम में स्क्रीन रीडर, ऑडियो पुस्तकें

और टेक्स्ट-टू-स्पीच से संबंधित सॉफ़्टवेयरों व उपकरणों के प्रयोग को सुनिश्चित करें।

2. **नीति निर्माताओं के लिए** — नीति निर्धारित समावेशी शिक्षा के लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित करें क्योंकि सुलभ बुनियादी ढाँचे के निर्माण, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और सहायक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित करने की आवश्यकता है। इस प्रयास के अंतर्गत समावेशी शिक्षा प्रथाओं को लागू करने वाले विद्यालयों के लिए सब्सिडी या अनुदान दिया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करें। सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा मॉड्यूल को अनिवार्य करना आवश्यक है। विशेष शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर उसे जागृत करने का प्रयास करें तथा निगरानी तंत्र विकसित करें। समावेशी शिक्षा नीतियों के अनुपालन में विद्यालयों के नियमित मूल्यांकन के लिए रूपरेखा भी बनाएँ तथा बुनियादी ढाँचे का विस्तार करें। सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालय यू.डी.एल. मानकों का अनुपालन करें। विद्यालयों और परिवारों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु और अधिक सुसज्जित संसाधन केंद्रों की स्थापना आवश्यक है।

3. **माता-पिता के लिए**— अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझने हेतु माता-पिता शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें ताकि विद्यार्थियों को पिछड़ने से रोका जा सके, क्योंकि यह विषय विशेष विद्यार्थियों के हित से जुड़ा है। अतः माता-पिता का कर्त्तव्य अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। माता-पिता की विद्यार्थियों से संबधित व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आई.ई.पी.) बनाने और निगरानी करने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, माता-पिता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अन्य प्रासंगिक कानून, जैसे— दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अपने बच्चे के अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक समूहों सहित उपलब्ध संसाधनों और सहायता प्रणालियों को भी विद्यार्थियों के परिजनों द्वारा समझना अतिआवश्यक है। अनुभव और सलाह साझा करने हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों के माता-पिता अन्य माता-पिता से जुड़कर इस संदर्भ में एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालय और सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होना भी माता-पिता का एक आवश्यक कर्त्तव्य बन जाता है। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को सामाजिक, भावनात्मक और जीवन कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करें। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि माता-पिता विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने हेतु उनकी प्रत्येक उपलब्धियों पर खुशी मनाएँ और उनको प्रोत्साहित करें।

सहयोगात्मक प्रयास— एक एकीकृत दृष्टिकोण

शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को मिलकर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने वाला एक

पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव ला सके। नियमित संचार, साझा ज़िम्मेदारी और निरंतर सुधार सफलता की कुंजी होती है। अतः इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना, कार्यशालाओं का आयोजन करना और गैर-सरकारी संगठनों और व्यवसायों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना एक समावेशी समाज के निर्माण में सहयोग कर सकता है। इस प्रकार हितधारक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य तक पहुँच हो सके।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को वास्तव में समावेशी प्रणाली में बदलने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस शिक्षा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा केवल एक विशेषाधिकार नहीं है बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार है जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए नीति से अधिक सभी हितधारकों से अटूट प्रतिबद्धता, सहयोग और कार्यवाही की अभिलाषा आवश्यक प्रतीत होती है। इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण तथा अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने में नेतृत्व प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीति-निर्माताओं को आवश्यक संसाधन, बुनियादी ढाँचा और जवाबदेही तंत्र प्रदान करने हेतु हमेशा तत्पर होना चाहिए। माता-पिता और समुदायों को समावेशिता का समर्थन करना चाहिए और विद्यार्थियों की अनूठी यात्राओं का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। एकसाथ मिलकर किए गए, ये सभी प्रयास उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो दिव्यांग विद्यार्थियों को समान अवसरों तक पहुँचने से रोकते हैं। समावेशी शिक्षा केवल कानूनों या नीतियों के अनुपालन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के विषय में है जहाँ विद्यालयी शिक्षा में न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती हो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपेक्षित है। समावेशी प्रथाओं में निवेश करके हम सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। अतः हम सब को मिलकर समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में चुनौतियों का सामना करते हुए उपयुक्त समाधानों के साथ क्रियान्वित करना होगा।

सदंर्भ

मानव संसाधन विकास मत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार. नई दिल्ली.

राज्य शैक्षिक अनसुंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. 2016. *एम.टी. प्रोग्राम*, एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली सरकार. https://scert.delhi.gov.in/scert/mt-program दिनांक 9 नवंबर 2024 को देखा गया।

शिक्षा मंत्रालय. *वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) 2020–21*. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/en/documents_reports दिनांक 4 नवंबर 2024 को देखा गया।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. 2022. *समग्र शिक्षा— इम्प्लिमैनटेशन फ्रेमवर्क*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. नई दिल्ली. https://dsel.education.gov.in/hi/node/2172 दिनांक 5 नवंबर 2024 को देखा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2024. *नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमैनटेशन फ्रेमवर्क ऑन एक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन*. https://dsel.education.gov.in/inclusive-education दिनांक 29 नवंबर 2024 को देखा गया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. https://depwd.gov.in/acts/ दिनांक 22 नवंबर 2024 को देखा गया।

https://rehabcouncil.nic.in/ दिनांक 2 दिसंबर 2024 को देखा गया।

अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट. समावेशी शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाएँ. https://amarjyotirehab.org/ दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को देखा गया।

कला समेकित शिक्षा
प्रभाव, अनुभव एवं चुनौतियाँ

संतोष पाल*

कला समेकित शिक्षा (आर्ट इंटीग्रेटिड लर्निंग, ए.आई.एल.) एक अभिनव शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें कला, जैसे— दृश्य कला, संगीत, नृत्य तथा नाटक को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया जाता है। यह विधि न केवल विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाती है बल्कि उनकी रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच एवं भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देती है। यह शोध-पत्र, शोधार्थी द्वारा कला समेलित शिक्षा पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में मध्य विद्यालय (कक्षा 6–8) की कक्षाओं में कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन तथा प्रभाव का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 53 शिक्षकों का उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श तकनीक से चयन कर प्रदत्त संकलित किए गए। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों के कला समेकित शिक्षा के प्रति जागरूकता, अनुभव, चुनौतियाँ और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना था। परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिक्षक कला समेकित शिक्षा से परिचित हैं लेकिन अधिकांश शिक्षक इसके सैद्धांतिक पहलुओं को लेकर पूर्ण रूप से जागरूक नहीं थे। इसके बावजूद कई शिक्षकों ने कला समेकित शिक्षा को अपने शिक्षण में सफलतापूर्वक समाहित किया है तथा विद्यार्थियों की रचनात्मकता, समस्या-समाधान एवं सामाजिक कौशल पर इसके सकारात्मक प्रभावों को पहचाना है। हालाँकि, संसाधनों की कमी, समय की सीमा तथा पाठ्यक्रम के दबाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। साथ ही, यह भी अनुभव किया गया कि इस संदर्भ में शिक्षकों के पेशेवर विकास और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। इस शोध अध्ययन के परिणाम इस बात पर बल देते हैं कि कला समेकित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत समर्थन और विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करने की क्षमता रखती है लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा चुनौतियों को संस्थागत सहयोग और पर्याप्त समर्थन के माध्यम से पार किया जा सकता है।

कला समेकित शिक्षा एक नवीन शैक्षिक पद्धति है, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कला के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यह पद्धति विद्यार्थियों को अवधारणाओं को समझने, उनके सृजनात्मक विचारों को उजागर करने, उन्हें अपनी पहचान और क्षमता को अभिव्यक्त करने का अवसर

**सहायक आचार्य,* के.पी. ट्रेनिंग कॉलेज, प्रयागराज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय), उत्तर प्रदेश 211001

प्रदान करती है। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच रचनात्मकता व सामाजिक कौशलों को बढ़ावा मिलता है (कर्कर, 2020)।

कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक सामग्री को कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से प्रस्तुत करना है। इससे विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया न केवल आकर्षक बल्कि प्रासंगिक भी बन जाती है। कला समेकित शिक्षा में चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक तथा अन्य कलात्मक विधाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को नई विचारधाराओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों एवं रचनात्मक दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाता है (आइज़नर, 2002)। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे वे एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। कला समेकित शिक्षा को शैक्षिक संस्थाओं में लागू करने से विद्यार्थियों को उनके स्वयं के विचार और अनुभवों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है (मिलर एवं बोगाटोवा, 2019)। यह पद्धति न केवल ज्ञान के विस्तार में सहायक होती है बल्कि यह विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

कला समेकित शिक्षा के प्रभाव का सामान्य मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह विद्यार्थियों में गहरी सोच और समस्याओं के समाधान की क्षमता को सशक्त बनाती है। इस शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से विद्यार्थी न केवल अकादमिक दृष्टिकोण से सक्षम बनते हैं बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक संदर्भ में भी समृद्ध होते हैं। विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कला का उपयोग किया जाता है जो उनके शैक्षिक अनुभव को और अधिक रुचिकर एवं प्रभावी बनाता है (एगाना-डेलसोल 2023)। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी विषय सामग्री को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही उनके विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके अलावा, कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक तथा प्रेरक शैक्षिक वातावरण प्रदान करती हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला समेकित शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। इस नीति के अनुसार शिक्षा के समग्र विकास में कला का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण इसे पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्म-अभिव्यक्ति एवं समस्या-समाधान की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सामाजिक तथा भावनात्मक समझ में वृद्धि होती है (आइज़नर, 2002)। शिक्षा नीति के अनुसार, कला के विभिन्न रूपों को अन्य शैक्षिक विषयों से जोड़ने के लिए कई उपाय किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों का शैक्षिक अनुभव संतुलित व समग्र हो सके (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020*)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करती है कि कला को सभी प्रकार के शैक्षिक अनुभवों में समाहित किया जाए ताकि विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास हो सके।

इस नीति के अंतर्गत विद्यालयों में कला समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में विद्यार्थियों को चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न कला रूपों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री सिखाने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रकार के कला रूपों को विद्यार्थियों के शिक्षा के अनुभव में समाहित किया जाए ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकें। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के द्वारा यह पहल की गई है कि कला को शैक्षिक विषयों के साथ एकीकृत किया जाए ताकि विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया जा सके।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- कला समेकित शिक्षा के प्रति शिक्षकों की समझ तथा जागरूकता का अध्ययन करना।
- कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में शिक्षकों द्वारा अपनाए गए विभिन्न कला रूपों और विधियों का अध्ययन करना।
- कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
- कला समेकित शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों का अध्ययन करना।
- कला समेकित शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत समर्थन एवं संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करना।

शोध विधि

यह शोध अध्ययन कला समेकित शिक्षा के प्रति शिक्षकों की समझ, अनुभव एवं व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया। शोध अध्ययन के लिए मिश्रित अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकड़े संकलित किए गए। शिक्षकों की दृष्टि से कला समेकित शिक्षा की प्रभावशीलता को समझने के लिए संरचित प्रश्नावली तथा अर्ध-संरचित साक्षात्कार का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के अनुभवों एवं उनके शिक्षण व्यवहार पर कला समेकित शिक्षा के प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया।

प्रतिदर्श का चयन एवं न्यादर्श विधि

यह शोध अध्ययन वर्ष 2024 में किया गया था। इस शोध अध्ययन में प्रतिदर्श का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि से किया गया। कुल 53 शिक्षकों, जिनमें 31 पुरुष एवं 22 महिला शिक्षक शामिल थे, को इस शोध अध्ययन में सम्मिलित किया गया। ये शिक्षक विभिन्न प्रकार के विद्यालयों— सरकारी, निजी तथा केंद्रीय विद्यालय से संबंधित थे तथा उनकी शिक्षण

अवधि 1 से 20 वर्षों के मध्य थी। चयन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि प्रतिभागी शिक्षक वे हों, जो कला समेकित शिक्षा के प्रति जागरूक हों अथवा जिन्होंने इसे अपने शिक्षण में लागू किया हो। इस शोध अध्ययन में केवल उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया गया जिन्हें उनके संस्थान से भागीदारी की पूर्व अनुमति प्राप्त थी।

शोध उपकरण का निर्माण एवं वैधता

शोध उपकरणों के रूप में स्वनिर्मित संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रश्नावली को सात मुख्य अनुभागों में विभाजित किया गया, जिनमें शिक्षण अनुभव, कला समेकित शिक्षा की समझ, कार्यान्वयन अनुभव, प्रभाव मूल्यांकन, व्यावहारिक चुनौतियाँ, भविष्य की दिशा और अतिरिक्त टिप्पणियाँ सम्मिलित थीं। प्रश्नावली के निर्माण के पश्चात इसकी वैधता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षाविदों एवं विषय-विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया।

आँकड़ों का संकलन एवं प्रक्रिया

आँकड़ों के संकलन की प्रक्रिया में शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रश्नावली वितरित की गई। शिक्षकों के उत्तरों को संकलित कर उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी के माध्यम से किया गया जबकि गुणात्मक आँकड़ों का विश्लेषण विषयगत विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर प्रमुख प्रवृत्तियों, व्यवहारगत बदलावों तथा शिक्षकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों की पहचान की गई।

शोध की सीमाएँ

इस शोध अध्ययन की कुछ प्रमुख सीमाएँ हैं, जो परिणामों की सामान्यता एवं विस्तृत व्याख्या पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह शोध अध्ययन केवल 53 शिक्षकों पर आधारित था, जिससे परिणाम केवल उन्हीं शिक्षकों के अनुभवों तक सीमित हो सकते हैं तथा अन्य क्षेत्रों में परिणाम अलग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस शोध अध्ययन में सम्मिलित शिक्षकों की विविधता सीमित थी और विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों के दृष्टिकोण में विभिन्नता हो सकती थी। इसके साथ ही, संसाधनों की कमी तथा समय सीमा जैसी प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, परंतु इसका विश्लेषण नहीं किया गया कि इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। साथ ही अधिकांश शिक्षक 6–15 वर्षों के अनुभव वाले थे जबकि नए शिक्षकों के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जा सकता था। संस्थागत समर्थन की कमी को भी एक प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना गया लेकिन इस पर कोई विस्तृत शोध नहीं किया गया। अतः साक्षात्कार तथा सर्वेक्षण के उपकरणों में भी कुछ सीमाएँ हो सकती थीं जो कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ सकते थे। इन सीमाओं के बाद भी यह शोध अध्ययन कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन और प्रभाव पर एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है एवं भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक गहन शोध की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

परिणामों का विवेचन

तालिका 1—कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन तथा शिक्षकों के दृष्टिकोण पर आधारित सर्वेक्षण परिणाम

अनुभाग	प्रश्न	प्रतिक्रियाएँ
अनुभाग 1—शिक्षण अनुभव	0 – 5 वर्षों का अनुभव	12 शिक्षक (22.6 %)
	6 – 10 वर्षों का अनुभव	15 शिक्षक (28.3%)
	11 – 15 वर्षों का अनुभव	13 शिक्षक (24.5%)
	15+ वर्षों का अनुभव	13 शिक्षक (24.5%)
अनुभाग 2—कला समेकित शिक्षा की समझ	कला समेकित शिक्षा से परिचितता (हाँ/नहीं)	हाँ—31 (58.5%) नहीं—22 (41.5%)
	कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं?	खुले उत्तर (शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण परिणाम में वर्णित है।)
	क्या आपने शिक्षण में कला समेकित शिक्षा का उपयोग किया है?	हाँ—38 (71.7%) नहीं—5 (28.3%)
अनुभाग 3—कार्यान्वयन	आपने अपने शिक्षण में कला समेकित शिक्षा को कैसे लागू किया है?	खुले उत्तर (उदाहरण प्रदान करें)
	कला समेकित शिक्षा शिक्षण के लिए किन विधियों का उपयोग किया गया?	चित्र/पेंटिंग—19 (35.8%) संगीत—15 (28.3%) नाटक—12 (22.6%) नृत्य—6 (11.3%)
	क्या कला समेकित शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ—21 (39.6%) नहीं—32 (60.4%)
अनुभाग 4—प्रभाव मूल्यांकन	रचनात्मकता पर प्रभाव (1 – 5 की मापनी)	औसत अंक—4.1 (उच्च रचनात्मक प्रभाव)
	आलोचनात्मक सोच पर प्रभाव (1 – 5 की मापनी)	औसत अंक—3.8
	विषय की समझ पर प्रभाव (1 – 5 की मापनी)	औसत अंक—4.0
	सामाजिक कौशल पर प्रभाव (1 – 5 की मापनी)	औसत अंक—4.0
	सीखने के परिणामों में सुधार (हाँ/नहीं/अनिश्चित)	हाँ—22 (41.5%) नहीं—15 (28.3%) अनिश्चित—16 (30.2%)

अनुभाग 5 — व्यावहारिक चुनौतियाँ	कला समेकित शिक्षा को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ	समय की कमी—24 (45.3%) संसाधनों की कमी—18 (34%) पाठ्यक्रम का दबाव—8 (15.1%) शिक्षक प्रशिक्षण की कमी—3 (5.7%)
	संस्थानिक समर्थन प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)	हाँ—15 (28.3%) नहीं—38 (71.7%)
	चुनौतियों को दूर करने के सुझाव	खुले उत्तर (सुझावों का सारांश प्रस्तुत परिणाम में वर्णित है।)
अनुभाग 6 — भविष्य की दिशाएँ	कला समेकित शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव	खुले उत्तर (सुझावों का सारांश परिणाम में वर्णित है।)
	कला समेकित शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं की आवश्यकता (हाँ/नहीं)	हाँ—33 (62.3%) नहीं—20 (37.7%)
	कला समेकित शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य बनाने पर राय	हाँ—28 (52.8%), नहीं—25 (47.2%)
अनुभाग 7 — अतिरिक्त टिप्पणियाँ	अतिरिक्त टिप्पणियाँ	खुले उत्तर (अतिरिक्त अंतर्दृष्टियों का सारांश प्रस्तुत परिणाम में वर्णित है।)

1. शिक्षकों के शिक्षण अनुभव में विविधता और कला समेकित शिक्षा

तालिका 1 के अनुभाग 1 में दर्शाया गया है, सर्वेक्षण के 22.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का शिक्षण अनुभव 0–5 वर्षों का था, जबकि 28.3 प्रतिशत का 6–10 वर्षों का अनुभव था, 24.5 प्रतिशत शिक्षकों का 11–15 वर्षों का अनुभव था और 24.5 प्रतिशत का अनुभव 15 वर्षों से अधिक था। यह विविध अनुभव स्तर दर्शाते हैं कि कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन पर शिक्षकों के दृष्टिकोण में भिन्नताएँ हो सकती हैं जो उनकी व्यावसायिक अवधि के विभिन्न चरणों से उत्पन्न होती हैं। नए शिक्षक कला समेकित शिक्षा को लागू करने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं जबकि अनुभवी शिक्षक अपनी पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे कुछ बदलावों की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह अंतर शिक्षकों की शिक्षा प्रणाली में अनुभव अवधि तथा नए दृष्टिकोण के बीच संतुलन को भी दर्शाता है।

2. शिक्षकों की कला समेकित शिक्षा से परिचितता

तालिका 1 के अनुभाग 2 में दर्शाया गया है कि सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 58.5 प्रतिशत शिक्षक कला समेकित शिक्षा के सिद्धांत से परिचित थे, जबकि 41.5 प्रतिशत शिक्षकों ने इसे अपरिचित

बताया। जो यह संकेत करता है कि अधिकांश शिक्षकों के पास इस सिद्धांत की सामान्य समझ है लेकिन यह भी दर्शाता है कि एक महत्त्वपूर्ण ज्ञान का अंतराल विद्यमान है। चूँकि कला समेकित शिक्षा एक नई शिक्षा विधि है, इसलिए कई शिक्षक इसकी अवधारणाओं तथा तरीकों से अपरिचित हैं। इसके बाद भी 71.7 प्रतिशत शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों में कला समेकित शिक्षा का उपयोग कर रहे थे, जैसा कि तालिका 1 के अनुभाग 2 में दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में कला समेकित शिक्षा में रुचि उत्पन्न हो रही है तथा शिक्षक इसे कक्षा में लागू करने के लिए तैयार हैं, भले ही उन्हें इसके सिद्धांतों के बारे में पूरी जानकारी न हो। यह इस बात का संकेत है कि यदि शिक्षक कला समेकित शिक्षा के लाभों से अवगत होते हैं तो वे इसे अपनी पद्धतियों में और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

3. कला समेकित शिक्षा का कार्यान्वयन—शिक्षकों द्वारा विभिन्न कला रूपों का चयन

शिक्षकों द्वारा विभिन्न कला रूपों के उपयोग को तालिका 1 के अनुभाग 3 में दर्शाया गया है। चित्रकला या पेंटिंग (35.8 प्रतिशत) को सबसे साधारण विधि के रूप में चुना गया था, इसके बाद संगीत (28.3 प्रतिशत), नाटक (22.6 प्रतिशत) और नृत्य (11.3 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। ये आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि शिक्षक शैक्षिक सामग्री को रचनात्मक बनाने के विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। साथ ही, कला का उपयोग शिक्षण में विविधता लाने का एक अच्छा साधन बन सकता है। चित्रकला का चयन इसलिए प्रमुख हो सकता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को दृश्य रूप से आकर्षित करती है एवं उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। दूसरी ओर, संगीत, नाटक एवं नृत्य जो शिक्षक अन्य तरीकों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, विद्यार्थियों में भावनात्मक तथा सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा दे सकते हैं। हालाँकि 60.4 प्रतिशत शिक्षकों ने संसाधनों की कमी को एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना जिससे यह स्पष्ट है कि कला समेकित शिक्षा को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी एक महत्त्वपूर्ण अवरोधक है। कला आधारित शिक्षण को उचित रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है, जैसे— कला उपकरण, संगीत उपकरण तथा नाटक से संबंधित संसाधन आदि।

4. कला समेकित शिक्षा का प्रभाव — रचनात्मकता, विषयों की समझ तथा सामाजिक कौशल पर शिक्षकों का दृष्टिकोण

कला समेकित शिक्षा के प्रभाव पर विचार करते हुए, शिक्षकों ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, विषयों को समझने तथा सामाजिक कौशल पर इसके प्रभाव को सकारात्मक रूप से दर्ज किया। तालिका 1 के अनुभाग 4 में दर्शाया गया है कि रचनात्मकता पर प्रभाव को सबसे अधिक लाभ (औसत अंक 4.1 के रूप में) दर्ज किया गया था। इसके बाद विषय को समझने 4.0 एवं सामाजिक कौशल पर प्रभाव का 4.0 स्थान था। आलोचनात्मक सोच पर प्रभाव को

3.8 का अंक प्राप्त हुआ, जो यह दर्शाता है कि कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने में प्रभावी है, हालाँकि आलोचनात्मक सोच में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए विषयों को अधिक सहजता से समझने की एक विधि हो सकती है क्योंकि यह उन्हें प्रासंगिक तथा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सामग्री से जोड़ती है। हालाँकि आलोचनात्मक सोच का विकास अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह एक गहरी एवं संगठित मानसिकता की आवश्यकता होती है जो धीरे-धीरे विकसित होती है।

5. कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में शिक्षकों की चुनौतियाँ

कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में कुछ मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसा कि तालिका 1 के अनुभाग 5 में दर्शाया गया है। अधिकांश शिक्षकों (45.3 प्रतिशत) ने समय की कमी को प्रमुख चुनौती के रूप में पहचाना जबकि 34 प्रतिशत ने संसाधनों की कमी की समस्या उठाई। 71.7 प्रतिशत शिक्षकों ने संस्थागत समर्थन की कमी को समस्या बताया जिससे यह स्पष्ट होता है कि कला समेकित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत सहायता तथा संसाधनों की आवश्यकता है। इससे ज्ञात हुआ कि यदि कला समेकित शिक्षा को संस्थागत रूप से बढ़ावा नहीं मिलता है तो शिक्षक इसे लागू करने में संकोच कर सकते हैं, भले ही उनके पास इसे लागू करने की इच्छा और कौशल हो। समय की कमी भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि शिक्षक पहले से ही पाठ्यक्रम के बोझ से दबे होते हैं तथा कला को उनके शिक्षण में प्रभावी रूप से समाहित करना समय की माँग कर सकता है।

6. कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में सुधार के लिए शिक्षकों के सुझाव

शिक्षकों ने कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन को सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए, जो तालिका 1 के अनुभाग 6 में दर्शाए गए हैं। इनमें सबसे सामान्य सुझाव विशेष रूप से कार्यशालाओं एवं विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण (62.3 प्रतिशत) की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 52.8 प्रतिशत शिक्षकों ने कला समेकित शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। इन सुधारों से कला समेकित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समर्थन तथा संसाधन सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि शिक्षक कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कला आधारित शिक्षण विधियों में अधिक दक्षता हासिल कर सकें, जो उन्हें शैक्षिक संस्थानों में कला समेकित शिक्षा के तरीकों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता कर सकता है।

7. पाठ्यक्रम के दबाव तथा लचीलापन की आवश्यकता—कला समेकित शिक्षा पर शिक्षकों का दृष्टिकोण

कुछ शिक्षक पाठ्यक्रम के दबाव को कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में एक और बाधा मानते हैं, जैसा कि तालिका 1 के अनुभाग 7 में दर्शाया गया है। इस संदर्भ में कई शिक्षकों ने यह सुझाव दिया कि

पाठ्यक्रम में अधिक लचीलापन प्रदान किया जाए जिससे कला को प्रभावी ढंग से सम्मिलित किया जा सके। साथ ही, उन्होंने रचनात्मक विषयों के लिए अधिक समय आवंटित करने का भी समर्थन किया। यह सुझाव दर्शाता है कि यदि पाठ्यक्रम में अधिक लचीलापन दिया जाए तो शिक्षक कला आधारित शिक्षा को आसानी से समाहित कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों को अधिक सृजनात्मक अनुभव प्राप्त होंगे। इसके साथ ही, रचनात्मक विषयों के लिए समय बढ़ाने से विद्यार्थियों को अधिक विस्तृत एवं गहन तरीके से कला एवं संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के परिणामों ने कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन में संभावनाओं तथा चुनौतियों दोनों को उजागर किया है। कला समेकित शिक्षा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, विषयों की समझ व सामाजिक कौशल में सकारात्मक प्रभाव डाला है जो इस विधि के उपयोग के लाभों को दर्शाता है। हालाँकि, इसके प्रभाव को कम करने वाली बाधाएँ हैं, जैसे— संसाधनों की कमी, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण तथा समय की कमी। यह समस्याएँ इस शोध अध्ययन से ज्ञात होती हैं, जो इन्हें प्रभावी कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएँ मानती हैं (मिलर एवं बोगाटोवा, 2019)।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं, शैक्षिक संस्थानों तथा स्वयं शिक्षकों को मिलकर कार्य करना आवश्यक है। कला समेकित शिक्षा को विद्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए अधिक प्रशिक्षण एवं संसाधनों की आवश्यकता है जैसा कि इस शोध अध्ययन से स्पष्ट है। पेशेवर विकास शिक्षकों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे कक्षा में नवीन शिक्षण पद्धतियों को प्रभावी रूप से अपनाने तथा लागू करने में सक्षम होते हैं (गुस्की, 2002) इसके अतिरिक्त, कला समेकित शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का सुझाव इसके महत्त्व की व्यापक पहचान को दर्शाता है। इस कदम से विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसमें न केवल शैक्षिक क्षमता, बल्कि रचनात्मकता, सामाजिक कौशल व आलोचनात्मक सोच भी सम्मिलित हो। इस शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शिक्षकों के अनुभव में विविधता है, नए तथा अनुभवी शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर पाया गया है। अधिकांश शिक्षक कला समेकित शिक्षा के सिद्धांत से परिचित थे लेकिन कुछ को इसके बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। कला समेकित शिक्षा का कार्यान्वयन विभिन्न कला रूपों, जैसे— चित्रकला, संगीत, नाटक एवं नृत्य, के माध्यम से किया गया, लेकिन इसमें संसाधनों की कमी और समय की सीमा जैसी चुनौतियाँ सामने आईं। इसके बावजूद कला समेकित शिक्षा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता तथा सामाजिक कौशल में सुधार किया है। हालाँकि आलोचनात्मक सोच में सुधार की आवश्यकता बनी रही। समग्र रूप से इस शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कला समेकित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम में लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे इसे विद्यार्थियों के समग्र विकास में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

सुझाव

इस शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यदि कला समेकित शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक संलग्नकारी, रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकती हैं। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में कठोरता और मूल्यांकन प्रणाली में पारंपरिक दृष्टिकोण। अतः इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव हैं—

- शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए ताकि वे कला समेकित शिक्षा की विधियों को आत्मसात कर सकें।
- पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए जिससे शिक्षक विभिन्न कला-आधारित गतिविधियों को अपने शिक्षण में सम्मिलित कर सकें।
- मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि विद्यार्थियों की कलात्मक अभिव्यक्ति तथा रचनात्मक सोच को भी महत्त्व दिया जा सके।
- नीति निर्माण में कला समेकित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए जिससे इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप विकसित किया जा सके।
- तकनीक-सक्षम शिक्षण संसाधनों का विकास होना चाहिए, ताकि डिजिटल माध्यमों से भी कला समेकित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा के क्षेत्र में कला समेकित शिक्षा की प्रभावशीलता पर किया गया यह शोध अध्ययन शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं शिक्षा नीति निर्माण एवं शिक्षकों के पेशेवर विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कक्षा शिक्षण में कला समेकित शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित नीति तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।

शिक्षा नीति निर्माण में प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी और नवाचारी शिक्षण युक्तियों पर बल दिया गया है, जिसमें कला समेकित शिक्षा एक प्रभावी शिक्षण पद्धति के रूप में उभरती है। यह शोध अध्ययन भी यही संकेत करता है कि कला समेकित शिक्षा को एक अनिवार्य शिक्षण पद्धति के रूप में सम्मिलित किया जाए, तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। विभिन्न शोधों के अनुसार, कला-आधारित शिक्षण विधियाँ बहु-बुद्धिमत्ता तथा अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, जिससे विद्यार्थी अधिक प्रभावी रूप से सीखते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं ने पाठ्यक्रम में कला समेकित शिक्षा को अधिक औपचारिक रूप से सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया है।

शिक्षकों के पेशेवर विकास में भूमिका

शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिक्षक कला समेकित शिक्षा की अवधारणा से परिचित हैं, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। शिक्षकों का सतत पेशेवर विकास आवश्यक है, ताकि वे शिक्षण में नवाचार को आत्मसात कर सकें।

इस संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है—

- कला समेकित शिक्षण के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।
- शिक्षकों को कला समेकित शिक्षा की तकनीकों को आपस में साझा करने तथा सहयोगी शिक्षण को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जाए।
- ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म एवं डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कला समेकित शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण में प्रभाव

कला समेकित शिक्षा न केवल विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करती है बल्कि उनके सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में भी सहायक होती है। जब विद्यार्थी कला समेकित गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो वे न केवल विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझते हैं, बल्कि उनकी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच भी विकसित होती हैं।

इस शोध अध्ययन के आधार पर विद्यालयों में कला समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं—

- विषयवस्तु को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाए कि उसमें कला समेकित गतिविधियाँ स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हों।
- विज्ञान, गणित, भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कला के तत्वों को सम्मिलित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के लिए अधिगम अधिक रुचिकर और प्रभावी हो।
- शिक्षण में नाटक, संगीत, चित्रकला तथा मूर्तिकला जैसी कलात्मक विधियों को सम्मिलित कर पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।

संदर्भ

आइज़नर, ई.डब्ल्यू. 2002, द रोल ऑफ़ द आर्ट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग कॉनशियसनेस. द *आर्ट्स एंड ए क्रिएशन ऑफ़ माइंड*. पृष्ठ संख्या 1–24. येल यूनिवर्सिटी प्रेस. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1np7vz दिनांक 5 नवंबर 2024 को देखा गया।

एगाना-डेलसोल. पी. 2023. द इंपैक्ट ऑफ़ ए हाई-स्कूल आर्ट-बेस्ड प्रोग्राम ऑन अकेडमिक अचीवमेंट्स, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव बिहेवियरस. *एनपीजे साईंस ऑफ़ लर्निंग*. 8, 39. दिनांक 10 दिसंबर 2024 को देखा गया।

कर्कर, एस. 2020. कला-एकीकृत शिक्षण—समग्र शिक्षा की ओर एक मार्ग. *अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पत्रिका*. 34(1). पृष्ठ संख्या 58–65.

गुस्की, टी. आर. 2002. प्रोफेशनल डेवेलपमेंट एंड टीचर चेंज. *टीचर्स एंड टीचिंग : थ्योरी एंड प्रेक्टिसिस*. 8(3). पृष्ठ संख्या 381 – 391. https://tguskey.com/wp-content/uploads/TT-02-Prof-Dev-Tchr-Change.pdf से दिनांक 30 नवंबर 2024 को देखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली https://www.education.gov.in से प्राप्त किया गया।

मिलर, जे. एवं बोगाटोवा, टी. 2019. आर्ट्स इन एजुकेशन : द इंपैक्ट ऑफ़ द आर्ट्स इंटिग्रेशन प्रोग्राम एंड लेसन्स लर्नड. *जर्नल ऑफ लर्निंग थ्रू द आर्ट्स : ए रिसर्च जर्नल ऑन आर्ट्स इंटिग्रेशन इन स्कूल एंड कम्यूनिटीस*. 14(1). https://escholarship.org/uc/item/2dt3j2xv दिनांक 28 नवंबर 2024 को देखा गया।

भाटिया, एम. 2021. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला समेकित शिक्षा की भूमिका. *शिक्षा पत्रिका*. 55(2). पृष्ठ संख्या 20–24.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना एक विश्लेषण

जकी मुमताज*

किसी भी देश के विकास में व्यावसायिक शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व होता है। इसकी सहायता से व्यक्तियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल-प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाता है। इस लेख में समसामयिक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इस लेख में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही, लेख के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन हेतु किए गए प्रयासों का विश्लेषण करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं दिए गए सुझावों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की मुख्यधारा से एकीकृत करने का प्रयास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को क्रियान्वित के पश्चात आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जा सकता है। इसके साथ ही, शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। इस नीति में व्यवस्था है कि विद्यालयों से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ने तथा ऐसे बच्चे जो काम करने के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे।

किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का प्रभाव उसके जीवन स्तर, जीवन दर्शन, कार्य तथा सामाजिक संबंधो को प्रभावित करता है। व्यवसाय किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान होता है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को रोज़गारपरक बनाते हुए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का वह समन्वित रूप है, जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ रोज़गार की तैयारी सतत रूप से कराई जाती है। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट कार्य एवं कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करके उसे कार्य विशेष में निपुण बनाती है और जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है।

**सहायक आचार्य*, महाविद्यालय ऑफ़ टीचर एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462030

देश के विकास में शिक्षा का विशेषकर व्यवसाय से संबंधित विषयों की शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व होता है। भारत में औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि मुख्यधारा की शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसी तरह व्यावसायिक विषय के साथ कक्षा 11 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के पास उच्चतर शिक्षा में अपने व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग स्पष्ट नहीं होता है।

सामान्य शिक्षा के मानदंड ऐसे नहीं थे कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आगे की उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल सके। इसके परिणामस्वरूप वह मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का चयन नहीं करने का कारण यह भी है कि विद्यार्थी विभिन्न व्यावसायों या व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व एवं श्रम की महत्ता से परिचित नहीं हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कई धारणाएँ पहले से चली आ रही हैं। जैसे शारीरिक श्रम को मानसिक श्रम की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने कहा कि सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा की दोहरी व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को केवल गरीबों के लिए देखा जाने लगा है। सामान्य शिक्षा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए तथा व्यावसायिक शिक्षा शेष विद्यार्थियों के लिए है, इस प्रकार का विभाजन शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यह माना जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा उन विद्याथियों के लिए है। इसी कारण व्यावसायिक शिक्षा को कमतर माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यावसायिक शिक्षा के समक्ष अन्य चुनौतियाँ भी हैं, जैसे— व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों की कमी, नए उभरते क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं का औद्योगिक उपक्रमों के साथ भागीदारी का अभाव, निरंतर कौशल उन्नयन के लिए अवसरों की कमी इत्यादि।

व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव एवं संस्तुतियाँ

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) तथा शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या पर विचार किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की संस्तुति की और सामान्य विषयों के साथ व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने कार्य-अनुभव को बढ़ावा दिया तथा ग्रामीण विद्यालयों में उद्यान-विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा की सिफारिश की। औद्यौगिक क्षेत्रों के लिए तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया और बड़े नगरों के लिए प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना पर सुझाव दिया। शिक्षा आयोग (1964 –1966) ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण किए जाने अर्थात माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने पर बल दिया, जिससे कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करने तथा व्यवसाय संबंधी

योग्यता एवं कौशलों को सीखने के अवसर प्राप्त हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित तथा सुविचारित नीति की परिकल्पना की गई। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रदान किए जाएँ। कार्ययोजना 1992 में सभी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में एक ही राष्ट्रीय पद्धति अपनाते हुए दक्षता पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई। सभी स्तरों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के विकास एवं मार्गदर्शी रूपरेखा प्रदान करने के लिए तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद कार्य करेगी। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए एवं जिला स्तर पर जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए।।

यदि हम वास्तविक रूप से व्यावसायिक शिक्षा का उन्नयन चाहते हैं, तो संस्थाओं में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समाज को इस शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा तथा रोज़गार में कोई तालमेल नहीं है। प्रत्येक वर्ष शिक्षा संस्थाओं से बहुत सारे विद्यार्थी सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोज़गार हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए शिक्षा का व्यावसायीकरण आवश्यक है, जिसमें विद्यार्थियों को किसी व्यवसाय से संबंधित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान समय की माँग है, इसलिए शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार करने के साथ ही, इसकी पुनर्कल्पना की भी आवश्यकता है।

व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए भारत सरकार के प्रयास

भारत में 200 से अधिक संस्थान हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। 19–24 वर्ष के 5 प्रतिशत लोग 12वी पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तहत औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके साथ ही, समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा के व्यावसायीकरण का संचालन हो रहा है, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थी भी इस शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तुलना यदि हमारी कुल जनसंख्या से की जाए, तो अत्यंत कम है, लेकिन सरकार ने जो विभिन्न प्रयास किए हैं, उनकी वजह से इन आँकड़ों में तेज़ी से बदलाव हो रहा है।

सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाईं और उनका कार्यान्वयन भी किया, जैसे— विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए 1988 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा पोषित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1993 में भोपाल में स्थापित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय अनुसंधान तथा विकास संगठन के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान ने छः मुख्य

क्षेत्रों में क्षमता आधारित 82 पाठयक्रम तैयार किए और यह संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री को मानकीकृत करने का कार्य करता है एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। सी.बी.एस.ई. देश भर में 500 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 107 विषयों वाले 34 व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चला रहा है। एन.आई.ओ.एस. अपने मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से 82 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसमें सरकारी संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन तथा सोसाइटी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जन शिक्षण संस्थान, स्वैच्छिक एंजेसियों के माध्यम से 15–35 आयु वर्ग के अशिक्षित, नव-साक्षर, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित, अकुशल एवं बेरोज़गार युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत के युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए उड़ान, कौशल भारत अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इत्यादि जैसी पहलें सम्मिलित हैं।

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना से तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा को पुनः परिभाषित करना है, जिसमें विद्यार्थियों की रुचियों एवं वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार नए व्यावसायिक विषयों तथा कौशलों को सम्मिलित करना है। साथ ही, व्यावहारिक व सहभागिता आधारित शिक्षण विधियों को अपनाना है, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाया जा सके। बदलते समय के साथ उद्योगों की आवश्यकताएँ भी बदलती रहती हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान, कौशल एवं अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार व्यावसायिक शिक्षा में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें।

इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने तथा इसकी पुनर्कल्पना पर बल दिया गया है। यूनिसेफ 2019 के अध्ययन के अनुसार कम से कम 47 प्रतिशत भारतीय युवा 2030 तक आवश्यक शिक्षा एवं कौशल सीखने की गति में उस स्थिति में नहीं है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए।। इसी के साथ यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फ़ॉर इंडिया 2020 में कहा गया है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सामान्यतः विश्वविद्यालय के स्नातकों की तुलना में नौकरी प्राप्त करने में कम समय लगता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर तक मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जाती रही है और

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे साकार करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, इस बात पर बल दिया गया है कि आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा के काल से ही उच्चतर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से होते हुए, उच्च शिक्षा तक कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकेंगे। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रोचकता पर आधारित गतिविधियाँ कराई जाएँगी। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और आगे उच्च शिक्षा में भी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का अवसर दिया जाएगा।

इस तरह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात कही गई है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि 2025 तक विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा से जुड़े 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से अवगत कराया जाएगा। सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) में अभी तक व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में इस बात को कहा गया है कि अब इन विद्यार्थियों को भी जी.ई.आर. में सम्मिलित किया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार जो बच्चे काम करने के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। ड्राप आउट हो चुके विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस तरह वे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे भी व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर सकें, इस दिशा में सी.बी.एस.ई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) का व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा एन.आई.ओ.एस. मिलकर काम कर रहे हैं।

अब उच्च शिक्षा संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रारंभ कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (B.Voc.) पाठ्यक्रम वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था, इसका अधिक प्रसार हो, इस पर भी बल दिया जाएगा। चार साल के होलिस्टिक बैचलर प्रोग्राम में व्यावसायिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। सभी उच्च शिक्षा के संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ना होगा। इसके लिए नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा तथा उसके तहत व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मैपिंग किया गया है कि विद्यार्थियों को भविष्य में इन पाठ्यक्रमों का लाभ मिल सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा के संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा के स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ करें। वर्तमान में जो विद्यार्थी 10वीं या 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उन्हें आगे उच्च शिक्षा में जाने के अवसर बहुत कम थे, जिससे वह आगे चलकर उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा नहीं ले पाते थे। अब नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया

गया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (शॉर्ट टर्म स्किल प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्सेज) भी संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, स्थानीय फैक्ट्रियों, फर्म, एन.जी.ओ. इत्यादि से जुड़ना होगा, जिससे विद्यार्थियों को इन संस्थाओं के संसाधनों के साथ प्रयोग कर, सीखने के अवसर मिल पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाव दिया गया है, इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी और इसी परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा की समग्र रूप से व्यवस्था की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरी के साथ स्वरोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात कही है। आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा के मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति (N.C.I.V.E.) का गठन किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करने का काम करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एक रुचिकर बात कही गई है, वह लोक विद्या है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को लोक विद्या अर्थात पारंपरिक ज्ञान देने की बात की गई है। उच्च शिक्षा केंद्र विभिन्न उद्योगों के साझेदारी के साथ इनक्यूवेशन सेंटर स्थापित करेंगे, जहाँ विद्यार्थियों को नौकरी और स्वरोज़गार हेतु निर्देशन के अच्छे अवसर मिल सकेंगे। भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आम जनता को सोशल मीडिया तथा आई.सी.टी. के माध्यम से जागरूक किया जाएगा, जिससे उनके देखने एवं सोचने में बदलाव आए। कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को करियर हेतु निर्देशन तथा परामर्श दिया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु कक्षा 8 में ही कौशल पर आधारित दक्षता परीक्षा ली जाएगी। साथ ही, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार निर्देशन दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में पारंपरिक व्यावसायों के अतिरिक्त अब वर्तमान में रोबोटिक, आई. टी. इत्यादि नई तकनीक को भी जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए योग्यता हेतु मानक तैयार किए जाएँगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सेवापूर्व शिक्षकों के लिए अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा किए गए प्रयास

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष और अग्रणी संस्था है। यह संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई

है, जिसे 1993 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया। यह संस्थान पिछले 31 वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है। यह संस्थान शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की नीति नियोजन एवं कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह व सहायता प्रदान करता है। यह भारत में यूनेस्को यूनेवोक नेटवर्क केंद्र (UNESCO UNEVOC Centre) के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे तकनीकी और यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र (International Centre for Technical and Vocational Education and Training of UNESCO) भी कहते हैं। इसका लक्ष्य वर्तमान तथा भविष्य की कौशल आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करना है। संस्थान में कृषि तथा पशुपालन, व्यवसाय एवं वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन, मानविकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान विभाग हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्र जैसे पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र, कार्यक्रम नियोजन एवं निगरानी केंद्र और आई.सी.टी. केंद्र भी हैं। जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, रोज़गार योग्यता तथा 21वीं सदी के कौशल प्रदान करके आजीवन सीखने को बढ़ावा देने, विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। यह संस्थान भारत में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो कि उल्लेखनीय है। इसके द्वारा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा को विकसित किया गया है। इसके साथ ही, संस्थान के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों के कौशल में अभिवृद्धि के लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान की उल्लेखनीय भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—

- संस्थान ने विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व पर बल देता है।
- संस्थान ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए शोध अध्ययन तथा परियोजनाएँ शुरू की हैं।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
- कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थी रोज़गार क्षमता में सुधार करने के लिए मॉडल व्यावसायिक विद्यालय स्थापित करने तथा विद्यालय-उद्योग संबंधों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत संस्थान कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक आकांक्षात्मक वातावरण बनाने

के लिए छह राज्यों में मॉडल व्यावसायिक विद्यालय स्थापित कर रहा है।

- संस्थान ने कक्षा 9 से 12 के लिए रोज़गार कौशल तथा नौकरी-विशिष्ट व्यावसायिक सामग्री के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम का विकास किया है।
- व्यावसायिक शिक्षकों एवं प्रमुख पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रधानाध्यापकों और व्यावसायिक शिक्षकों सहित प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान प्रासंगिक पाठ्यक्रम डिज़ाइन सुनिश्चित करने तथा विद्यालय-उद्योग संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ जोड़ता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा 2013 (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देने तथा विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, शिक्षकों के लिए आई.टी., कृषि तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल सीखने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम का आयोजन करना।
- विद्यार्थियों के लिए संसाधनों अर्थात व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तकों को तैयार करना, जैसे ग्रेड 6 के लिए कौशल बोध व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका तैयार की गई।
- यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को सलाह देकर, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री विकसित करके और अनुसंधान करके विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस तरह पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) द्वारा किए जा रहे ये प्रयास भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समग्र शिक्षा अभियान तथा व्यावसायिक शिक्षा

समग्र शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जो न केवल विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाने पर बल दिया गया है। इसमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। समग्र का अर्थ, संपूर्ण है इसलिए यह विद्यालयी शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। समग्र शिक्षा योजना 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था।

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हुई, जिसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026

तक किया जाना सुनिश्चित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान को सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) से और राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के साथ जोड़कर एक नया आयाम दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। समग्र शिक्षा अभियान को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक एक सामान समावेशी कक्षा वातावरण के साथ विद्यार्थियों का कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों के बुनियादी ढाँचों में सुधार, रचनात्मक शैक्षणिक विधि, व्यावसायिक शिक्षा, वर्चुअल तथा स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड एवं आई.टी. लैब का प्रावधान किया जाएगा, जिससे 2026 तक शिक्षा में बड़ा परिवर्तन किया जा सके। इस योजना के माध्यम से कम आयु में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षित व आत्मनिर्भर होकर एक बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।

इस अभियान का लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज से सेकेण्डरी स्टेज तक, समान एवं समावेशी कर सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना को लागू कर रहा है। विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के तहत सामान्य शिक्षा के साथ-साथ नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए एक व्यावसायिक विषय की पेशकश की जाती है, ताकि विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक रोज़गार योग्यता तथा व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं—

- विद्यालयी पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जैसे— कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि को सम्मिलित किया जाए।
- विद्यालयों को उद्योगों के साथ साझेदारी कर विद्यार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।
- विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वे अपने करियर के बारे में सही निर्णय ले सकें।
- विद्यालयों में प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने की समझ विकसित होगी।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा सकता है, ताकि वे विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण दे सकें।

विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए सुझाव

विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए गए हैं जिन्हें बुनियादी स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा

के लिए अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकता है।

- विद्यार्थियों को प्रारंभिक चरण से ही करियर परामर्श तथा उच्च शिक्षा के मार्गों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इससे उन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने तथा यह समझने में सहायता मिलेगी कि विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा विकल्पों से कैसे जुड़ी है।
- विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा परिसरों, कार्यक्रमों तथा अवसरों से परिचित कराने के लिए कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का नियमित दौरा आयोजित करें, जहाँ विद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से मिल सकेंगे।
- विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों के पाठ्यक्रम में मूलभूत विषयों तथा कौशलों की पहचान कर सम्मिलित किया जाए। एक एकीकृत पाठ्यचर्या ढाँचा बनाया जाए, जहाँ विद्यालयी शिक्षा उच्च शिक्षा विषयों की नींव रखती है, जिससे इंजीनियरिंग, चिकित्सा या मानविकी जैसे विशेष क्षेत्रों में आसानी से प्रगति हो सके। विद्यालयी स्तर पर कुछ विषयों को पहले से ही शुरू कर सकते हैं, जिससे इन विषयों और कौशलों के बुनियादी ज्ञान विद्यार्थी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में इन विषयों को समझना और जोड़ना आसान होगा।
- ऐसे सेतु प्रोग्राम तैयार किए जाएँ जो गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी जैसे विषयों में प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रदान करके विद्यालय से महाविद्यालय तक विद्यार्थियों की सहायता करें।
- विद्यार्थियों को उन्नत अवधारणाओं एवं करियर विकल्पों से अवगत कराने के लिए विद्यालयों में अतिथि व्याख्यान देने या कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसरों और पेशेवरों को आमंत्रित किया जाए।
- विद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी करके अकादमिक क्लब तथा प्रतियोगिताएँ आयोजित करा सकते हैं, जो विद्यार्थियों को उन्नत विषयों एवं विश्वविद्यालय स्तर की चुनौतियों से परिचित कराए।
- ऐसे ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें, जहाँ विद्यालयी विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दोनों ही सामान्य संसाधनों एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकें, जिससे विभिन्न शैक्षिक चरणों में आजीवन सीखने को बढ़ावा मिले। ऐसे डिजिटल परामर्श प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जहाँ विद्यालयी विद्यार्थी, उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सलाहकारों, विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों तथा कैरियर परामर्शदाताओं से बातचीत कर सकें।
- विद्यालयों को कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल टूल और प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने तथा तकनीक-आधारित सीखने में सहायता मिले।
- उच्च शिक्षा स्तर पर उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा विश्वविद्यालयों एवं

उद्योगों के सहयोग से विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट-आधारित सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करें, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न कौशलों पर आधारित उद्योगों में काम करने के अवसर प्रदान किए जा सकें। इससे उन्हें वास्तविक दुनिया का अनुभव तथा व्यावसायिक वातावरण से संबंधित अनुभव प्राप्त हो सकेंगे।

विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक शिक्षा से जोड़ना तथा व्यावसायिक शिक्षा देना

विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक शिक्षा से जोड़ने तथा व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

- विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रेरित करने के लिए काउंसलिंग और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे वे वापिस शिक्षा की ओर लौट सकें। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन विद्यार्थियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ, जिन्होंने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी सफलता प्राप्त करके दिखाई है। विद्यार्थियों को उनके कौशल तथा रुचियों के आधार पर सही करियर के बारे में मार्गदर्शन किया जाए।
- विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें, ताकि वे सरलता से समझ सकें।
- विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करें।
- विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एवं आसान तरीके से समझने योग्य शिक्षा सामग्री तैयार करना।
- आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, विद्यार्थियों को विभिन्न मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट और कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करें। विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरणों तथा ऑनलाइन शिक्षा सामग्री से जोड़ें, ताकि वे घर बैठे भी सीख सकें। उनके लिए लचीले समय सारणी एवं मिश्रित मॉडल में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कक्षाएँ आरंभ करें, ताकि वे अपनी सुविधा से शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- शिक्षकों को ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, विशेष आवश्यकताओं और मानसिकता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।
- शिक्षकों को ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए छोटे समूहों में पढ़ाई का अवसर दिया जाए, ताकि वे व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त कर सकें।
- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए पुनः प्रवेश कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों के लिए विशेष लर्निंग सेंटर स्थापित करें, जो नियमित विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा।
- शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल, नृत्य एवं कला के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा को तकनीकी और व्यावसायिक

कौशल से जोड़ें। विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार विभिन्न व्यावसायों और कौशलों (जैसे— कढ़ाई, बुनाई, बिजली का काम आदि) की शिक्षा दी जाए और व्यावसायिक शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसरों उपलब्ध कराए जाए या रोज़गार से जोड़ा जाए।

- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे उन्हें अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सहायता मिल सकती है।

इन उपायों को लागू करके हम ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा से जोड़ सकते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए सुझाव

- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए सरल तथा व्यावहारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करें, जिनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। विद्यार्थियों को केवल तकनीकी, व्यावसायिक कौशल ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल (जैसे, समय प्रबंधन, टीमवर्क आदि) भी सिखाएँ जाएँ।
- स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को उनकी रुचियों तथा कौशल के आधार पर विभिन्न कामों (जैसे, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, प्लंबर आदि) का प्रशिक्षण दें। लड़कियों एवं लड़कों के लिए विशिष्ट कौशल शिक्षा कार्यक्रम तैयार करें, जो उनकी रुचियों तथा सामर्थ्य के अनुसार हों। व्यावसायिक शिक्षा को विद्यार्थियों के समय व स्थिति के अनुसार लचीला बनाएँ, ताकि वे इसे अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों को उनके प्रशिक्षण के बाद रोज़गार के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन किया जाए तथा उन्हें रोज़गार दिलवाने में सहायता करें। विद्यार्थियों को अपने खुद के छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें।
- कम लागत में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाएँ, ताकि वे आर्थिक रूप से असमर्थ होने पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- विद्यार्थियों को उन लोगों के उदाहरण देकर प्रेरित करें, जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है।
- विद्यार्थियों को कंप्यूटर, इंटरनेट तथा डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखाएँ, ताकि वे आधुनिक कार्यों में भी दक्ष हो सकें। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे घर बैठे भी सीख सकें।
- विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के दौरान आर्थिक सहायता (स्टाइपेंड) प्रदान करें, ताकि वे अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकें।

इन सुझावों से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें समाज में रोज़गार योग्य एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विषयों को स्थान दिया

जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, विद्यार्थियों के व्यावसायिक निर्देशन हेतु उचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर सकें तथा उसके लिए आवश्यक तैयारी कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के संबंध में कई प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन व्यवस्थित एवं सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सार्थक रूप से क्रियान्वयन किया जाए, तो विद्यार्थी किसी न किसी व्यवसाय के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल अर्जित कर सकेंगे तथा उन्हें रोज़गार के लिए तैयार किया जा सकेगा, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान होगा।

संदर्भ

नामबिअर, के.के.वी. 2007. *वोकेशनल स्टडीज़ एंड प्रोडेक्टिव वर्क इन एजुकेशन*. नीलकमल पब्लिकेशन, हैदराबाद.

पाण्डेय, वी.सी. 2005. *इश्यूज़ एंड ट्रेंडस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस*. इशा बुक्स, दिल्ली.

पाठक, पी.डी. 2011. *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ*. अग्रवाल प्रकाशन, आगरा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय, टी. 2008. *वोकेशनल एजुकेशन*. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली.

https://www.researchgate.net/publication/359757796_Vocational_education_in_India_Issues_and_Challenges दिनांक 30 मई 2023 को देखा गया।

https://in.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-vocational-education दिनांक 30 मई 2023 को देखा गया।

https:/samagra.education.gov.in दिनांक 5 मई 2024 को देखा गया।

https://www.psscive.ac.in/ दिनांक 15 मई 2024 को देखा गया।

आपदा प्रबंधन
सुरक्षित विद्यार्थी, सुरक्षित विद्यालय

केवल आनंद काण्डपाल*

धरती की आंतरिक हलचल और अन्य कारणों से अति-वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक घटनाएँ घटित होती रहती हैं। प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप आपदा की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं। मानवजनित जटिलताएँ भी बहुत बार जोखिम को बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही, हमारे ज्ञान, कौशल एवं संवेदनशीलता के अभाव में आपदा जनित नुकसान बढ़ जाता है। हमें निरंतर संभावित आपदाओं के साए में जीवनयापन करना पड़ता है। इससे निरंतर भयभीत रहने के बजाय क्षमता विकास एवं समुचित तैयारी करना श्रेयस्कर है। कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः हानिकारक नहीं होती हैं, यह मनुष्य की लापरवाही, अज्ञानता और तैयारी का अभाव है, जो जोखिम को बढ़ा देता है। विद्यालय की अहम भूमिका विद्यार्थियों में समाज के लिए उपयोगी, ज़िम्मेदार एवं संवेदनशील मूल्यों का बीजारोपण करना है। इसमें आपदाओं के प्रति सजगता, संवेदनशीलता एवं सम्यक तैयारी भी शामिल है। इस लेख में आपदा प्रबंधन को लेकर नीतिगत दृष्टिकोण, आपदा प्रबंधन का आशय एवं उसके घटक विद्यालय एवं विद्यार्थी आपदा प्रबंधन में किस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं? आदि को व्यावहारिक दृष्टि से जानने व समझाने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) द्वारा राज्यों को निर्देशित किया गया है 'राज्य, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र, राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण कुछ बुनियादी मानकों (जैसे— बचाव, सुरक्षा का आधारभूत ढाँचा, कक्षाओं एवं विषय के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी विद्यालयों को करना होगा।'[1] (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 8.5, ग)। इससे उम्मीद की जा सकती है कि आगामी भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में अधिगम करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ इसमें आड़े नहीं आएँगी। विद्यालय एक ऐसी औपचारिक संस्था है, जिससे समाज यह अपेक्षा करता है कि यह विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों का संवर्धन करे। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है

**प्रधानाचार्य*, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मण्डलसेरा, जनपद-बागेश्वर, उत्तराखंड 263642

और इसके लिए भारतीय संविधान से मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त होता है। हमारा संविधान जिस प्रकार के समाज निर्माण की प्रेरणा देता है, उसके लिए समाज हेतु जिम्मेदार नागरिक एक आधारभूत शर्त है। शिक्षा का व्यापक लक्ष्य सुसंस्कृत एवं ज़िम्मेदार नागरिक हेतु उपयुक्त ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, ज़िम्मेदारी एवं संवेदनशीलता जैसे मूल्यों का विकास करना है। विद्यालयों की इसमें अहम भूमिका है। दरअसल शिक्षा 'भावी जीवन की तैयारी' के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित औपचारिक उपक्रम है। इस तैयारी में आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, जागरूकता, संवेदनशीलता, आपदा एवं खतरों से निपटने की क्षमता इत्यादि समाहित हैं। इस पृथ्वी के निवासियों को प्राकृतिक हलचलों (भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, दावाग्नि, वज्रपात आदि) के साथ-साथ जीवनयापन करना है, प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप तथा दैनिक जीवन की भौतिक संसाधनों पर निर्भरता ने आपदा एवं जोखिम की आवृत्ति एवं गंभीरता को कुछ अधिक बढ़ा दिया है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय आपदा के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं इसके बचाव के लिए क्षमता-निर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

संवेदनशील एवं ज़िम्मेदार नागरिक निर्माण हेतु विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करें तथा सृजनशील वातावरण प्रदान करें। विद्यालयों में विद्यार्थी प्रतिदिन 6 से 7 घंटे व्यतीत करते हैं, इस तरह वे संपूर्ण दिन का लगभग एक-तिहाई भाग विद्यालय परिसर में व्यतीत करते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो। इस प्रकार का सुरक्षित वातावरण विद्यार्थियों में सीखने के लिए समुचित आत्मविश्वास एवं भावनात्मक अहसास उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 की दृष्टि से यह एक बहुमूल्य निवेश है।

आपदा प्रबंधन क्या है?

आपदा प्राकृतिक एवं मानव सृजित खतरों का परिणामी प्रभाव है। आपदा से आशय ऐसी कोई विपत्तिपूर्ण घटना (प्राकृतिक या मानव सृजित), विशेषरूप से ऐसी घटना से है, जो अचानक घटित हो और इससे जनहानि या संपत्ति की क्षति हो। हम कतिपय प्राकृतिक घटनाओं, जैसे— भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, आकाशीय बिजली गिरना आदि को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इनके कारण घटित जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005[2] में आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार "आपदा प्रबंधन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरंतर एवं एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है—

- किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण
- किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी
- क्षमता निर्माण
- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ
- किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

- किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण
- निष्क्रमण, बचाव और राहत
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

इस प्रकार आपदा-प्रबंधन में आपदाओं के प्रभाव में कमी लाने, आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं, जैसे— तत्परता, प्रतिक्रिया, बचाव और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति हेतु किए गए उपायों तथा दायित्वों के संयोजन एवं प्रबंधन को समाहित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन योजना के चार प्रमुख घटक हैं— रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया, प्रतिलाभ।

पारिभाषिक शब्दावली

- **जोखिम**—आपदा के संदर्भ में जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका, संपत्ति और सेवाओं का संभावित नुकसान है, जो किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज विशेष को निर्दिष्ट भविष्य की समयावधि में किसी आपदा से हो सकता है।
- **संभावित खतरे**—संभावित खतरा कोई वस्तु, स्थिति या व्यवहार हो सकता है, जो स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है या पहुँचाने की क्षमता रखता है।
- **भेद्यता**—भेद्यता किसी प्रणाली या इकाई की उस अक्षमता को कहा जा सकता है, जिससे वह किसी प्रतिकूल वातावरण या घटना को सह नहीं सकता है। अभेद्यता की खिड़की (vulnerability window) वह समय सीमा है, जिस अवधि में आत्म-रक्षा या सुरक्षा की स्थिति समाप्त हो जाती है।
- **आपदा संबंधी क्षमता**—आपदा संबंधी क्षमता निर्माण निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है, जो संबंधित संस्था या हितधारक को किसी आपदा के समय या उसके बाद बेहतर तरीके से सामना करने के लिए आवश्यक क्षमता (ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों) से सुसज्जित करती है।

आपदा प्रबंधन में विद्यालय की भूमिका

यह प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है कि विद्यार्थी तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं फिर आपदा प्रबंधन जैसे जटिल एवं जोखिमपूर्ण कार्यों या गतिविधियों में उन्हें संलग्न क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक) यह ऐसे औपचारिक स्थल हैं, जहाँ एक समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीगण लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। ये सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, ऑडिटोरियम, सेमिनार कक्ष आदि में हो सकते हैं, जहाँ से आपदा के समय सुरक्षित बाहर निकलने में अधिक चुनौतियाँ हो सकती हैं। यदि आधारभूत संरचनाएँ जटिल, कमजोर एवं जीर्ण-शीर्ण हों तो यह जीवन के जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। यह इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जिस समुदाय या समाज से आते हैं, वे उन समुदायों या समाजों में जागरूकता फैलाने और संवेदनशीलता विकसित करने में परिवर्तनकारी की भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि परिवार में विद्यार्थियों की बात ध्यान से सुनी जाती है। उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता

है। अंततः इसका सकारात्मक प्रभाव समुदाय या समाज पर पड़ता है।

विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन क्षमता का विकास

प्रायः कहा जाता है कि तैयारी, बचाव से हमेशा बेहतर है। मौजूदा समय में हम जिस जटिल संरचनापूर्ण ढाँचे में रह रहे हैं, उसने आपदा जोखिमों को बढ़ाया ही है। विद्यालय भी इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। इन आपदा जोखिमों को कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता का विकास किया जाए, जिससे खतरे एवं भेद्यता के गुणित प्रभाव को कम किया जा सके। समझने के लिए सरल बनाने की दृष्टि से इसे निम्नलिखित गणितीय फार्मूले के रूप में समझा जा सकता है—

आपदा जोखिम[1] (Risk) = संभावित खतरे[2] (Hazards) X भेद्यता[3] (Vulnerability)/आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता[4] (Capacity to manage the disaster)

अतः आपदा संबंधी जोखिम संभावित खतरों एवं भेद्यता से बहुगुणित हो जाता है। इसे कम करने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता विकसित करना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि विद्यालयों या शिक्षा संस्थानों में यह कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है? विद्यालय में यह क्षमता दो स्तर पर विकसित की जा सकती है। प्रथम, विद्यालय में संभावित खतरों को चिह्नित करना, भेद्यता को कम करना, आपदा जोखिमों को न्यूनतम स्तर पर लाना और द्वितीय, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आपदा जोखिम हेतु क्षमता संवर्धन करना।

संस्थागत स्तर पर आपदा जोखिम को न्यूनतम करना

आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विद्यालय स्तर पर आपदा जोखिमों को नगण्य अथवा न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित उपक्रम करने आवश्यक हैं—

- संभावित खतरों को चिह्नित करना तथा उन खतरों को यथा समय दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करना। यहाँ पर एक वास्तविक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। किसी प्रारंभिक विद्यालय के रास्ते में बिजली के तार बहुत नीचे तक लटके हुए थे। इस खतरे पर किसी का ध्यान नहीं गया। बरसात में एक विद्यार्थी की छतरी उस तार को छू गई तथा उस विद्यार्थी की झुलसने से मृत्यु हो गई। यह हादसा संभावित खतरे को समय पर न पहचानने एवं उसे दूर न करने के कारण ही हुआ। अतः यह आवश्यक है कि समूचे विद्यालय परिसर में और उसके बाहर आस-पास इस प्रकार के जोखिमों की पहचान की जाए और उनका निवारण करने हेतु समय रहते उपाय किए जाएँ।
- शिक्षा संस्थाओं से अपेक्षा रहती है कि वे अपनी विद्यालय सुरक्षा योजना तैयार करें। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के पहलुओं का संज्ञान लिया जाता है, जैसे— स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय,

विद्यालय का स्वच्छ परिवेश आदि परंतु इसमें आपदा जोखिम के दृष्टिगत महत्त्वपूर्ण पहलुओं की जाने-अनजाने उपेक्षा की जाती है। अतः यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना, विद्यालय सुरक्षा योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इसमें आपदा से पूर्व तैयारी के क्रम में विद्यालय के हितधारकों के मध्य निरंतर संवाद, छद्म अभ्यास (Mock Drill), राहत एवं बचाव संबंधी सामग्री की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार किट, आपदा की तैयारी एवं बचाव से संबंधित महत्त्वपूर्ण दूरभाष नंबर, आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य हेतु समुदाय के साथ नेटवर्किंग आदि महत्त्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए जाने चाहिए।

- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एन.सी.सी.) एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.सी.सी.) इकाइयाँ होती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में देश-सेवा एवं हेतु मूल्यों का बीजारोपण किया जाता है। इनके माध्यम से एन.सी.सी. कैडेट्स एवं एन.एस.एस. स्वयं सेवकों का इस तरह से क्षमता संवर्धन किया जा सकता है कि आपदा से पूर्व बचाव के प्रति चेतना एवं जन-जागरूकता का प्रसार करने में इनके कौशलों एवं समझ का सदुपयोग किया जा सके। आपदा के बाद बचाव एवं राहत कार्यों के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, इससे अतिरिक्त प्राथमिक उपचार हेतु भी आवश्यक प्रशिक्षण देकर क्षमता संवर्धन किया जा सकता है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा हमारी विद्यालयी और उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होनी चाहिए। उत्तराखंड में वर्तमान परिदृश्य यह है कि कक्षा 9 एवं 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन संबंधी एक पुस्तक सम्मिलित की गई है, परंतु व्यवहार में इस पुस्तक को कक्षा में पठन-पाठन अपेक्षित दर्जा नहीं दिया जाता है। आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण एवं तैयारी केवल आपदा के समय या उसके बाद की जाने वाली प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वरन यह हमारे नागरिक जीवन के व्यवहार का एक आवश्यक हिस्सा है और इसके लिए निरंतर तैयारी, सजगता एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यचर्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
- विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसका आशय यह है कि विद्यालय में जो चीज़ें, व्यवहार एवं संस्कृति परिलक्षित होती हैं, वह सभी विद्यार्थियों के समुदाय या समाज में भी मौजूद होती हैं। विद्यार्थी विद्यालय के बाद शेष समय इसी समुदाय या समाज में बिताते हैं। अतः समुदाय एवं समाज में भी आपदा से निपटने, बचाव के लिए क्षमता

संवर्धन की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय एवं उसके बाहर अपने सामुदायिक या सामाजिक परिवेश में सुरक्षित रहें। इसके लिए आपदा प्रबंधन हेतु समुदाय के साथ नेटवर्किंग, आपदा के दृष्टिगत राहत एवं बचाव कार्य हेतु संसाधनों का चिह्नांकन, नियोजन आदि आवश्यक उपक्रम बहुत आवश्यक हो जाते हैं।

- विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठकें, वार्षिकोत्सव आदि कई ऐसे अवसर होते हैं, जब माता-पिता या अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य हितधारकों का विद्यालय में समागम होता है। इन अवसरों को भी आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन सभी के समक्ष विद्यालय की आपदा प्रबंधन संबंधी योजना को साझा किया जा सकता है, छद्म अभ्यास का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही, विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन संबंधी जिज्ञासाओं पर चर्चा की जा सकती है। इन सभी का प्रभावी परिणाम यह होगा कि आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता एवं जन-चेतना का प्रचार होगा और समुदाय की आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता का संवर्धन भी होगा।
- विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक उपचार पेटी की अपेक्षा की गई है। यह न केवल उपलब्ध होना चाहिए बल्कि प्राथमिक उपचार में विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों का दल प्रशिक्षित भी होना चाहिए। आपदा घटित होने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों के पहुँचने तक इस दल की अहम भूमिका होती है। समय-समय पर इस प्राथमिक उपचार पेटी से माता-पिता या अभिभावकों एवं समुदाय को भी अभिमुखीकृत किया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि परिवारों में भी इस तरह के प्राथमिक उपचार पेटी को रखने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आपदा के दृष्टिगत यह एक बहुमूल्य निवेश सिद्ध हो सकता है।

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आपदा जोखिम के संबंध में क्षमता संवर्धन करना

आपदा प्रबंधन की संस्थागत योजना एवं तैयारी की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसे क्रियान्वित करने के लिए संबंधित हितधारकों का क्षमता संवर्धन किया जाए। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का व्यापक लक्ष्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य, ज़िम्मेदारी तथा संवेदनशीलता का इस तरह से बीजारोपण करना है कि आगामी भविष्य में उपयोगी एवं ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हों, इस तरह से प्रशिक्षित हो सकें कि आपदा एवं संकट के समय सुरक्षित रहें, इतने संवेदनशील हों कि आपदा या संकट के समय बचाव एवं राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर आगे आ सकें तथा अपना योगदान दे सकें। हम एक ऐसे व्यक्ति से आपदा या संकट के समय योगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति का इस दृष्टि

से क्षमता संवर्धन नहीं है। सामान्यत: इस तरह से अप्रशिक्षित व्यक्ति आपदा या संकट के समय अपने कार्य-व्यवहार से आपदा जोखिम को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते ही हैं। अतः आपदा जोखिम के दृष्टिगत क्षमता-संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जाने आवश्यक हैं—

- किसी आपदा के परिणाम को सतही तौर पर देखने से यह महसूस हो सकता है कि इससे अमुक व्यक्ति या परिवार या समुदाय प्रभावित हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ या हम सुरक्षित हैं। यह व्यवहार संवेदनहीनता को परिलक्षित करता है। व्यक्ति के रूप में हम किसी सामाजिक इकाई का अभिन्न अंग हैं, अतः हम समाज के किसी भी हिस्से पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बहुत लंबे समय तक पृथक नहीं रह सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की संवेदनशीलता को केवल कक्षा-कक्ष में किसी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विकसित करना संभव नहीं है। इसके लिए आपदा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे लोगों की पहचान, निरंतर संवाद द्वारा उन्हें जागरूक करना, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए शिक्षित करने, प्राथमिक उपचार पेटी तैयार करने एवं उपयोग करने का प्रशिक्षण देना, आपदा के दौरान उपयुक्त वांछनीय व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना, आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य हेतु छद्‌म अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों में यह संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। इस प्रकार की प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आपदा संबंधी जोखिमों के लिए तैयार किया जा सकता है।
- विद्यालय सुरक्षा योजना एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके दो स्पष्ट लाभ हैं। पहला, विद्यार्थी ऐसी योजना से जुड़ाव महसूस करेंगे, उनमें अपनत्व की भावना विकसित होगी। दूसरा, आपदा के दौरान और उसके बाद अपनी भूमिका या कार्यदायित्वों से संसूचित रहेंगे। उदाहरण के लिए, आपदा के दौरान कक्षा-कक्ष से विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ज़िम्मेदार टोली को अपनी भूमिका या कार्य के बारे में स्पष्टता रहेगी। इसी प्रकार आपदा के बाद समुदाय, आपदा राहत एवं बचाव दल को सूचित करने के लिए ज़िम्मेदार टोली या दल को यह मालूम रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर किन व्यक्तियों या संस्थाओं को किस प्रकार से सूचित किया जाना है।
- आपदाएँ कभी भी पूर्व सूचना देकर नहीं आतीं। बहुत बार तो ये ऐसे समय में घटित होती हैं, जब हम किंचित् निश्चिंत और लापरवाह रहते हैं। अतः इसके लिए निरंतर तैयारी एवं सजगता बहुत जरूरी है। इसके लिए निरंतर छद्‌म अभ्यास की

आवश्यकता होती है। यह छद्म अभ्यास इसलिए भी आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास से यह हमारे अचेतन व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। यह व्यवहार आपदा के दौरान संतुलित एवं धैर्यशील कार्य-व्यवहार एवं आचरण में अत्यंत उपयोगी हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद भी बहुत बार घबराहट एवं जल्दबाजी में जान-माल का जोखिम बढ़ जाता है।

- विद्यालय में विभिन्न विषयों में (विशेषकर सामाजिक विज्ञान विषय में) विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं को लेकर परियोजना कार्य करने होते हैं। अतः आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खतरों का चिह्नांकन, भेद्यता मैपिंग आदि परियोजना कराई जा सकती हैं। ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी तैयार करने संबंधी व्यावहारिक परियोजना की जा सकती हैं। यह उपक्रम एक ओर तो विद्यार्थियों की क्षमता का संवर्धन करेगा और वहीं दूसरी ओर समुदाय या समाज में जागरूकता एवं जन-चेतना के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होगा।
- माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. इकाइयाँ कार्य करती हैं। इन इकाइयों में विद्यार्थी कैडेट्स या स्वयं सेवक के रूप में समाज सेवा का पाठ सीखते हैं। इन कैडेट्स या स्वयं सेवकों का क्षमता संवर्धन किया जाना चाहिए। जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विभाग इस तरह के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण लगातार आयोजित करता रहता है। कैडेट्स या स्वयं सेवकों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के यथोचित अवसर मिलने चाहिए। कैडेट्स या स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन संबंधी जन जागरूकता के प्रसार, आपदा के बाद खोज एवं बचाव, राहत कार्यों में भूमिका के लिए क्षमता संवर्धन किया जा सकता है।
- विद्यार्थी अपने परिवार या समुदाय या समाज में परिवर्तनकारी की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यदि कोई जोशीला नवयुवक (यदि दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, युवा वर्ग) आपदा के बारे में रूढ़िगत मान्यताओं, विश्वासों को चुनौती देता है, आपदा के दृष्टिगत तार्किक तथ्य रखता है, तो उसकी बात अनसुनी नहीं की जा सकती है। आपदा के दृष्टिगत जागरूकता एवं संवेदनशीलता का अभाव, समुचित तैयारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारणों में से एक है नियतिवाद, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा, वह तो होकर ही रहेगा, यह मान्यता एवं विश्वास समुचित तैयारी में व्यवधान उपस्थित करता है। इस रूढ़िवादिता को दूर करने में विद्यार्थी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि विद्यार्थी यह करने में तभी सक्षम हो सकते हैं, जब उनका क्षमता संवर्धन किया जाए तथा उनको विद्यालयी पाठ्यचर्या में इस तरह के अवसर दिए जाएँ।

- विद्यार्थियों में (विशेषकर किशोर एवं युवा विद्यार्थियों में) ऊर्जातिरेक और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का स्वाभाविक जज़्बा होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा को समाज हित में सदुपयोग करने की दृष्टि से भी विद्यार्थियों का क्षमता संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन में सम्यक भूमिका है। इससे न केवल समुदाय या समाज लाभांवित होगा वरन विद्यार्थी आत्मविश्वास से युक्त स्वावलंबी नागरिक बन सकेंगे।
- आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों में योगदान के लिए कैडेट्स या स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है। यथा—आपदा प्रभावितों के लिए वस्त्र, बर्तन, भोजन, दवाइयाँ आदि के वितरण कार्य में सहभागिता, उक्त सामग्री को समुदाय से दान में प्राप्त करने के लिए अभियान, दान आदि एकत्रित करने में सहभागिता। ऐसी सहभागिता विद्यार्थियों में अपने समुदाय या समाज के साथ जुड़ाव एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करती है।

वर्तमान वस्तु-स्थिति एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

वर्तमान संदर्भ में आपदा के लिए सुरक्षात्मक तैयारियों की वस्तु-स्थिति एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य की चर्चा करना समीचीन होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मत्रालय के अंतर्गत 24 सितंबर 1969 से उच्च शिक्षा स्तर पर लागू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर सहभागिता की जाती है। वर्ष 1988 से इसे विद्यालयी स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के संचालन के लिए बजटीय अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। विगत 5–6 वर्षों से यह अनुदान विद्यालयों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस योजना के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष शिविरों के संचालन में कमोबेश व्यवधान आता रहा है। इसी प्रकार से भारत में एन.सी.सी. की शुरुआत 15 जुलाई 1948 से हुई। बाद के वर्षों में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका विस्तार विद्यालयी स्तर तक किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, साहस, सेवा एवं सहायता के मूल्यों का अमुचित बीजारोपण करके लोकतंत्र के उपयुक्त एवं समाजोपयोगी नागरिक चरित्र का निर्माण करना है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभी भी हमारे देश के समस्त माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी. से लागू नही की गई है। इस सदंर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है 'रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।'[3] माध्यमिक विद्यालयों में आपदा के दृष्टिगत एक अन्य अभ्यास अपनाया जाता है, वह यह कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विद्यालय के लिए 'विद्यालय सुरक्षा योजना' तैयार करेंगे। इस प्लान में आपदा से संबंधित जोखिम एवं खतरों को रेखांकित करने की अपेक्षा भी रहती है। विद्यालय कमोबेश 'विद्यालय

सुरक्षा योजना' बनाते भी हैं। प्रायः इस विद्यालय सुरक्षा योजना का संज्ञान जनपद के जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी नहीं लिया जाता। इसके क्रियान्वयन के लिए समुचित संसाधन के अभाव में यह विद्यालयों के लिए मात्र वार्षिक गतिविधि बनकर रह जाती है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई., 2023) में विद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित उपयोगी परामर्श दिया गया है। इस रूपरेखा में कहा गया है कि विद्यालयों में 'निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुरक्षित, बाधामुक्त और पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध होना चाहिए। भवन एवं उपकरणों के संदर्भ में नियमानुसार सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। बुनियादी ढाँचे के विकास, रखरखाव और शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होना चाहिए।'[4] इतना ही नहीं यह रूपरेखा विद्यालयी सुरक्षा के दृष्टिगत अति सूक्ष्म पहलुओं पर बहुत ही उपयोगी परामर्श एवं निर्देशन करती है। मसलन, सुरक्षा की दृष्टि से 'आंतरिक बुनियादी ढाँचे (कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भोजन-कक्ष, पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि), बाह्य बुनियादी ढाँचे (विद्यालय परिसर की दीवार, खेल एवं सभा के लिए सुरक्षित स्थान आदि) तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा के बारे में व्यावहारिक परामर्श देती है।'[5] जहाँ तक विद्यालय आपदा प्रबंधन संबंधी योजना को अमल में लाने का प्रश्न है, सरकारी माध्यमिक विद्यालय वित्तीय संसाधनों की सतत चुनौती का सामना करते हैं। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय विकास योजना हेतु प्रतिवर्ष, छात्र संख्या के आधार पर 25000 से 75000 रूपये प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के लिए पुस्तकों हेतु, क्रीड़ा सामग्री एवं यूथ एवं इको क्लब हेतु निर्धारित धनराशि प्राप्त होती है।'[6] 'इससे संभावित आपदा के जोखिमों के दृष्टिगत एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सीमित स्तर पर कार्य संभव हो पाता है, यथा: छोटी-मोटी मरम्मत, बिजली फिटिंग की मरम्मत, अग्निशमन संबंधी उपकरणों की व्यवस्था आदि परंतु विद्यालय की जीर्ण-क्षीण संरचना की वृहत्त मरम्मत एवं पुनर्निर्माण संभव नहीं है।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों का अभिमत है कि आपदा के घटित होने पर जान-माल का बचाव करने की प्रथम दृष्टया ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष की होती है, जो आपदा से प्रभावित हुआ है। बचाव दल और अन्य सहायक एजेंसियों के पहुँचने में हमेशा कुछ समय लगता ही है। इससे पहले आपदा प्रभावित व्यक्ति किस तरह से और किस सीमा तक अपने जान-माल की रक्षा करने में कामयाब हो सका है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपदा के दृष्टिगत उसकी संवेदनशीलता, तैयारी, क्षमता संवर्धन किस स्तर का है? इसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि किसी भी आपदा का सामना करने और इसके दुष्प्रभावों से उबरने में अकेला व्यक्ति या परिवार या समाज हमेशा समर्थ नहीं हो सकता है। अतः बचाव एवं राहत, पुनर्वास के लिए दूसरों पर निर्भरता बनी रहेगी। इसके लिए सरकार, गैर-सरकारी संस्थाएँ विभिन्न सामाजिक संगठन अपने-अपने स्तर

पर काम करते ही हैं, परंतु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह बात है कि इन सभी एजेंसियों के पहुँचने से पहले एकदम निकटवर्ती व्यक्ति या व्यक्तियों या समुदाय किस तरह से अपना योगदान देते हैं व भूमिका निर्वहन करते हैं। जान-माल की क्षति को न्यूनतम करने में यह हस्तक्षेप बहुमूल्य होता है। इसके लिए संवेदनशीलता एक अहम तत्त्व है, यही एक निर्णायक घटक है कि सक्षम एवं समर्थ व्यक्ति, आपदा प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों की सहायता के लिए आगे आते हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा के निरंतर जुटे रहते हैं। विद्यालय, विद्यार्थियों में इस संवेदनशीलता को पोषित एवं विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वस्तुतः विद्यालयों को उपर्युक्त कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि एक समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए यह बहुत आवश्यक है। विद्यालय यह करने में तभी समर्थ हो सकेंगे जब न केवल नीतिगत स्तर पर विद्यालयों को सतत समर्थन मिलता रहे, वरन संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता रहे। इसके साथ-साथ विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थियों का आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सतत उन्मुखीकरण एवं क्षमता संवर्धन करना भी समान रूप से आवश्यक है।

संदर्भ

[1] मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत सरकार. नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 49.

[2] भारत सरकार. 2005. *आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005.* (2005 का अधिनियम संख्यांक 53). 23 दिसंबर 2005. भारत का राजपत्र असाधारण. पृष्ठ संख्या 2.

[3] मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 43.

[4] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 552.

[5] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 556–57.

[6] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 556–57.

आनंददायक विद्यालयी शिक्षा हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधन

अरुण सिंह*
दीपा मेहता**

भारतीय शिक्षा प्रणाली का समग्र विकास ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी 2020) का प्रमुख उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू विद्यालयी सुरक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विकास भारतीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता, समावेशिता तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विद्यालयी सुरक्षा का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है, जैसे— मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा आदि। इस नीति में यह भी वर्णित किया गया है कि एक सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही, यह शिक्षकों एवं विद्यालयी प्रबंधन को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें विद्यालयी सुरक्षा को एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया है, जो समग्र शिक्षा के विकास में सहायक है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को एक सुरक्षित तथा सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे वे बिना किसी चिंता के शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह नीति विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्यालयों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। यह नीति अभिभावकों को भी एक सुरक्षित तथा संरक्षित विद्यालयी वातावरण के प्रति आश्वस्त करती है। विद्यालयी सुरक्षा के उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली में समग्र गुणवत्तापूर्ण सुधार का प्रयास करती है। यह लेख विद्यालय सुरक्षा तथा अनुकूल शिक्षण-अधिगम वातावरण से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तृत विमर्श प्रस्तुत करता है।

समावेशी एवं समग्र शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में विद्यालय सुरक्षा तथा विद्यार्थी सुरक्षा महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, जिन पर 20वीं सदी के अंत से ही लगातार बल दिया गया है। सुरक्षित विद्यालय एवं सुरक्षित विद्यार्थी की अवधारणा बाल संरक्षण तथा शैक्षिक सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी शिक्षा को सामान्य और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एकमात्र व प्रभावी साधन के रूप में चिह्नित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित अनेक शिक्षा

**शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 221005
***आचार्य*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 221005

संबंधी आयोगों एवं समितियों में विद्यार्थी सुरक्षा पर विचार किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 8.11 में वर्णित है कि विद्यालयों में हिंसा, शरारतों के बारे में बढ़ती जागरूकता और सहायक शिक्षण माहौल की आवश्यकता के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। विद्यार्थियों की भलाई और सफलता के लिए सुरक्षा आवश्यक है। जब विद्यार्थी अपने को विद्यालय में शारीरिक और मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ विषय-वस्तु को नहीं सीख पाते हैं। जेफरे 2018 ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि माता-पिता और विद्यार्थियों का एक बड़ा प्रतिशत विद्यालय में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 35 प्रतिशत माता-पिता विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जबकि 2017 में यह आँकड़ा 27 प्रतिशत था (गैलप, 2018)। भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित समय-समय पर कई अधिनियम पारित किए गए हैं जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें, जैसे— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (2012 एवं 2020), बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम (1986), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (1956), बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (2005), निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006) आदि।

यूनिसेफ (1946) और यूनेस्को (1945) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सुरक्षित शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक कल्याण, हिंसा और भेदभाव से मुक्त शिक्षा के अधिकार पर बल दिया है। विश्व के अनेक देशों में निवारक उपायों और उत्तरदायी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सुरक्षित विद्यालय वातावरण बनाने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। सुरक्षित विद्यालय एवं सुरक्षित विद्यार्थी का संप्रत्यय मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी एवं विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों के साथ भी संरेखित है। सुरक्षित विद्यालयों और सुरक्षित विद्यार्थियों का विचार एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो सीखने के लिए एक आवश्यक और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना चाहता है।

विद्यालय सुरक्षा क्या है?

'सुरक्षा' शब्द लैटिन भाषा के 'साल्वस' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, चोट रहित। सेफओपीडिया (2021) के अनुसार, सुरक्षा एक अवधारणा है, जिसमें व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य और शारीरिक अखंडता को संरक्षित करने के लिए अपनाई गई प्रथाएँ सम्मिलित हैं। विद्यालयी सुरक्षा को ऐसे विद्यालयों और विद्यालय-संबंधी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ विद्यार्थी हिंसा, शरारतों और उत्पीड़न तथा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं।

सुरक्षित विद्यालय

हर्नान्डेज़ एवं अन्य (2010) ने कहा है कि सुरक्षित विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जो हिंसा से मुक्त होने के साथ-साथ ऐसे वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ विद्यालय और उसकी अनुशासनात्मक

प्रक्रियाओं का भय नहीं होता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट (14 नवंबर 2022) 'सुरक्षित विद्यालय— सुरक्षित विद्यालयों के माध्यम से सीखने के भविष्य का समर्थन करना' में लिखा है कि सुरक्षित विद्यालय विश्व बैंक का कार्यक्रम है जो देशों को टिकाऊ सुरक्षित विद्यालय नीतियों और प्रथाओं को डिज़ाइन करने और लागू करने में सहायता करता है। सुरक्षित और समावेशी विद्यालय भविष्य में सीखने के लिए विश्व बैंक के दृष्टिकोण के पाँच स्तंभों में से एक है और सीखने की चीज़ों का पुनर्प्राप्ति के लिए रैपिड फ्रेमवर्क का एक प्रमुख पहलू है।

विद्यालयी सुरक्षा का विद्यालय वातावरण पर प्रभाव

मास्लो (1943) के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार, सुरक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है जो उच्च स्तर में जाने से पहले पूरी की जानी चाहिए (ताओरमिना एवं गाओ, 2013)। यह बात विद्यालयों पर भी लागू होती है। विद्यार्थियों को पहले सुरक्षित महसूस करना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्त ऊर्जा सीखने में लगा सकें। विद्यालयों का शैक्षणिक प्रदर्शन तभी अच्छा हो सकता है जब विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण मिले जहाँ उनकी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

विद्यालयी सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। विद्यालयी सुरक्षा में भौतिक सुरक्षा उपाय, जैसे— सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, और विद्यालय के प्रवेश द्वारों पर निगरानी सम्मिलित होती है। इसके अलावा विद्यालयी सुरक्षा में मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी सम्मिलित है, जैसे— बुलिंग से निपटना और विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना। विद्यालयों में सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का होना भी आवश्यक है ताकि आपातकालीन स्थितियों में उचित कार्रवाई की जा सके। शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देने के लिए सीखने का माहौल सुरक्षित और आरामदायक महसूस होना चाहिए। सुरक्षित विद्यालय वातावरण व्यक्तिगत सुरक्षा, हिंसा और धमकाने के खतरों से मुक्त होता है और संरचित तथा खुशनुमा शिक्षण अधिगम के लिए समुचित वातावरण प्रदान करता है (मेयर एवं फर्लोंग, 2010)। कई शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि असुरक्षित विद्यालय विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति, सहभागिता और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में असुरक्षित विद्यालयों में विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे— आत्म-सम्मान में कमी, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं (बर्रेट एवं अन्य 2012)। विद्यालयी सुरक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ विद्यार्थी बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकें। प्रत्येक विद्यालय का अपना अनूठा सुरक्षा वातावरण होता है जो उसके द्वारा बनाई गई अपनी रणनीतियों और नियमों से बना होता है। कई शोध अध्ययन यह बताते हैं कि जब विद्यालयी वातावरण सुरक्षित होता है, तो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में एक सकारात्मक एवं संरक्षित वातावरण का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सुरक्षित विद्यालयी वातावरण में अनुशासन और सामुदायिक भावना को बढ़ावा

मिलता है जिससे सभी के लिए सर्वांगीण विकास हेतु एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है। सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करता है।

भारत में लगभग हर साल सैकड़ों विद्यालयी विद्यार्थी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा कई कारणों से आवश्यक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और व्यापक शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा ही निम्नलिखित कारकों को निर्धारित करती हैं—

1. **विद्यार्थियों का समग्र विकास**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के समग्र विकास की कल्पना करती है। पहले की नीतियों (1968, 1986 एवं 1992) में 3 से 6 वर्ष के बच्चे 10+2 वाले शैक्षिक ढाँचे में सम्मिलित नहीं थे क्योंकि 6 वर्ष के विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। एन.ई.पी. 2020 के 5+3+3+4 ढाँचे में 3 वर्ष के विद्यार्थियों को सम्मिलित कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की एक मज़बूत बुनियाद रखी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास पर बल देना है, जिसमें विद्यार्थियों का समग्र विकास समाहित किया गया है।
2. **विद्यार्थियों की खुशहाली के लिए**— जो विद्यार्थी खुश रहते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि, कार्य में सफलता, आपसी संबंधों में संतुष्टि, सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता हैं (ल्युबोमिर्स्की एवं अन्य, 2005)। विद्यालय में विद्यार्थियों की खुशहाली को विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। (लॉन्ग एवं अन्य, 2012)। विद्यालय में विद्यार्थियों की खुशियों की सुरक्षा एक आवश्यक पहलू है।
3. **विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति**— वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वे उसे तो सीखें ही और साथ ही सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी समस्या-समाधान और तार्किक तथा रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। यह तभी संभव है जब विद्यार्थी स्वयं को विद्यालय में सुरक्षित महसूस करेंगे।
4. **समावेशी और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का निर्माण**— यह नीति में वर्णित है कि शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य (एस.डी.जी. 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी तथा समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के

अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय में समावेशी तथा सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालयों में सुरक्षात्मक उपाय

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ़.एस.ई. 2023) के अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा करना विद्यालयों की ज़िम्मेदारी है। विद्यार्थियों की शारीरिक सुरक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, जो भावनात्मक और शारीरिक नुकसान पहुँचाता है, से सुरक्षा सुनिश्चित करना भी विद्यालय प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। विद्यालय परिसर को सुरक्षित बनाने की ज़िम्मेदारी सामूहिक रूप से पूरे विद्यालय समुदाय की होती है। सभी की सुरक्षा और कल्याण विद्यालय प्रबंधन की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

1. **शारीरिक सुरक्षा**— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में यह कहा गया है कि सड़क सुरक्षा, खेल का मैदान, प्रयोगशाला आदि जगहों पर विद्यार्थियों का ध्यान रखकर शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुशंसित किया गया है कि विद्यालयों में शारीरिक सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, जिससे विद्यार्थियों को शारीरिक चोटें, शोषण या हिंसा का सामना न करना पड़े तथा वे बिना किसी डर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें शारीरिक हिंसा पर रोक, निगरानी प्रणालियाँ, सुरक्षा प्रशिक्षण एवं आपातकालीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* में विद्यार्थियों की शारीरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिसमें सुरक्षित तथा समावेशी वातावरण की सुनिश्चितता, आकस्मिक स्थिति के लिए योजना बनाना, बाल सुरक्षा जागरूकता शिक्षा, निगरानी और सुरक्षा प्रणालियाँ, सुरक्षित विद्यालय परिवहन आदि पहलुओं पर चर्चा की गई है।
2. **भावनात्मक सुरक्षा**— यह नीति विद्यालयी वातावरण में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, अहिंसा, सेवा आदि मूल्यों के अभ्यास पर बल देती है। ताकि विद्यार्थियों के भावनात्मक सुरक्षा पर ज़ोर दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के भावनात्मक सुरक्षा के लिए स्वायत्तता एवं परामर्श या उपबोधन (काउंसलिंग) की बात करती है। इसके साथ ही, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म-सम्मान का निर्माण, संचार में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समावेशिता, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि

गुणों के निर्माण को सर्वोपरि रखती है। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022* (अनुच्छेद 2.1.1) में सामाजिक-भावनात्मक और नैतिक विकास में उल्लिखित है कि विद्यार्थी अपनी भावनाओं को समझने तथा उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ यदि दूसरे की भावनात्मक स्थिति को भी समझते हैं तो विद्यार्थियों में सहानुभूति और करुणा का भाव पैदा होता है।

3. **मानसिक सुरक्षा**— सीखने के लिए निरंतर बौद्धिक क्रियाकलाप से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अत: जब विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास कर रहा होता है तो उसको सुरक्षित महसूस होना चाहिए जिससे उसकी मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों की शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा के साथ-साथ मानसिक सुरक्षा को भी महत्त्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित करती है तथा निर्देशित करती है कि विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा के लिए अनुशासनात्मक तरीकों में सुधार, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, भेदभाव-मुक्त वातावरण, माता-पिता और समुदाय की भागीदारी, भयमुक्त और सहयोगात्मक शिक्षण का वातावरण प्रदान करके उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित की जा सकती है। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* (बिंदु 2.3, 4.3) में वर्णित है कि विद्यार्थी को अपने विचार प्रकट करने के लिए ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए, जहाँ पर वह अपनी बातों को बिना किसी मानसिक तनाव के कह सकें। इसके साथ ही, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना न करना, विद्यार्थियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी न करना, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना, प्रोत्साहन के लिए उनके साथ काम करना आदि बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

4. **बुलिंग से रोकथाम**— किसी दूसरे के प्रति जानबूझकर तथा बार-बार की जाने वाले अवांछनीय व्यवहार को ही बुलिंग की श्रेणी में रखा गया है। सम्मेलन में तैयार संहिता के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि विद्यार्थियों की हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने की उपेक्षा करता है। इसको रोकने के लिए विद्यालय प्रशासन को शून्य सहनशीलता नीति के तहत तत्काल कार्यवाही करना चाहिए।

5. **यौन उत्पीड़न से रोकथाम**— सभी विद्यालयों को पॉक्सो (POCSO प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस, 2012) और पोश ((POSH) प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल हरासमेंट, 2013) के नियमों से जागरूक होना चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर त्वरित तथा कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोषियों को उचित दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। जैसा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1990) के अनुच्छेद 34 में वर्णित है कि विद्यार्थियों की यौन शोषण से सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी है।

6. **साइबर सुरक्षा**— राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) (2019–2020) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 55 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष तथा तकनीकी उपकरण हैं और वे 44 प्रतिशत सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाते हैं। 42 प्रतिशत विद्यालयों में सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। 59 प्रतिशत विद्यालय अपने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के नियम और विनियमन की शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के महत्त्व के बारे में और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा एवं साइबर धमकी जैसी समस्याओं से बचने के तरीके सिखाने के लिए विशेष कक्षाएँ व कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।

विद्यालय में सुरक्षा को सुनिश्चित करने संबंधी उपाय

विद्यालय में विद्यार्थियों को आनंददायक एवं अनुकूल शिक्षण अधिकारी वातावरण प्रदान करने के लिए विद्यालय को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए—

1. **शिक्षक**— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देते हैं। अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करना शिक्षकों का उत्तरदायित्व होता है। हमारे विद्यार्थियों और राष्ट्र के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में शिक्षकों की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती हैं।
2. **विद्यालय भवन की संरचना**— एन.सी.पी.सी.आर. की 'सुरक्षित और सुनिश्चित विद्यालयी वातावरण' पर राष्ट्रीय रिपोर्ट (2019–2020) में बताया गया है कि ढाँचागत सुविधाएँ केवल अनुकूल शैक्षिक वातावरण ही नहीं प्रदान करती, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। एन.सी.पी.सी.आर. (2019–2020) की रिपोर्ट के अनुसार 22 प्रतिशत विद्यालय पुराने भवन में संचालित हैं जबकि 31 प्रतिशत विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं। इसके साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया कि विद्यालय भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।
3. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता**— *एन.ई.पी. 2020* के बिंदु 2.9 में वर्णित है कि जब बच्चे कुपोषित और अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए विद्यालय को विद्यार्थियों के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' (एस.बी.एस.वी.) अभियान शुरू किया था जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में शुद्ध पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध हो। विद्यार्थियों के पोषण से संबंधित विद्यालयों में पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना (1995) संचालित थी जो वर्ष 2021 से परिवर्धित नाम 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना

(पीएम पोषण योजना) के नाम से संचालित की जा रही है।

4. **मानव संसाधन का प्रशिक्षण**— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* यह मानती है कि शिक्षकों को सैद्धांतिक ज्ञान में उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस हेतु शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षणशास्त्र में विद्यालयी सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा।

विद्यालय में सुरक्षा प्रबंधन के उपाय

विद्यालयों में सुरक्षा प्रबंध संबंधी उपायों का वर्णन निम्नलिखित है—

1. **सुरक्षा प्रशिक्षण**— विद्यालय स्टॉफ़ को सुरक्षा प्रक्रियाओं, जैसे— आग बुझाने, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा उपकरण के उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। समय-समय पर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को भी समय-समय पर छद्‍म अभ्यास के अवसर दिए जाने चाहिए।
2. **सीसीटीवी कैमरे**— विद्यालय के सभी प्रमुख स्थानों, जैसे— प्रवेश द्वार, कक्षाएँ और विस्तृत जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इनका नियमित रूप से रखरखाव होना चहिए ताकि इसकी सहायता से संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाकर निदान किया जा सके।
3. **सुरक्षा रक्षकों की तैनाती**— विद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा रक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जैसे— प्रमुख द्वार, कक्षाएँ और खेल के मैदान। ये गार्ड अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकेंगे जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों से बचा जा सकता है। इनका दायित्व यह भी होगा कि वे पूरे परिसर में इधर-उधर चौकसी भी रखेंगे।
4. **हेल्पलाइन नंबर**— विद्यालय को सहायता संपर्क सूत्र जारी करने चाहिए जिससे विद्यार्थी और कर्मचारी किसी भी परेशानी के समय संपर्क कर सकें। यह नंबर बुलेटिन बोर्डों, सूचना पट्टिकाओं, विद्यालय के मुख्य द्वारों पर एवं विद्यार्थियों की डायरी में लिखे होने चाहिए। समय-समय पर विद्यार्थियों को इन संपर्क-सूत्रों की जानकारी देते रहना चाहिए।
5. **सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जागरूकता कार्यक्रम**— विद्यालय में नियमित रूप से माता-पिता और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे माता-पिता और विद्यार्थियों को सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे और वे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। इन कार्यक्रमों में माता-पिता या अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों से भी सुरक्षा के संबंध में सुझाव माँगने चाहिए।
6. **मनोवैज्ञानिक सहयोग**— विद्यालय में मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं की नियुक्ति होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर

सहायता प्रदान करें। आमतौर पर यह देखा गया है कि विद्यार्थी परामर्शदाताओं के पास जाने से बचते हैं। अतः प्रातःकालीन सभाओं एवं अन्य प्रकार के मंचों के माध्यम से परामर्शदाताओं की उपस्थिती और सहयोग का महत्त्व बताना आवश्यक होगा।

7. **संजीवनी बिंदु**—विद्यालय परिसर में एक संरक्षित क्षेत्र या केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ विद्यार्थी किसी आपातकाल के दौरान सुरक्षित महसूस कर सकें। यह विद्यार्थियों को सुरक्षा का एक बिंदु प्रदान करेगा, जहाँ वे संकट के समय में जा सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक वातावरण के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यालय सुरक्षा के महत्त्व पर बल देती है। विद्यालय सुरक्षा की अवधारणा की जड़ें इस मान्यता में निहित हैं कि प्रभावी शिक्षा के लिए एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण-अधिगम वातावरण आवश्यक है। एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है, जिसमें विद्यार्थियों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना सम्मिलित है। यह नीति विद्यालयों को सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और एक समावेशी माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुरक्षा पर ज़ोर शिक्षा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप भी है, जहाँ विद्यार्थियों की भलाई को प्राथमिकता के रूप में पहचाना जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित करने और विद्यार्थियों के बीच उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने की वकालत करती है। आवश्यकता इस बात की है कि शैक्षिक ढाँचे में सुरक्षा को एकीकृत कर, शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यार्थी सुरक्षित और पोषण वाले वातावरण में सीख सकें।

संदर्भ

कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf दिनांक 2 दिसंबर 2024 को देखा गया।

जेफरे, एम. जोन्स, 2018. मोर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन फिअरफुल फॉर सेफ्टी ऐट स्कूल. https://news.gallup.com/poll/241625/parents-children-fearful-safety-school.aspx दिनांक 24 अगस्त 2024 को देखा गया।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2086/2/H2009-35.pdf दिनांक 2 अगस्त 2024 को देखा गया।

नेशनल रिपोर्ट ऑन सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. 2019–2020. https://ncpcr.gov.in/uploads/165650651562bc4893a2c4f_national-report-on-safe-and-secure-school-environment-2019-20-1964-kb.pdf दिनांक 7 सितंबर 2024 को देखा गया।

बर्रेट, के.एल. एवं अन्य. 2012. द रिलेशन बिटवीन यूथ फ़ियर एंड अवोइडेंस ऑफ़ क्राइम इन स्कूल एंड एकेडेमिक एक्सपीरियंस. *जर्नल ऑफ़ स्कूल वॉयलेंस*. वॉल्यूम 11, अंक 1. पृष्ठ संख्या 1–20.

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली. www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf दिनांक 5 मार्च 2024 को देखा गया।

मेयर, एम जे एवं फर्लोंग, एम.जे. 2010, हाउ सेफ़ आर अवर स्कूल्स?. *एजुकेशनल रिसर्च*. वॉल्यूम. 39(1). पृष्ठ संख्या 16–26.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022*. https://scert.cg.gov.in/pdf/ncf-2022/NCF-FS-Hindi-Ver23Dec22.pdf दिनांक 4 अप्रैल 2024 को देखा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. https://ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf दिनांक 29 अप्रैल 2024 को देखा गया।

ताओरमिना, रॉबर्ट. जे., जे.आर. एवं जे.एच. गाओ. 2013. मास्लो एंड द मोटिवेशन हायरार्की : मेजरिंग सटीस्फैक्सन ऑफ़ द नीड्स. *अमेरिकन जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी समर*. वॉल्यूम 126. पृष्ठ संख्या155–177

ल्यूबोमिर्स्की, एस. एवं अन्य. 2005. द बेनिफिट्स ऑफ़ फ्रीक्वेंट पॉज़िटिव एफ़ेक्ट— डज़ हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस?. *साइकोलॉजिकल बुलेटिन*. वॉल्यूम 131(6). पृष्ठ संख्या 803–855.

लॉन्ग.आर.एफ़. एवं अन्य. 2012. मेज़रिंग स्कूल रिलेटेड सब्जेक्टिव वेलबीइंग इन एंडोलसेंस. *अमेरिकन जर्नल ऑफ़ अर्थोसाईकेट्री*. वॉल्यूम 82(1). पृष्ठ संख्या 50–60. http://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2011.01130.x दिनांक 10 अगस्त 2024 को देखा गया।

सेफ़ स्कूल्स : सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ़ लर्निंग थ्रो सेफ़ स्कूल्स की रिपोर्ट. https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/safe-schools-supporting-the-future-of-learning-through-safe-schools दिनांक 20 जून 2024 को देखा गया।

सेफ़ओपीडिया. 2018. सेफ़्टी, सेफ़ओपीडिया. https://www.safeopedia.com/definition/1104/safety-occupational-health-and-safety दिनांक 12 अक्तूबर 2024 को देखा गया।

हर्नान्डेज़, डी. एवं अन्य. 2010. हाउ सेफ़ इज़ ए स्कूल? ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी कम्पेयरिंग मीज़र्स एंड परसेप्सन ऑफ़ सेफ्टी. *जर्नल ऑफ़ स्कूल्स वॉयलेंस*. अंक 9. पृष्ठ संख्या 357–374

पुस्तक समीक्षा

डिजिटल दुनिया में बदलती अधिगम पारिस्थितिकी

ऋषभ कुमार मिश्र*

पुस्तक	:	*इंटरनेट युगः बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियाँ*
लेखक	:	*संजीव राय*
प्रकाशक	:	*राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दरियागंज, दिल्ली*
मूल्य	:	₹ 160
संस्करण	:	*2024*

इस लेख में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'इंटरनेट युग' की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक हमारे परिवेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव तथा इसके कारण विद्यार्थियों के जीवन और शैक्षिक अनुभवों में आए बदलावों की पड़ताल करती है। इस पुस्तक में दिल्ली जैसे महानगरों में उभर चुके नए मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों की अपेक्षाओं को भी विवेचित किया गया है। सात अध्यायों में विभाजित यह पुस्तक कई प्रश्नों को संबोधित करती है, जैसे— नगरीय पारिस्थितिकी में सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं आदत ने विद्यार्थियों के जीवन और शिक्षा को कैसे रूपांतरित किया है? इसका उनकी मनोसामाजिक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और इससे सकारात्मक अनुकूलन में अभिभावकों और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है? इस पुस्तक का अनूठापन इस तथ्य में भी निहित है कि इसमें अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और किशोर विद्यार्थियों के आख्यानों को सम्मिलित किया गया है। यह पुस्तक समकालीन संदर्भों को प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों के मनोसामाजिक विकास के लिए अभिभावकों एवं अध्यापकों के बीच साझेदारी।

संवाद और सतत सहयोग के मॉडल को भी व्याख्यायित करती है।

हम अपने जीवन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपस्थिति को अपरिहार्य मान चुके हैं। यह अपरिहार्यता हमारी आवश्यकता से आरंभ होते हुए आदत में सम्मिलित हो चुकी है। यह 'आदत' वयस्कों का व्यसन मात्र नहीं है बल्कि प्रत्यक्षतः विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। इस प्रवृत्ति को केंद्र में रखते हुए लेखक ने वर्तमान दौर को 'इंटरनेट युग' की संज्ञा दी है और इसके आलोक

**सहायक आचार्य*, शिक्षा संकाय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, नई दिल्ली 110094

में विद्यार्थियों के जीवन में हुए बदलावों और प्रभावों को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों को नकारात्मक फ्रेम में देखने के बजाय इन्हें वृहत्तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक बदलावों के सापेक्ष चिह्नित किया गया है। माता-पिता का कामकाजी होना, घर पर भी कार्यालय के कार्यों को करना, बाजारोन्मुख उपभोक्तावादी संस्कृति और एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे बदलावों को हम अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में महसूस कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच एकाकी बचपन का लगातार विस्तार हो रहा है। बचपन के इस सिमटते दायरे के बीच अभिभावक एवं शिक्षा तंत्र की भूमिका एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी तंत्र की है। लेखक ने इनकी भूमिकाओं को प्रत्येक अध्याय में रेखांकित भी किया है। इसके साथ ही, उन दबावों के प्रति भी सचेत किया है जो इस तंत्र के द्वारा विद्यार्थियों की मनो-सामाजिक दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में लेखक ने सात अध्यायों में विषय-सामग्री को प्रस्तुत किया है।

पुस्तक के अध्याय 1, 'इक्कीसवीं सदी में विद्यार्थी' में विवेचना की गई है कि नौकरी पेशा तकनीकी संपन्न नगरीय मध्यम वर्गीय परिवारों में विद्यार्थियों का बचपन किस तरह से बदल रहा है? इस अध्याय के केंद्र में जिस मध्यम वर्ग को रखा गया है, उनमें से अधिकांश का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता है। इसके आलोक में लेखक ने बचपन में आए बदलावों के दो आयामों को उद्घाटित किया है। प्रथम, लेखक ने नगरीय जीवन की सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को विवेचित किया है। लेखक ने रेखांकित किया है कि आजकल नगरीय मध्यम वर्गीय परिवारों में सहयोग और सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो चुका है। माता-पिता दोनों घर के बाहर काम कर रहे हैं। उनके लिए परिवार और विद्यार्थियों की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती है। उनका सामाजिक दायरा भी छोटा होता जा रहा है। मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मीडिया खासकर ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। नया उभरता मध्यम वर्ग अपने कामकाजी जीवन में इतना व्यस्त है कि परिवार को दिए जाने वाले समय की अवधि कम हुई है। ये प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इनके प्रभाव में वे ई-संसाधनों को समायोजक मान रहे हैं।

द्वितीय, लेखक ने इस अध्याय में अंतरपीढ़ी द्वंद्व को उभारने की कोशिश की है। इसके लिए लेखक ने वयस्कों के बचपन और इक्कीसवीं सदी में बचपन को संदर्भ बिंदु बनाया है। लेखक ने विस्तारपूर्वक व्याख्या की है कि वर्तमान के अभिभावकों का बचपन एक कठोर अनुशासन वाले परिवेश में बीता है, जहाँ उन्हें शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत कम संसाधन उपलब्ध थे। ऐसे अभिभावकों को सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा से उम्मीद और समर्थन प्राप्त था। ये अभिभावक अब खुद और पाल्यों के बीच मूल्यों को लेकर असहमति देखते हैं। वे पाल्यों की इंटरनेट युक्त दिनचर्या, मेट्रोपॉलिटन जीवन शैली को लेकर आकर्षण एवं आक्रामक व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। इस अध्याय में लेखक ने वास्तविक जीवन से उदाहरणों का चयन करते हुए विद्यार्थियों एवं किशोरों की समस्याओं एवं अभिभावकों के इनके प्रति दृष्टिकोण को भी विवेचित किया है। यह अध्याय लेखक की खोजी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें लेखक ने शोध अध्ययनों के आधार पर अपने अवलोकनों के लिए सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तर्क

गढ़ने का प्रयास किया है। लेखक ने अभिभावकों को दोषी करार देने के बजाय उनकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बीच अभिभावकत्व की बदलती भूमिका को चिह्नित किया है।

अध्याय 2 'इंटरनेट की दुनिया' में लेखक ने विवेचना की है कि हर प्रौद्योगिकी अपने साथ सुविधा और समस्या दोनों लेकर उपस्थित होती है। आजकल हमारे परिवेश में इंटरनेट आधारित सुविधाओं की प्रचुरता ने वयस्कों और विद्यार्थियों की रोजमर्रा की आदतों में बदलाव कर दिया है। हमारी पहचान को 'रियल सेल्फ' और 'वर्चुअल सेल्फ' जैसे वर्गों में विभाजित कर दिया है। इसका प्रभाव हमारी भाषा और व्यवहार पर देखा जा सकता है। लेखक ने इस अध्याय में व्याख्या की है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम अवलोकनकर्ता की तरह इंटरनेट की दुनिया से जुड़ते हैं। वे अपने अभिभावकों द्वारा इंटरनेट के उपयोग का अवलोकन करते हैं। धीरे-धीरे उन्हें इंटरनेट के उपयोग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का पता चल जाता है। वे हर छोटी से छोटी जानकारी के लिए 'सर्च इंजन' के प्रयोग के लिए उतावले होने लगते हैं। उन्हें यूट्यूब पर विडियो देखना और इंटरनेट की सहायता से विडियो गेम खेलना रूचिकर लगने लगता है।

जब यह आदत अपनी आरंभिक अवस्था में होती है तो इसे विद्यार्थियों का उत्साह, मनोरंजन और खोजी प्रवृत्ति मानकर अभिभावक तनाव नहीं लेते। यह अवस्था अधिक दिन तक नहीं टिकती। जैसे-जैसे विद्यार्थियों की संलग्नता अवधि बढ़ती जाती है, अभिभावकों का तनाव भी बढ़ने लगता है। अब विद्यार्थियों की दुनिया 'इंटरनेट की दुनिया' बदल जाती है। लेखक इस स्थिति की चुनौतियों को इस अध्याय में रेखांकित करते हैं। अधिक स्क्रीन टाइम के कारण सर्वाइकल, बेचैनी, सिरदर्द, कमरदर्द, आँखों की समस्याओं के साथ-साथ अन्य सृजनात्मक कार्यों में संलग्नता का अभाव होने लगता हैं। इसके अलावा व्यवहार और भाषा में आक्रामकता, गुस्सा और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को भी इंटरनेट की लत से जोड़कर देखा जा सकता है। इस तरह की परिस्थिति में किताबें पढ़ना, लिखित और रचनात्मक कार्य करना और परिवार व समुदाय में समय बिताना विद्यार्थियों को अनुपयोगी लगने लगता है। इससे उनका सामाजिक-सांस्कृतिक विकास प्रभावित होता है। इस अध्याय में लेखक विद्यार्थियों की दुनिया में इंटरनेट की बढ़ती दखल के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में 'अटैचमेंट पैरेंटिंग' का सुझाव भी देते हैं। इस तरह के लालन-पालन में अभिभावक विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन द्वारा नियंत्रित न करके उनसे समस्याओं और समाधानों पर खुली चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को स्वअनुशासन की ओर मोड़ते हैं। सतत संवाद द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।

अध्याय 3 में लेखक ने अभिभावकों की अपेक्षाओं को विश्लेषण के केंद्र में रखा है। लेखक ने नए उभरते भारतीय मध्यम वर्ग के संदर्भ में व्याख्या की है कि यह वर्ग अपने विद्यार्थियों को अपने से अधिक सफल देखने की आकांक्षा में अपने विद्यार्थियों के लिए एक दबावयुक्त परिवेश रचता है। यह परिवेश विद्यार्थियों के लिए कितना घातक होता है, इस पर चर्चा करते हुए लेखक प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता के कारण होने वाली

आत्महत्या का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक का सुझाव है कि अभिभावक अपनी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं में न बदले इसलिए वह वास्तविक घटनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। लेखक रेखांकित करता है कि विद्यार्थियों के स्वाभाविक विकास मार्ग को अभिभावक अपनी अपेक्षाओं से कृत्रिम बना देते हैं। विद्यालय इस कृत्रिमता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अंततः विद्यार्थी अपनी रूचि और प्रतिभा को पोषित करने के स्थान पर दूसरों की अपेक्षाओं को ढोने लगते हैं। इस प्रवृत्ति से बचाव हेतु लेखक शोध अध्ययनों के आलोक में सुझाव प्रस्तुत करता है कि अभिभावकों और अन्य महत्त्वपूर्ण वयस्कों को विद्यार्थियों से असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद करने के बजाय उनके साधारण कार्यों की सराहना करनी चाहिए। विद्यार्थियों की परस्पर तुलना करने के बजाय उनकी अनूठी क्षमता के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें किसी एक अंतिम रास्ते या एक विकल्प के लिए अभिप्रेरित न करके संभावनाओं और विकल्पों की दुनिया से परिचित कराना चाहिए। इस तरह से यह अध्याय विद्यार्थियों की रूचि, क्षमता और पसंद को प्राथमिकता देते हुए उनके विकास की स्वाभविकता को पोषित करने की पैरवी करता है।

अध्याय 4, ‘जागरूकता की ज़रूरत’, में लेखक ने विद्यार्थियों के प्रति बढ़ते यौन अपराध को विश्लेषण के केंद्र में रखा है। लेखक ने विद्यार्थियों के प्रति बढ़ते यौन अपराध का मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए इसके निषेध हेतु ‘जागरूकता’ को विकल्प माना है। लेखक ने विवेचना की है कि हमें परिवार के स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाना होगा कि वे अपने शरीर के मालिक स्वयं हैं। उन्हें बताना होगा कि किसी भी हमउम्र साथी या वयस्क द्वारा शरीर को जबरदस्ती छूने पर उसका प्रतिरोध करना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान शरीर के अंगों के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना होगा। लेखक ने यह भी व्याख्या की है कि इस तरह की समस्याएँ पैदा न हो इसके लिए अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर कार्य करना होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग (पी.टी.एम.) जैसे संवादात्मक अवसरों पर केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि की चर्चा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि विद्यालय और परिवार के परिवेश, इन परिवेशों में विद्यार्थियों की गतिविधियों, विद्यार्थियों के हमउम्र साथियों के साथ संबंध, मनो-सामाजिक व्यवहारों पर भी चर्चा की जाए।

अध्याय 5 ‘असमंजस में अभिभावक’ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में अभिभावकों की भूमिका से संबंधित है। इस अध्याय के प्रथम खंड में लेखक ने अभिभावकों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के खतरों के प्रति सचेत किया है। लेखक ने मानसिक स्वास्थ्य की अस्थिरता के लक्षणों, जैसे— छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिल्लाना, अवसाद एवं निराशा की भावना और सामाजिक उदासीनता की चर्चा की है। तदन्तर लेखक ने विवेचना की है कि अभिभावक विद्यार्थियों की सामाजिक व भावनात्मक सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होते हैं। उन्हें अपने पाल्यों के साथ विश्वासपूर्ण रिश्ता विकसित करना चाहिए। उन्हें पाल्यों को ई-संसाधन आधारित मनोरंजन के इतर अन्य रचनात्मक कार्यों में संलग्नता का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें कठोर अनुशासन

के बजाय स्व-अनुशासन पर बल देना चाहिए। इन सुझावों को लेखक ने मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के आख्यानों से पुष्ट किया हैं। इस कारण ये सुझाव जाँचे-परखे एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं।

इस अध्याय में लेखक ने 'सुपरकिड सिंड्रोम' की व्याख्या की है। इसके अनुसार अभिभावक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा, खेल एवं कला के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिभाशाली सिद्ध करने के लिए परस्पर होड़ में लगे रहते हैं। अभिभावक अपने विद्यार्थियों पर सफलता के लिए आवश्यकता से अधिक दबाव भी बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे अपनी औसत उपलब्धि स्तर को बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करने लगते हैं। लेखक का सुझाव यह है कि अभिभावकों को अपने विद्यार्थियों की अद्वितीय क्षमताओं को स्वीकार करने के साथ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में स्वतः सामर्थ्य पैदा होता है कि वे असफलता की स्थिति में अपना धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें।

अध्याय 6, 'कहाँ गया समय' में लेखक ने सूचनाओं की प्रचुरता के बीच तार्किकता के लोप होने की समस्या को उठाया है। लेखक ने विवेचना की है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन हमें सूचनाओं के जाल में उलझा रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधाभासी, मिथ्या और अपुष्ट सूचनाओं के उपभोक्ता बन रहे हैं। इस परिस्थिति में बिना तार्किक विश्लेषण के सत्य मान लेने की प्रवृत्ति मिथ्या प्रचार का साधन बन रही है। लेखक मीडिया निर्भरता सिद्धांत का संदर्भ लेते हुए चिंता प्रकट करते हैं कि हम तार्किक कसौटियों पर सूचनाओं का आकलन करने के बजाय उन्हें सत्य मानने और उसके आधार पर निर्णय लेने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तदन्तर लेखक का मानना है कि प्रतिदिन सूचनाओं को इकट्ठा करने और उनके साथ समय बिताने से जीवन की आवश्यक चीज छूट जाती हैं। इसके आलोक में लेखक का सुझाव है कि हमें ध्यान रखना होगा की सूचना प्रौद्योगिकी के साधन हमारी सुविधा के लिए हैं। हमें उनके अति उपयोग की आदत से बचना होगा। इसके लिए हमें वयस्कों को अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी। उन्हें उनकी दिनचर्या का मूल्यांकन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों के गैर उत्पादक उपभोग को न्यूनतम करना होगा। हमें विद्यार्थियों और परिवार के साथ संवाद करने, उनके साथ मिलकर रचनात्मक कार्यों को करने, सामुदायिक भ्रमण जैसे परंपरागत संलग्नताओं के महत्त्व को स्वीकारना होगा।

अध्याय 7 में लेखक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्कृतियों के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी की भावी भूमिका पर विचार किया है। इस अध्याय में लेखक की आधारभूत स्थापना है कि शिक्षा का परंपरागत ढाँचा बदल चुका है। ऑनलाइन लर्निंग के प्रभाव और विस्तार को हमें वर्तमान की आवश्यकता मानकर इसके सहयोग से बेहतर शिक्षा के प्रसार का प्रयास करना चाहिए। लेखक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को परिपक्व करने के लिए शिक्षा की उक्त नई संरचना को स्वीकार करने की पैरवी करता है। इसके समानांतर लेखक संसाधन आधार के विस्तार और संसाधन पहुँच की सीमाओं को भी रेखांकित किया है। लेखक ने यह विवेचना की है कि वर्तमान में शिक्षकों की सूचना तकनीकी से तालमेल बैठाने की असमर्थता और अन्यमनस्कता

की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता है।

वर्तमान संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा की प्रासंगिकता को उभारने के बाद यह अध्याय ऑनलाइन लर्निंग के नए आभासी माध्यमों जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कॉर्स के औचित्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा करता है। लेखक ने इस हेतु भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। इस प्रयास की गति और प्रभाव के विस्तार हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण और भारतीय भाषाओं में ई-सामग्री की उपलब्धता पर बल दिया है। इस अध्याय का अंतिम खंड कृत्रिम मेधा और शिक्षा के संबंधों पर चर्चा करता है। इसे लेखक ने भविष्य की शिक्षा क्रांति का माध्यम माना है। लेखक का विचार है कि ऑनलाइन शिक्षा की उपस्थिति के कारण विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक अधिगम और आकलन के अभ्यास बदल रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में विद्यार्थियों को जीवन पर्यंत अधिगमकर्ता मानते हुए सस्ती और बेहतर शिक्षा को भौगोलिक सीमाओं के दायरे से परे सर्वसुलभ बनाना होगा।

सरल एवं प्रवाहमय भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में लेखक ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव निजी मंतव्य न लगकर अनुभाविक दुनिया की वास्तविक घटनाओं के साथ प्रस्तुत हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखक ने पुस्तक में विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कारों को भी सम्मिलित किया है। लेखक स्वयं एक शिक्षाविद् अभिभावक और सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के उपयोगकर्ता की भूमिका में प्रत्येक अध्याय में उपस्थित हैं। ग्राम्य संस्कृति से निकलकर आया वयस्क नगरीय दुनिया के बीच अपने विद्यार्थियों के भविष्य को कैसे देखता है? विद्यार्थियों की आदतों एवं व्यवहारों के लिए उसकी क्या दृष्टि है? मेट्रोपॉलिटन संस्कृति के प्रभाव को वह शिक्षा के समानांतर कैसे आकलित करता है? जैसे प्रश्नों ने इस पुस्तक के ताने-बाने को बाँध रखा है।

इस पुस्तक में लेखक ने इंटरनेट संसाधनों के बचपन और शिक्षा पर प्रभाव से जुड़े जिन विमर्शों और प्रश्नों को उठाया है, ये हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। ये हमारे आज के समय की सच्चाई हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते, बल्कि इनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। इस दिशा में अभिभावकों और शिक्षा-तंत्र दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। हमें ऑनलाइन शिक्षा को एकमात्र विकल्प न मानकर अनेक नवाचार आधारित प्रयोगों में से एक मानना होगा। हमारे लिए विद्यार्थियों का सांस्कृतिक संदर्भ और उसमें इन संसाधनों की उपस्थिति के घटकों को भी संज्ञान में लेना होगा। यह पुस्तक अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित करती है कि वे स्वयं और अपने पाल्यों की आभासी दुनिया में संलग्नता पर चिंतन-मनन कर उचित मार्गदर्शन दें। वे अपनी सहूलियत, आवश्यकता और कार्य दबाव के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध प्रयोग को वैध न बनाए, बल्कि परिवार और विद्यार्थियों के साथ रचनात्मक संलग्नता के अन्य माध्यमों पर भी विचार करें। यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भावी शिक्षा के लिए उपयोगी मानती है। पुस्तक के केंद्रीय कथ्य के अनुरूप इसकी संस्तुति है कि इंटरनेट आधारित संसाधन सस्ती और बेहतर शिक्षा को भौगोलिक सीमाओं के परे सर्वसुलभ करने में उपयोगी हैं।

About Our Journals and Magazine

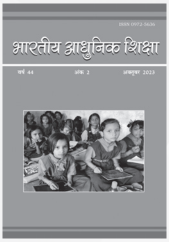

भारतीय आधुनिक शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है।

Indian Educational Review

A bi-annual journal which publishes articles and researches on educational policies, practices and values that are useful to practitioners in the contemporary times. The journal also provides a forum for teachers to share their experiences and concerns about schooling processes, curriculum, textbooks, teaching-learning and assessment practices.

Journal of Indian Education

A quarterly periodical that provides a forum for teachers, teacher educators, educational administrators and researchers through presentation of novel ideas, critical appraisals of contemporary educational problems, and views and experiences on improved educational practices. The journal reviews educational publications other than textbooks.

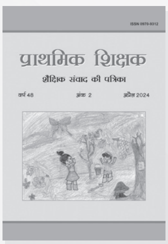

प्राथमिक शिक्षक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की इस त्रैमासिक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है— शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देशभर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय-समय पर अवगत कराना। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक सशक्त मंच प्रदान करती है।

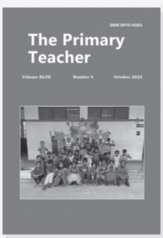

The Primary Teacher

A quarterly journal that carries articles and research papers on educational policies and practices, and material that is useful for practitioners in contemporary times. The journal also provides a forum to teachers and teacher educators to share their experiences and concerns about the schooling processes, curriculum, textbooks, teaching–learning, and assessment practices, particularly for the Foundational and Preparatory Stages.

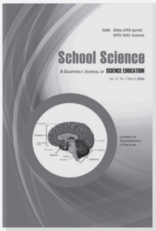

School Science

A peer-reviewed quarterly journal that aims to bring the recent developments in the areas of science, mathematics and environmental education within easy reach of teachers and students by serving as a platform to disseminate research findings, sharing innovative pedagogies, present theoretical work and report other advances towards improving teaching–learning in sciences.

Firkee Bachchon Ki

A half-yearly bilingual magazine (Hindi and English) consisting of poems, prose and activities, which appeal to children. It aims to develop reading culture among children at the Foundational Stage.

Indian Journal of Educational Technology

A bi-annual online peer-reviewed journal that aims at covering disciplinary areas of educational technology (ET) for school and teacher education. It also promotes research on the integration of technology in school and teacher education. The PDF format of the journal is available for free access on the NCERT portal.

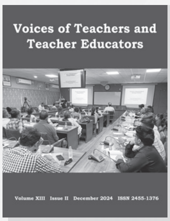

Voices of Teachers and Teacher Educators

A bi-annual peer-reviewed e-journal that highlights the vital role of teacher education in India. It aims to facilitate the dissemination of ideas of various stakeholders and make their engagement visible. It is a bilingual journal and the PDF format of the journal is available for free access on the NCERT portal.

Bank details for making payment through NEFT/RTGS

Account Number: 10137881342
Account Name: NCERT Publication Division
Bank Name: State Bank of India
Bank Location: NCERT, New Delhi
IFSC Code: SBIN0001690
GSTIN: 07AAOCS9078D2ZT
Pan No.: AAOCS9078D
E-mail: ncertpdacctts@gmail.com

Please take a printout of the proforma on the next page, fill and send it via post to the **Chief Business Manager, Publication Division, B.R. Ambedkar Khand, NCERT, New Delhi 110 016** or e-mail a scanned copy to **cbm.ncert@nic.in.**

The subscriber may intimate NCERT in case of change in address.

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

Phone No.: 011- 26592345

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110 016

Subscription Form for NCERT Journal(s)

S. No.	Name of Journals	ISSN	Single Copy (₹)	Annual (₹)	Triennial (₹)
1.	भारतीय आधुनिक शिक्षा (A **Quarterly** Journal of Education in ***Hindi***) Print Month: January, April, July, October	0972-5636	155	620	1860
2.	**Indian Educational Review** (A **Half-yearly** Research Journal in ***English***) Print Month: January, July	0019-4700 (Print) 0972-561X (Online)	175	350	1050
3.	**Journal of Indian Education** (A **Quarterly** Journal of Education in ***English***) Print Month: February, May, August, November	0377-0435 (Print) 0972-5628 (Online)	210	840	2520
4.	प्राथमिक शिक्षक (A **Quarterly** Journal for Primary Teachers in ***Hindi***) Print Month: January, April, July, October	0970-9312	230	920	2760
5.	**The Primary Teacher** (A **Quarterly** Journal for Primary Teachers in ***English***) Print Month: January, April, July, October	0970-9282	130	520	1560
6.	**School Science** (A **Quarterly** Journal for Secondary Schools in ***English***) Print Month: March, June, September, December	0036-679X (print) 0972-5061 (online)	205	820	2460
7.	फिरकी बच्चों की/**Firkee Bachchon Ki** (A **Bilingual** (**Hindi** and **English**) **Half Yearly** Magazine) Print Month: June, December	2582-8606	100	200	600

**Please tick the appropriate box(es) of the journal(s) you would like to subscribe.*

Particulars of Subscriber

Contact Person's Name: ______________________

Organisation: ______________________

____

Designation: ______________________

Mailing Address: ______________________

______________________ Pin Code/Digi PIN: ______________________

Phone (Office): ______________ Phone (Residence): ______________

E-mail: ______________ Mobile: ______________

Address for Dispatch: ______________________

____

NEFT/RTGS Remittance Details

Bank Name: ______________________ Ref./UTR: ______________

Amount: ₹ ______________________

Dated: ______________________

दर्पण
₹ 140.00 / पृष्ठ 104
कोड — 13151
ISBN — 978-93-5007-830-3

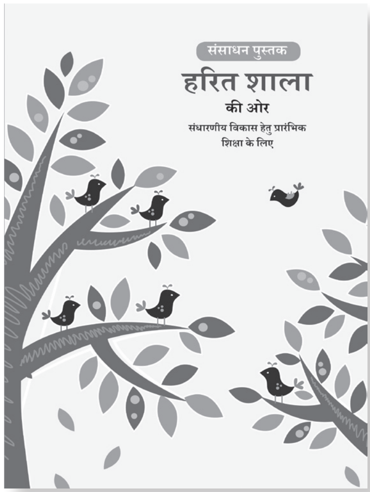

हरित शाला की ओर
₹ 115.00 / पृष्ठ 163
कोड — 13150
ISBN — 978-93-5007-829-7

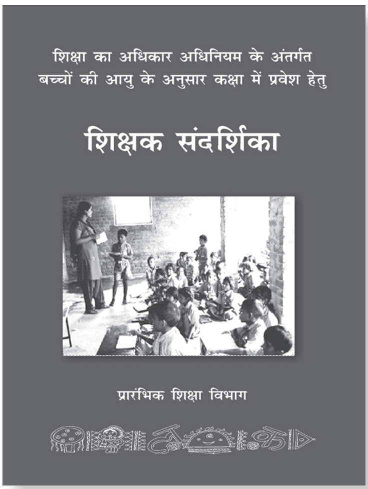

शिक्षक संदर्शिका
₹ 180.00 / पृष्ठ 110
कोड — 13133
ISBN — 978-93-5007-756-6

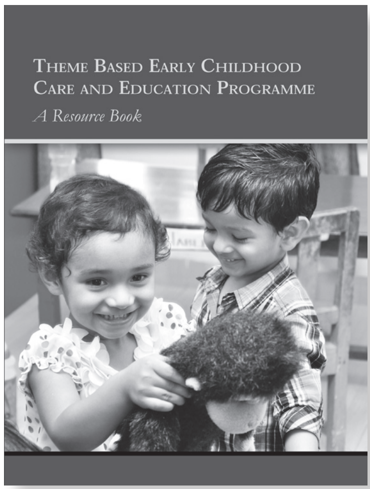

Theme Based Early Childhood Care and Education Programme
₹ 400.00 / pp.277
Code — 13130
ISBN — 978-93-5007-348-3

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

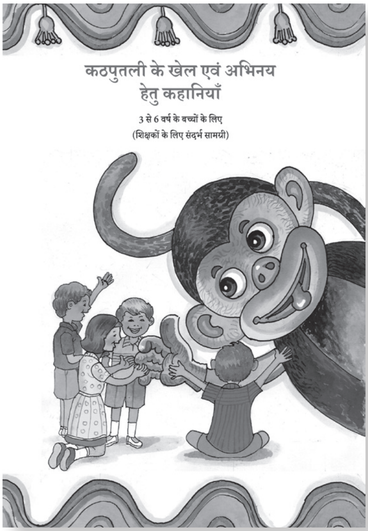

कठपुतली के खेल एवं अभिनय हेतु कहानियाँ

₹ 50.00 / पृष्ठ 34

कोड — 13161

ISBN — 978-93-5007-859-4

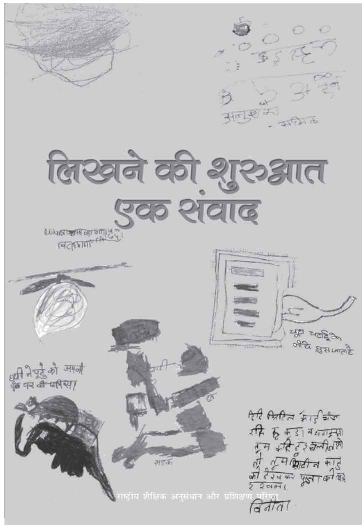

लिखने की शुरुआत एक संवाद

₹ 165.00 / पृष्ठ 132

कोड — 32107

ISBN — 978-93-5007-268-4

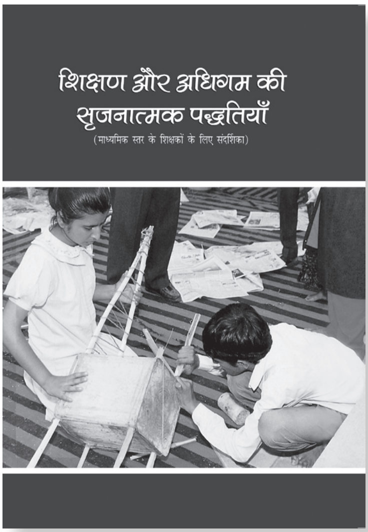

शिक्षण और अधिगम की सृजनात्मक पद्धतियाँ

₹ 75.00 / पृष्ठ 130

कोड — 13107

ISBN — 978-93-5007-280-6

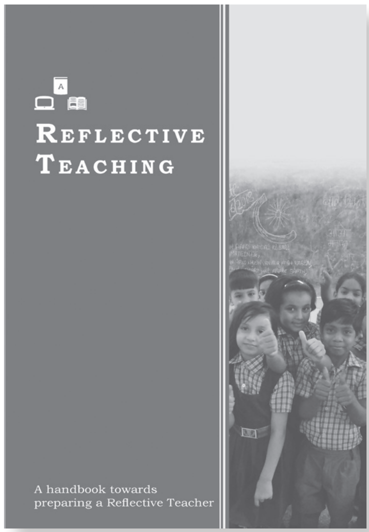

Reflective Teaching

₹ 100.00 / pp.186

Code — 13221

ISBN — 978-93-91444-25-9

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

लेखकों के लिए दिशानिर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख/शोध पत्र सॉफ़्ट कॉपी (जहाँ तक संभव हो यूनीकोड में) के साथ निम्न पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें –

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

लेखक ध्यान रखें कि लेख/शोध पत्र —

- सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख/शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
- विषय-वस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों या अधिक में हिंदी फ़ोंट में टंकित हो।
- विषय-वस्तु के साथ ही तालिका एवं ग्राफ़ हो तथा व्याख्या में तालिका में दिए गए तथ्यों एवं ग्राफ़ का उल्लेख हो।
- ग्राफ़ अलग से Excel File में भी भेजें।
- विषय-वस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें एवं चित्र अलग से JPEG फ़ॉर्मेट में भेजें, जिसका आकार कम-से-कम 300 dots per inch (dpi) हो।
- लेखक/शोधक अपना संक्षिप्त विवरण भी दें।
- संदर्भ वही लिखें जो लेख/शोत्र पत्र में आए हैं अर्थात् जिनका वर्णन लेख/शोध पत्र में किया गया है। संदर्भ लिखने का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार हो, जैसे—
  पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

लेख —

- लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- निष्कर्ष या समापन विशिष्ट होना चाहिए।

शोध पत्र —

- शोध पत्र की वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं एवं जो शोध कार्य हुए हों, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- न्यादर्श की पूरी जानकारी लिखें अर्थात् न्यादर्श की प्रकृति, न्यादर्श चयन का तरीका आदि।
- प्रदत्त संकलन के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की संक्षिप्त जानकारी दें।
- प्रदत्त विश्लेषण में तथ्यों का गुणात्मक आधार बताते हुए विश्लेषण करें।
- उद्देश्यानुसार निष्कर्ष लिखें तथा समापन विशिष्ट होना चाहिए।
- शोध पत्र के शैक्षिक निहितार्थ भी लिखें अर्थात् आपके शोध निष्कर्षों से किन्हें लाभ हो सकता है।

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा शगुन ऑफ़सेट प्रैस, प्लॉट न. 82, इकोटैक -12, ग्रेटर नोएडा 201 009 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of National Council of Educational Research and Training Journals and magazine

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क	त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 205.00	₹ 820.00	₹ 2,460.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 175.00	₹ 350.00	₹ 1,050.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 210.00	₹ 840.00	₹ 2,520.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 155.00	₹ 620.00	₹ 1,860.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 130.00	₹ 520.00	₹ 1,560.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 230.00	₹ 920.00	₹ 2,760.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 100.00	₹ 200.00	₹ 600.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016
ई-मेल – cbm.ncert@nic.in, फोन – 011-26562708, फैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा शगुन ऑफ़सेट प्रैस, प्लॉट न. 82, इकोटैक -12, ग्रेटर नोएडा 201 009 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING